हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जुलाई, 2016

संख्या : 2/22/2016–1पेंशन.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

अध्याय–I

प्रारम्भिक

नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम दिनांक 19 जुलाई, 2016 से लागू समझे जायेंगे ।

लागू होना।

2. सिवाए अन्यथा उपबंधित के ये नियम हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग में तिथि 31.12.2005 को या उसके पूर्व नियमित आधार पर किसी पद पर नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे।

टिप्पण 1.— अध्यक्ष, विधान सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन सहमत हो गए हैं कि जब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (2) के अधीन राज्य विधानमण्डल द्वारा कोई विधि नहीं बनाई जाती है अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन अध्यक्ष, विधान सभा के परामर्श से, राज्यपाल द्वारा नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ये नियम तथा इनमें संशोधन, यदि कोई हों, अध्यक्ष की पूर्व सहमति के बाद, हरियाणा विधान सभा के सचिवीय अमले पर लागू होंगे।

टिप्पण 2.— अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दशा में समय–समय पर यथा संशोधित इन नियमों के लागूकरण से सहमत हो गए हैं।

टिप्पण 3.— यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है कि ये नियम किसी व्यक्ति पर लागू होते हैं या नहीं, तो निर्णय वित्त विभाग द्वारा लिया जाएगा।

किसी विधि के अधीन अधिकार और विशेषाधिकार।

3. इन नियमों में या नियुक्ति के समय प्रस्ताव किए गए तथा व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए गए निबंधनों और शर्तों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए इन नियमों की कोई बात किसी व्यक्ति के अधिकार या विशेषाधिकार, जिनके लिए वह किसी विधि के अधीन हकदार है,से वंचित नहीं करेगी।

पेंशन या पारिवारिक पेंशन के दावों का विनियमन।

4. पेंशन या पारिवारिक पेंशन के प्रति किसी दावे का विनियमन तत्समय प्रवृत्त उन नियमों के उपबंधों द्वारा किया जाएगा जब, यथास्थिति, कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त या निर्मुम्त हो जाता है या सेवा से त्यागपत्र देने के लिए अनुज्ञात किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है।

इन नियमों से असंगत विशेष उपबंध, यदि कोई हों।

5. जब सक्षम प्राधिकारी की राय में, इन नियमों से असंगत विशेष प्रावधान किसी विशेष पद या सेवा की किसी शर्त के सन्दर्भ में अपेक्षित हों, तो वह प्राधिकारी, इन नियमों में दी गई किसी बात से अन्यथा होते हुए भी, तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी मामले, जिसके संबंध में उस प्राधिकारी की राय में विशेष प्रावधान किए जाने अपेक्षित हैं, हेतु ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें उपबन्धित कर सकता है:

परन्तु जहां किसी मामले के संबंध में नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों का विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, तो इन नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

इन नियमों का निर्वचन, संशोधन और शिथिल करने की शक्ति।

6. इन नियमों के निर्वचन, परिवर्तन, संशोधन, छूट तथा संदेह दूर करने की शक्ति, वित्त विभाग में निहित होगी।

टिप्पण 1.– इन नियमों के निर्वचन तथा परिवर्तन के संबंध में संसूचनाएं सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को सम्बोधित की जाएंगी।

टिप्पण 2.– जहां वित्त विभाग की सन्तुष्टि हो गई है कि सरकारी कर्मचारियों या ऐसे सरकारी कर्मचारियों के किसी वर्ग की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले इन नियमों का कोई लागूकरण किसी विशेष मामले में असम्यक् कष्ट होता है, तो यह ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्ययीन, जैसे यह न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण रीति में मामले के संबंध में कार्रवाई करना आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से आदेश द्वारा अभिमुक्त कर सकता है या छूट दे सकता है।

नियमों का निरसन। **7.** पंजाब सिविल सेवा नियम खंड (2) का निरसन किया जाता है। इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अध्याय–II

परिभाषाएं

परिभाषाएं।

8. (क) इन नियमों में, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों,–

(1) **"बाल सेवा" से अभिप्राय है,** अठारह वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व ग्रुप घ से अन्यथा तथा सोलह वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व ग्रुप घ के पेंशनयोग्य पद/सेवा पर नियुक्त किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा, जो पेंशन के लिए अर्हक नहीं है;

(2) **"पेंशन का सारांशीकरण"** से अभिप्राय है, किसी पेंशनर को अनुज्ञेय पेंशन का विहित अंश तक एकमुश्त भुगतान;

(3) **"अनुकम्पा वित्तीय सहायता"** से अभिप्राय है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियमों के अधीन मृतक अथवा गायब सरकारी कर्मचारी के पात्र पारिवारिक सदस्य (सदस्यों) को अनुज्ञेय मासिक भुगतान;

(4) **"प्रतिकर पेंशन"** से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय पेंशन जो पद की समाप्ति पर सेवा से मुक्त हुआ है तथा निम्नतर ग्रेड वेतन के पद सहित किसी अन्य पद पर समायोजित नहीं किया गया है;

(5) **"मंहगाई राहत"** से अभिप्राय है, कीमतों में मुद्रास्फीति के कारण पारिवारिक पेंशनरों सहित पेंशनरों को दी गई राहत और यह ऐसी दरों पर तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाएगी, जैसा राज्य सरकार, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे;

(6) **"मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान"** से अभिप्राय है, सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर या मृत्तक या गायब सरकारी कर्मचारी के पारिवारिक सदस्य (सदस्यों) को नियमों के अधीन अनुज्ञेय एकमुश्त भुगतान। सेवा से निवृत्ति की दशा में, सेवानिवृत्ति उपदान न्यूनतम पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरा होने के अध्यधीन अनुज्ञेय है, किन्तु सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में, मृत्यु उपदान हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं है;

(7) निम्नलिखित प्रयोजन के लिए **"परिलाभों"** से अभिप्राय है,—

(क) **"मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान तथा सेवा उपदान—**

(i) वेतनमान में मूल वेतन; वास्तविक या अप्रयोगमूलक जो भी अन्तिम नियत/ पुनः नियत किया गया है;

(ii) डाक्टरों तथा पशु चिकित्सकों को अनुज्ञेय गैर–व्यवसाय भत्ता, बशर्ते वेतन जमा गैर–व्यवसाय भत्ता रुपये 79,000/– (केवल उनासी हजार रुपये) से अधिक न हो;

(iii) उपरोक्त (i) तथा (ii) पर अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता; तथा

(iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोजन के लिए परिलाभों के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत कोई अन्य राशि।

(ख) **"पेंशन और पारिवारिक पेंशन—**

(i) वेतनमान में मूल वेतन; वास्तविक या अप्रयोगमूलक, जो भी नियत/पुनः नियत किया गया हो;

(ii) विहित सीमा तक गैर–व्यवसाय भत्ता; तथा

(iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोजन के लिए परिलाभों के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत कोई अन्य राशि।

(8) **"बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन"** से अभिप्राय है, पात्र पारिवारिक सदस्य (सदस्यों) को अनुज्ञेय पारिवारिक पेंशन,—

(क) मृतक या गायब सरकारी कर्मचारी के पारिवारिक सदस्य को पेंशन हेतु अन्तिम परिलाभों के पचास प्रतिशत के बराबर दस वर्ष तक जो गैर–अर्हक सेवा, यदि कोई हो, सहित सात वर्ष या अधिक की सेवा पूरी करने के बाद सेवा के दौरान मर जाता है या गायब हो जाता है; या

(ख) सात वर्ष तक या मृतक पेंशनर, यदि वह जीवित होता, की पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु के समय अनुज्ञेय पेंशन के बराबर; या

(ग) सात वर्ष तक या गायब पेंशनर, यदि वह उपस्थित होता, की पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, गायब होने के समय पर अनुज्ञेय पेंशन के बराबर;

(9) **"पारिवारिक पेंशन"** से अभिप्राय है, समय–समय पर, विहित दर पर मासिक पेंशन जो–

(क) मृतक या गायब सरकारी कर्मचारी जो प्रथम जनवरी, 2006 से पूर्व सेवा में लगा था तथा सेवा के दौरान मर जाता है या गायब हो जाता है; या

(ख) पेंशनर जो सेवानिवृत्ति के बाद मर जाता है,

के पात्र पारिवारिक सदस्य (सदस्यों) को भविष्य में अच्छे आचरण के अध्यधीन अनुज्ञेय है;

(10) **"परिवार"** से अभिप्राय है,–

(अ) मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के प्रयोजन हेतु–

1(क) पुरुष सरकारी कर्मचारी की दशा में, न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पत्नियों सहित (जहां स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हो);

1(ख) महिला सरकारी कर्मचारी की दशा में, न्यायिक रूप से पृथक पति सहित; बशर्ते कि यदि वह अपने परिवार से अपने पति को निकालने के लिए अपनी इच्छा कार्यालयाध्यक्ष को लिखित में नोटिस द्वारा अभिव्यक्त करती है, तो पति उन मामलों, जिनसे ये नियम संबंधित हैं, में तुरन्त कर्मचारी के परिवार के सदस्य के रूप में तब तक नहीं समझा जाएगा, जब तक कर्मचारी उसके बाद कार्यालयाध्यक्ष को लिखित में अभिव्यक्त नोटिस द्वारा ऐसी इच्छा रद्द नहीं करती है;

1(ग) विधिक रूप से दत्तक बच्चे, विधवा/तलाकशुदा पुत्री (पुत्रियों) सहित पुत्र तथा पुत्रियां;

1(घ) पूर्वमृत पुत्र की विधवा (विधवाएं) बशर्ते पुनः शादी न की हो, अन्यथा पूर्वमृत पुत्र के बच्चे समभाग में;

2(क) उपरोक्त (1) के अभाव में 18 वर्ष की आयु के नीचे के भाई (भाइयों) आश्रित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बहन (बहनें);

2(ख) उपरोक्त (1) तथा 2(क) के अभाव में, वैयक्तिक मामलों में दत्तक/सौतेली माता सहित माता जहां स्वीय विधि दत्तक के लिए अनुमति देती है;

2(ग) उपरोक्त (1) तथा 2(क) तथा (ख) के अभाव में वैयक्तिक मामले में दत्तक/सौतेले पिता सहित पिता जहां स्वीय विधि दत्तक के लिए अनुमति देती है;

3. उपरोक्त (1) तथा (2) के अभाव में व्यस्क भाई तथा बहन (बहनें)।

टिप्पण 1.– इस नियम के प्रयोजन के लिए, "पत्नी" से अभिप्राय है, मृतक सरकारी कर्मचारी की विधिक रूप से विवाहित पत्नी।

टिप्पण 2.– पंचायत या सामाजिक संगठनों द्वारा तलाक, विधिक तलाक नहीं होगा।

टिप्पण 3.– अपने माता–पिता के साथ रह रहे तथा उन पर पूर्ण रूप से आश्रित सरकारी कर्मचारी के हिन्दू विधि या स्वीय विधि के अधीन विधिक रूप से दत्तक बच्चे, पुत्र/पुत्री में सम्मलित हैं परन्तु सौतेले बच्चे सम्मलित नहीं है।

(आ) पारिवारिक पेंशन के प्रयोजन हेतु–

(i)(क) पुनः विवाह या मृत्यु, जो भी पहले हो, की तिथि तक विधवा (विधवाएं जहां कहीं स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है) या विधुर;

(i)(ख) मृतक सरकारी कर्मचारी की न्यायिक पृथक पत्नी या पति, ऐसा पृथक्करण जारकर्म के आधार पर प्रदान नहीं किया गया हो तथा जीवित व्यक्ति जारकर्म करने का दोषी नहीं ठहराया गया था;

(i)(ग) मृतक सरकारी कर्मचारी की निःसन्तान विधवा जिसने पुनः शादी कर ली है बशर्ते सभी अन्य स्रोतों से उसकी स्वावलम्बी आय राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विहित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन जमा उस पर महंगाई राहत, से कम है। ऐसे सभी मामलों में, उससे वर्ष में एक बार मार्च मास में पेंशन संवितरण प्राधिकारी को सभी अन्य स्रोतों से उसकी आय संबंधी घोषणा देने के लिए अपेक्षा की जाएगी;

(ii) उपरोक्त (i) में असफल रहने पर, 25 वर्ष की आयु तक ज्येष्ठ अविवाहित तथा आश्रित पुत्र (पुत्रों) या पुत्री (पुत्रियां);

(iii) उपरोक्त (i) तथा (ii) में असफल रहने पर, आश्रित ज्येष्ठ तलाकशुदा या विधवा पुत्री (पुत्रियां) पच्चीस वर्ष की आयु तक, उसके विवाह/पुनः विवाह की तिथि तक या ऐसी तिथि तक वह जीविका के लिए कमाना शुरू कर देती है, जो भी पहले हो, बशर्ते वह पारिवारिक पेंशन हेतु अन्य वर्तमान पारिवारिक सदस्य की पात्रता की समाप्ति की तिथि से पूर्व विधवा हो गई है या उसका तलाक हुआ है;

(iv) उपरोक्त (i) से (iii) में असफल रहने पर, 25 वर्ष की आयु से ऊपर की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों में से आश्रित ज्येष्ठ पुत्री उसके विवाह/ पुनः विवाह की तिथि तक या ऐसी तिथि तक जब वह जीविका के लिए कमाना शुरू कर देती है, जो भी पहले हो। विधवा/तलाकशुदा पुत्री की दशा में, बशर्ते वह पारिवारिक पेंशन हेतु अन्य पारिवारिक सदस्य की पात्रता की समाप्ति की तिथि से पूर्व विधवा/तलाकशुदा है;

(v) उपरोक्त (i)से (iv) में असफल रहने पर, पुत्र तथा पुत्री की आयु का विचार किए बिना जो मस्तिष्क विकार या अशक्तता या शारीरिक रूप से विकलांगता या अशक्तता से ग्रस्त है, बशर्ते वे सरकारी कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित थे जब वह जीवित था;

(vi) उपरोक्त (i) से (v) में असफल रहने पर, माता–पिता जो पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे जब वह जीवित था बशर्ते उनकी वर्तमान संयुक्त आय समय–समय पर विहित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन जमा उस पर मंहगाई राहत से कम है;

(vii) उपरोक्त (i) से (vi) में असफल रहने पर, अविवाहित शारीरिक रूप से अशक्त सहोदर (भाई तथा बहन) बशर्ते वे पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे जब वह जीवित था।

टिप्पण 1.– इस नियम के प्रयोजन के लिए, ''विधवा'' से अभिप्राय है, मृतक सरकारी कर्मचारी की विधिक रूप से विवाहित पत्नी।

टिप्पण 2.– पंचायत या सामाजिक संगठनों द्वारा तलाक विधिक तलाक नहीं होगा।

टिप्पण 3.– पुत्र/पुत्री में अपने माता–पिता के साथ रह रहे तथा पूर्ण रूप से आश्रित सरकारी कर्मचारी के हिन्दू विधि या स्वीय विधि के अधीन विधिक रूप से दत्तक बच्चे शामिल हैं, किन्तु इसमें सौतेले बच्चे शामिल नहीं हैं।

टिप्पण 4.– आश्रित निःसन्तान विधवा, बच्चे या माता–पिता जो पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं, अपनी आय, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में साल में एक बार मार्च मास में पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। संरक्षक पात्र पारिवारिक सदस्य की ओर से उसकी आय, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में भी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा;

(11) **''अशक्तता पेंशन''** से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय पेंशन, जो शारीरिक या मानसिक अशक्तता, जो सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया कि आगे सम्यक रूप से लोक सेवा के लिए उसे स्थायी रूप से असमर्थ बनाती है, के कारण सेवानिवृत्त होता है;

(12) **''जीवन प्रमाण–पत्र''** इस आशय का प्रमाण पत्र है कि पेंशनर पेंशन के वितरण के दिन जीवित है;

टिप्पण.–पेंशनधारक को वर्ष में एक बार मास मार्च में वैबसाईट www.jeevanpramaan. gov.in पर आधार बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली पर अपना जीवन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। अपवादिक परिस्थितियों में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण–पत्र भी स्वीकार्य होगा।

(13) **''सैनिक पेंशन''** से अभिप्राय है, किसी भूतपूर्व सैनिक को उस द्वारा दी गई अर्हक सैनिक सेवा के फलस्वरूप सैनिक प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई पेंशन;

(14) **''पेंशन संवितरण प्राधिकारी''** से अभिप्राय है, खजाना अधिकारी या सहायक खजाना अधिकारी जिसकी अधिकारिता में पेंशनर द्वारा पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त की जा रही है;

(15) **"उपदान के समकक्ष पेंशन"** से अभिप्राय है, निम्नलिखित सूत्र लागू करते हुए निकाली गई अप्रयोगमूलक राशि–

उपदान के समकक्ष पेंशन=	(मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान की राशि)	÷	(सारांशीकरण तालिका का गुणक x 12)

टिप्पण.– सारांशीकरण गुणक सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद अगले जन्मदिन की सुसंगत आयु के संदर्भ में सारांशीकरण तालिका से लिया गया है।

(16) **''पेंशन भुगतान आदेश''** से अभिप्राय है, पेंशनर को पेंशन के भुगतान के लिए आदेश जो प्रधान महालेखाकार, हरियाणा के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है;

(17) **''पेंशन मंजूरी प्राधिकारी''** से अभिप्राय है, कार्यालयाध्यक्ष जो उसके अधीनस्थ किसी ग्रुप के सरकारी कर्मचारी को इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय कोई पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा, तथापि, कार्यालयाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष की दशा में, अगला उच्चतर प्राधिकारी पेंशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी होगा। यदि, पेंशन या पारिवारिक पेंशन तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृत की जानी है, तो वह विभागाध्यक्ष के नीचे के प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं की जाएगी;

(18) **''पेंशन''** से अभिप्राय है, भविष्य में अच्छे आचरण के अध्यधीन किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दी गई अर्हक सेवा के बदले में सेवानिवृत्ति के बाद उसे किया गया आवर्तक या अनावर्तक भुगतान। पेंशन में मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान शामिल है जब तक अन्यथा विहित नहीं है किन्तु अवकाश नकदीकरण शामिल नहीं है;

(19) **''पेंशनरी लाभ''** से अभिप्राय है, सेवानिवृत्ति या पद की समाप्ति के कारण सेवा समाप्ति के समय पर अनुज्ञेय पेंशन, मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान, सेवा उपदान, पेंशन सारांशीकरण, पारिवारिक पेंशन;

(20) **''अनुपात पेंशन''** से अभिप्राय है, एक विभाग से किसी संगठन, जिसके लिए उसने उचित प्रणाली के माध्यम से आवेदन किया है, में किसी सरकारी कर्मचारी के समावेशन या नियुक्ति से पूर्व उस द्वारा पेंशन के लिए दी गई अर्हक सेवा के संबंध में उसको अनुज्ञेय आवर्तक या अनावर्तक पेंशन;

(21) **''अनन्तिम मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान''** से अभिप्राय है, मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के लिए अन्तिम निर्णय के अध्यधीन किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर अनन्तिम रूप से स्वीकृत सेवानिवृत्ति उपदान या सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में किसी मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को अनन्तिम रूप से भुगतान किया गया मृत्यु उपदान;

(22) **''अनन्तिम पेंशन''** से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद, अन्तिम पेंशन के लम्बित निपटान तक अनुज्ञात पेंशन;

(23) ''पेंशन के प्रयोजन के लिए **''अर्हक सेवा''** से अभिप्राय है,–

(i) ड्यूटी के रूप में समझी गई सेवा की अवधि;

(ii) असाधारण अवकाश को छोड़कर सभी अवकाशों की अवधि;

(iii) चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर असाधारण अवकाश; तथा

(iv) हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 के अध्याय–XI के अधीन अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि।

टिप्पण 1.– बाल सेवा अवधि पेंशन के लिए अर्हक नहीं होगी;

टिप्पण 2.– किसी दशा में, जिसमें वित्त विभाग की संतुष्टि हो जाती है कि असाधारण अवकाश सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर होने के किसी कारण हेतु लिया गया था, तो ऐसे अवकाश की अवधि अर्हक सेवा के रूप में मानी जाएगी;

(24) **"अवशिष्ट पेंशन"** से अभिप्राय है, मूल पेंशन से पेंशन के समुचित सारांशित भाग को कम करने के बाद पेंशन का अतिशेष;

(25) **''सेवानिवृत्ति पेंशन''** से अभिप्राय है, सरकारी कर्मचारी को–

(i) उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति; या

(ii) उसकी समय पूर्व सेवानिवृत्ति;

की दशा में अनुज्ञेय मासिक पेंशन;

(26) **''सेवा उपदान''** से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन मासिक पेंशन हेतु विहित न्यूनतम अर्हक सेवा न रखने वाले किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के समय पर मासिक पेंशन के बदले में अनुज्ञेय एकमुश्त भुगतान;

(27) **"अधिवार्षिता पेंशन"** से अभिप्राय है, सेवानिवृत्त के लिए विहित अधिकतम आयु प्राप्त करने पर सेवा से निवृत्त किसी सरकारी कर्मचारी, जो मासिक पेंशन के लिए विहित न्यूनतम अर्हक सेवा से कम सेवा न रखता हो, को अनुज्ञेय मासिक पेंशन;

(28) **'सेवान्त उपदान'** से अभिप्राय है, किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी को उस द्वारा धारित पद की समाप्ति के कारण उसकी सेवा की समाप्ति के बाद किया गया एकमुश्त भुगतान।

(ख) इस अध्याय में नहीं परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में परिभाषित किए गए शब्दों का अर्थ इन नियमों के लिए वही होगा।

अध्याय–III

पेंशन प्रदान करने के लिए सामान्य उपबंध

सरकारी कर्मचारी का अंतिम कार्य दिवस।

9. (1) वह दिन, जिसको सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, सेवानिवृत्त समझा जाता है, निर्मुक्त होता है या त्याग–पत्र देने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, को उसका अंतिम कार्य दिवस माना जाएगा।

(2) सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में, मृत्यु के दिन मृतक कर्मचारी को–

(i) अवकाश के दौरान मृत्यु की दशा में अवकाश पर; या

(ii) यदि उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व वह ड्यूटी पर था, तो ड्यूटी पर;

समझा जाएगा।

भविष्य में अच्छे आचरण के अधीन रहते हुए पेंशन।

10. (1) (क) प्रत्येक पेंशन प्रदान करने के लिए भविष्य में अच्छे आचरण और उसको जारी रखना इन नियमों के अधीन अपेक्षित शर्त होगी;

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी को पेंशन या उसके किसी भाग को, चाहे स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या बन्द करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि पेंशनर को किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय इन नियमों के अधीन संपूर्ण पेंशन या उसके किसी भाग को रोकने या बन्द करने के किसी प्रश्न पर अंतिम और निश्चायक होगा: परंतु जहां पेंशन के किसी भाग को रोका या बन्द किया जाता है, तो ऐसी पेंशन की राशि को न्यूनतम पेंशन के रूप में नियत राशि से कम नहीं किया जाएगा।

टिप्पण.– हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या कोई अन्य अनुमोदित भर्ती अभिकरण, जैसी भी स्थिति हो, से अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परामर्श किया जाएगा।

(2) जहां किसी पेंशनर को विधि न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो ऐसे सिद्धदोष से संबंधित न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत उप–नियम (1) के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

(3) ऐसे मामले में जो उप–नियम (2) के अधीन नहीं आता है, उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी मानता है कि पेंशनर प्रथमदृष्ट्य गंभीर अवचार का दोषी है, तो वह उप–नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने से पूर्व,–

(i) उसके विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और आधार जिन पर यह की जानी प्रस्तावित है, को विनिर्दिष्ट करते हुए पेंशनर को नोटिस तामील करेगा तथा उससे नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो पन्द्रह दिन से अधिक नहीं होगा, जैसा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाए, ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की मांग करेगा जैसा वह प्रस्ताव के विरूद्ध करने की इच्छा करे; और

(ii) खंड (i) के अधीन पेंशनर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(4) (क) उप–नियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) की द्वितीय अनुसूची में शामिल किसी सतर्कता या सुरक्षा से सम्बन्धित संगठन (संगठनों) में कार्य किया है, उपरोक्त संगठन (संगठनों) में विभागाध्यक्ष से पूर्व समाशोधन के बिना सेवानिवृत्ति के पश्चात् संवेदनशील सूचना से संबंधित किसी सामग्री को प्रकाशन नहीं करेगा, जिसका प्रकटन भारत की सम्प्रभुत्ता और एकता, राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या किसी विदेशी राज्य के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है या जिससे किसी अपराध को करने के लिए उकसाया जा सकता है;

(ख) सरकारी कर्मचारी, जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) की द्वितीय अनुसूची में शामिल किसी सतर्कता या सुरक्षा से सम्बन्धित संगठन (संगठनों) में कार्य किया है, वह पूर्वोक्त निबंधनों के संबंध में एक वचनबंध देगा और ऐसे वचनबंध का पालन करने में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी असफलता को इस नियम के अधीन गंभीर अवचार समझा जाएगा। पूर्वोक्त वचनबंध का एक नमूना इस नियम के अंत में उपलब्ध है।

(5) सरकार से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा उप–नियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरूद्ध अपील अगले उच्चतर प्राधिकारी को की जाएगी अर्थात् सरकार या राज्यपाल और अपील प्राधिकारी हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, जैसी भी स्थिति हो, के परामर्श से अपील पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा अपील प्राधिकारी समुचित समझे।

टिप्पण.– जहां किसी पेंशनर को न्यायिक कार्रवाईयों में उसके द्वारा सेवा के दौरान किए गए किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया है तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के स्पष्ट अनुपालन के लिए उसकी पेंशन में कोई कटोती अधिरोपित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा सिद्धदोष के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी करना पूर्वापेक्षा है।

व्याख्या.– इस नियम में, व्याख्या–

"गंभीर अपराध" में शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 19) के अधीन किसी अपराध को अंतर्वलित करने वाला अपराध शामिल है;

"गंभीर कदाचार" में किसी गोपनीय शासकीय कोड या पासर्वड या किसी स्कैच, योजना, मॉडल, आर्टिकल, टिप्पण, दस्तावेज या सूचना जैसा शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 19), की धारा 5 में वर्णित है; की संसूचना या प्रकटन शामिल है (जिसे सरकार के अधीन पद पर रहते हुए प्राप्त किया गया था) जो साधारण जनता या राज्य की सुरक्षा के हितों को प्रभावित करे;

"प्रकाशन" में प्रेस या इलेक्ट्रोनिक मीडिया को संसूचना प्रकट करना या किसी पुस्तक, पत्र, पैम्फलेट, पोस्टर या अन्य दस्तावेज का किसी रूप में प्रकाशन सम्मिलित है;

"सूचना" सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित या की पहुँच में अभिलेखों, दस्तावेजों, ज्ञापनों, ई–मेल, राय, परामर्श, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्रों, आदेशों, लाग–पुस्तकों, संविदाओं, रिपोर्टों, पेपरों, नमूनों, माडलों और किसी इलेक्ट्रॉनिकी रूप में डाटा सामग्री सहित किसी भी रूप में कोई भी सामग्री शामिल है;

वचनबध

[देखें नियम 10 (4)(ख)]

मैं .....जिसने .....(संगठन का नाम, संगठन जैसा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित है) में .....पद पर दिनांक..... से .....तक कार्य किया है, इसके द्वारा, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के सिवाए, मैं सेवा में रहते हुए या सेवा से मेरी सेवानिवृत्ति के पश्चात् किसी भी रीति में किसी सूचना को प्रकट नहीं करूंगा जिसे मैंने पूर्वोक्त संगठन में मेरे कार्य करने के आधार पर प्राप्त किया है और जिससे (i) भारत की सम्प्रभुत्ता और एकता, (ii) सुरक्षा, (iii) सामरिक, (iv) वैज्ञानिक, या (v) राज्य के आर्थिक हितों, या (vi) किसी विदेशी राज्य के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या (vii) जिससे किसी अपराध को कारित करने के लिए उकसाया जाए। यह घोषणा सुसंगत आचरण नियमों, पेंशन नियमों, शासकीय गोपनीयता या राष्ट्रीय सुरक्षा आसूचना संगठन (अधिकार निर्बन्धन) अधिनियम, जैसी भी स्थिति हो, से संबंधित अपराधों में कार्रवाई करने वाली विधियों के निबन्धों में मेरे उत्तरदायित्वों और दायित्वों के होते हुए भी है। मैं यह और सहमति देता हूं कि पूर्वोक्त वचनबंध में मेरे द्वारा किसी असफलता की अवस्था में, सरकार का निर्णय कि क्या उससे उपरोक्त वर्णित सात पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी, मुझ पर बाध्यकारी होगा।

2. मैं इस बात से भिज्ञ हूं कि पेंशन, जो मुझे मेरी सेवानिवृत्ति के पश्चात् सुसंगत पेंशन नियमों के निबंधनों में प्रदान की जा सकती है, को दिए गए वचनबंध में असफलता के लिए पूर्णतः या उसके किसी भाग को रोका जा सकता है या वापस लिया जा सकता है।

स्थानः .....

तिथिः ..... कर्मचारी के हस्ताक्षर

पेंशन से सरकारी देयों या अन्य की वसूली।

11. (1) किसी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध दावा ज्ञात होगा–

(i) जब पेंशन की संगणना की जा रही हो और पेंशन के वास्तव में स्वीकृत होने से पूर्व; या

(ii) पेंशन के स्वीकृत होने के पश्चात्, वसूली का प्रश्न उत्पन्न होगा।

(2) दावा और वसूली निम्नलिखित प्रर्वगों में से एक या अन्य हो सकता हैः–

(क) संबंधित व्यक्ति के भाग पर जब वह सेवा में था, असावधानी या कपट के परिणामस्वरूप सरकार को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए शास्ति के उपाय के रूप में वसूली;

(ख) सरकार के अन्य देयों, जैसे वेतन, भत्तों या अवकाश वेतन का अधिक जारी करना या स्वीकार्य और प्रत्यक्ष देयों जैसे आवास किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, मोटरकार, गृह निर्माण या अन्य ऋण व अग्रिम, अनुज्ञप्ति फीस आदि बकाया की वसूली;

(ग) गैर–सरकारी देयों की वसूली।

(3) पूर्वोक्त खंड (2) (ख) तथा (ग) में वर्णित वसूलियों को कर्मचारी के बकाया देयों जैसे वेतन और भत्तों, अवकाश वेतन, अवकाश नकदीकरण, मृत्यु–एवं सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन पर महंगाई राहत इत्यादि के बकायों से किया जाएगा तथापि, पूर्वोक्त में से किसी वसूली को मंजूर की जाने वाली या पहले से मंजूर पेंशन में से सिवाए पेंशनर की लिखित सहमति से नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी सहमति पेंशनर द्वारा नहीं दी जाती है, तो विधि के न्यायालय में वसूली के लिए वाद दायर किया जाएगा।

टिप्पण 1.– कार्यालयाध्यक्ष सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी के विरूद्ध सभी बकाया राशियों को कर्मचारी के देयों जैसे वेतन, अवकाश वेतन या अवकाश नकदीकरण, मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान इत्यादि के विरूद्ध समायोजित किया गया है। बकाया राशियां पूर्णतः वसूल की जानी सम्भव नहीं हो, तो बकाया राशि को मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान से प्रभावित होने वाली वसूली के लिए अन्तिम प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप में और पूर्णतः वर्णित किया जाएगा और यदि वसूली पेंशन से प्रभावित की जानी है, तो इसे अन्तिम प्रमाण पत्र पर स्पष्ट रूप में अभिलिखित किया जाएगा कि पेंशनर की पेंशन से वसूली करने हेतु उसका लिखित में अनुरोध या अभिव्यक्त सहमति प्राप्त कर ली गई है।

टिप्पण 2.– पेंशन से वसूली अनुज्ञेय नहीं है किन्तु यदि अंतिम वसूली की गई है, तो इसे संबंधित पेंशनर को वापिस करने की आवश्यकता नहीं है।

नियुक्ति प्राधिकारी को पेंशन रोकने या आहरण करने का अधिकार।

12. (1) नियुक्ति प्राधिकारी को पेंशन या उसके किसी भाग को, रोकने या बन्द करने चाहे स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, और सरकार को हुए धन सम्बन्धित किसी नुकसान की पूरी या उसके भाग को पूरा करने के लिए पेंशन से वसूली करने के आदेश करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि पेंशनर, विभागीय या न्यायिक कार्रवाईयों में, सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनःनियोजन में की गई सेवा सहित अपनी सेवा के दौरान–

(क) उस द्वारा किया गया गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी पाया जाता है किन्तु सरकार को कोई धन संबंधी हानि नहीं हुई है; या

(ख) अवचार या उपेक्षा द्वारा सरकार को धन संबंधी हानि हुई है :

परंतु हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या कोई अन्य अनुमोदित भर्ती अभिकरण, जैसी भी स्थिति हो, से अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परामर्श किया जाएगाः

परंतु यह और कि जहां पेंशन का कोई भाग रोका या बन्द किया जाता है, तो ऐसी पेंशन की राशि को समय–समय पर विहित न्यूनतम पेंशन की राशि से कम नहीं किया जाएगा।

टिप्पण.– पेंशन के लाभों को रोका जाएगा यदि सरकार को कोई वित्तीय हानि के सम्बन्ध में हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 8 के अधीन विभागीय कार्रवाईयां सेवानिवृत्ति के समय लंबित है।

(2) (क) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट विभागीय कार्रवाईयां, यदि तब संस्थित की गई हैं जब सरकारी कर्मचारी सेवा में था चाहे उसकी सेवा निवृत्ति से पूर्व या उसके पुनर्नियोजन के दौरान, सरकारी कर्मचारी की अंतिम सेवा निवृत्ति के पश्चात् उन्हें इस नियम के अधीन कार्रवाईयां समझा जाएगा और वे प्राधिकारी द्वारा उसी रीति में जारी रखी जाएंगी और समाप्त की जाएंगी जिसमें उन्हें आरंभ किया गया था जैसा कि सरकारी कर्मचारी सेवा में हो;

(ख) विभागीय कार्रवाईयां, यदि तब संस्थित नहीं की गई थी जब सरकारी कर्मचारी सेवा में था चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसके पुनर्नियोजन के दौरान, तो–

(i) सरकार की मंजूरी के सिवाए संस्थित नहीं की जाएंगी;

(ii) ऐसी किसी घटना के संबंध में नहीं की जाएंगी जो ऐसे संस्थित होने से चार वर्ष से पूर्व हुई हो; और

(iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर जैसा सरकार निर्देश करे और विभागीय कार्रवाईयों को लागू प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा जिसमें सरकारी कर्मचारी को सेवा के दौरान सेवा से पदच्युत करने का आदेश किया जा सकता है।

(3) सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर या अन्यथा सेवानिवत्त हो गया है और जिसके विरूद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाईयां संस्थित की गई हैं या जहां विभागीय कार्रवाईयां उप–नियम (2) के अधीन जारी हैं, यथा उपबंधित अनन्तिम पेंशन मंजूर की जाएगी।

(4) जहां नियुक्ति प्राधिकारी पेंशन रोकने या बन्द करने का निर्णय नहीं लेता है किन्तु पेंशन से धन संबंधी हानि को वसूल करने का आदेश करता है, तो साधारणतया वसूली सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को अनुज्ञेय पेंशन के एक–तिहाई से अधिक की दर पर नहीं की जाएगी।

(5) इस नियम के प्रयोजन के लिए–

(क) विभागीय कार्रवाईयां उस तिथि को संस्थित की गई समझी जाएंगी जिस दिन आरोपों का विवरण सरकारी कर्मचारी या पेंशनर को जारी किया गया है या उस तिथि से यदि सरकारी कर्मचारी को किसी पूर्वत्तर तिथि से निलंबन के अधीन रखा गया है; और

(ख) न्यायिक कार्रवाईयां संस्थित की गई समझी जाएंगी–

(i) आपराधिक कार्रवाईयों की दशा में उस तिथि को जिसको उसके विरूद्ध शिकायत की जाती है या पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट जिस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है; और

(ii) सिविल कार्रवाईयों की दशा में, उस तिथि को जिसको न्यायालय में वादपत्र दायर किया जाता है।

टिप्पण 1.– पूर्वोक्त निर्दिष्ट किस्म की कार्रवाईयां संस्थित करने के यथाशीघ्र वह प्राधिकारी जिसने ऐसी कार्रवाईयां संस्थित की हैं अविलंब प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा और संबंधित खजाना अधिकारी को तथ्यों से सूचित करेगा।

टिप्पण 2.– उस दशा में जिसमें पेंशन इस प्रकार रोकी या वापस नहीं ली जाती है किन्तु पेंशन से सरकार को धन संबंधी हुई हानि की वसूली करने का आदेश होता है, तो साधारणतया वसूली सारांशित की गई किसी राशि सहित मूलतः मंजूर की गई समग्र पेंशन के एक–तिहाई से अधिक की दर पर नहीं की जाएगी।

13. (1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, कोई भी सरकारी कर्मचारी हरियाणा सरकार से एक समय पर दो सेवा पेंशन अर्जित नहीं करेगा। पेंशनों की संख्या की परिसीमाएं।

(2) नियम 18 में यथा उपबंधित के सिवाए, कोई सरकारी कर्मचारी जो अधिवर्षिता पेंशन या सेवानिवृत्ति पेंशन आहरित करते हुए पश्चात्वर्ती रूप में पुनः नियोजित किया जाता है तो पुनःनियोजन की सेवा की अवधि के लिए पृथक पेंशन या उपदान का हकदार नहीं होगा।

———————

अध्याय–IV

पेंशन की अर्हक सेवा

पेंशन के लिए अर्हक सेवा।

14. (1) "अर्हक सेवा" शब्द को इन नियमों के अध्याय 2 में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नियमित आधार पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा की निम्नलिखित अवधियां भी पेंशन के लिए अर्हक होगीः–

(क) विदेश सेवा की ड्यूटी अवधि; बशर्ते मूल विभाग को पेंशन अशंदान किया गया है।

(ख) पुनः बहाली द्वारा अनुसरणित निलंबन, पदच्युत, पद से हटाना, अनिवार्य सेवा निवृत्ति की अवधि, जिसे ड्यूटी के रूप में समझा गया है या ऐसी अवधि को किसी प्रकार के देय अवकाशों में परिवर्तित करते हुए भी नियमों के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक पेंशन के लिए अर्हक होगी।

(ग) सेवा की कोई अन्य अवधि, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन के प्रयोजन के लिए ड्यूटी की अवधि माना गया है।

(घ) विभागीय प्रशिक्षण की अवधि, नियमित नियुक्ति द्वारा तुरन्त अनुसरणित, जिसका नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व किया जाना अपेक्षित हो, चाहे प्रवेश स्तर वेतन के स्थान पर नाममात्र भत्ता ही प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अनुज्ञात किया गया हो।

टिप्पण.– अकार्य दिवस की अवधि, यदि कोई हो, को पेंशन के लिए अर्हक नहीं माना जाएगा।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए हरियाणा सरकार के एक या अधिक विभागों में बाधित सेवा या लगातार सभी नियमित सेवाओं को नियम 15 के प्रावधानों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए पेंशन के अर्हक सेवा माना जाएगाः–

(i) बाधिता सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से परे के कारणों द्वारा हुई है;

(ii) बाधिता से पूर्व सेवा न्यूनतम दो वर्ष या अधिक की होगी;

(iii) बाधिता एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी;

(3) नियमितिकरण अनुसरिणत तदर्थ सेवा की भी नियम 15 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना की जाएगी। सेवा में दो या अधिक अंतरालों पर अवरोध की अवधि का पूर्वोक्त उपनियम (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए लोप किया जाएगा।

(4) नियमितिकरण अनुसरणित करते हुए 12 दिसम्बर, 1997 को या के बाद सेवा से निवृत होने वाले किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा, जिसका भुगतान आकस्मिकताओं से किया गया है, अर्हक सेवा के रूप में हिसाब की जाएगी बशर्ते सेवा में–

(i) कार्य ऐसे होगा, जिसमें पूर्णकालिक नियोजन अंर्तवलित हो और न कि दिन के किसी भाग के लिए अंशकालिक;

(ii) कार्य या संकर्म की किस्म ऐसी होगी, जिसमें नियमित पद स्वीकृत किया गया होता;

(iii) कार्य ऐसा होगा, जिसके लिए भुगतान या तो मासिक आधार पर या दैनिक दरों पर संगणित किया गया हो और मासिक आधार पर भुगतान किया गया हो तथा जो तथापि, नियमित वेतनमान/वेतन ढांचे के सदृश न हों, किंतु उसमें उनके वेतन बारे कुछ संबंध होना चाहिए, जिन्हें ऐसे ही कार्य के लिए नियमित प्रतिष्ठानों के कर्मचारिवृंद द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए भुगतान किया जाता है ; और

(iv) सतत और बिना किसी रुकावट के नियमित नियोजन में समावेशन।

टिप्पण.– किसी आकस्मिक भुगतान कर्मचारी को नियमित प्रतिष्ठापन में लाते समय आकस्मिक सेवा के सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि उसकी सेवा पुस्तिका में समुचित स्थान पर की जाएगीः–

"दिनांक..... से ..... तक सेवा आकस्मिकताओं से भुगतान की गई है, जिन्हें अवगत नामावलियों और आकस्मिक बीजकों की कार्यालय प्रतियों से सत्यापित किया गया है।

पूर्वोक्त प्रविष्टि को तिथि सहित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(5) वर्क चार्ज के रूप में किसी कर्मचारी द्वारा की गई संपूर्ण सेवा पेंशन के लिए हिसाब की जाएगी, बशर्ते–

(i) ऐसी सेवा नियमित नियोजन द्वारा अनुसरणित की गई है;

(ii) सेवा की दो या अधिक अवधियों के बीच अवरोध की अवधि का पूर्वोक्त उपनियम (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए लोप किया जाएगा;

(iii) ऐसी सेवा पूर्णकालिक नियोजन है और न कि दिन के किसी भाग के लिए अंशकालिक।

पेंशन के लिए पूर्व सेवा का लाभ।

15. (क) किसी अन्य सरकार से हरियाणा सरकार में नियुक्ति पर.–

(1) केंद्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार (सिवाए जम्मू–कश्मीर) का कोई कर्मचारी, जो पेंशन नियमों के अधीन आता है, उसके.–

(क) स्थायी स्थानांतरण ; या

(ख) पश्चात्वर्ती नियुक्ति

पर पूर्ववर्ती सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित पेंशन के लिए पूर्व अर्हक सेवा के लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा; बशर्ते यह कि उसने अपना आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत किया हो।

टिप्पण 1.– पूर्ववर्ती अर्हक सेवा का लाभ लेने के लिए, सरकारी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को अपना आवेदन हरियाणा सरकार की सेवा ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करेगा।

टिप्पण 2.– सरकारी कर्मचारी द्वारा दी गई अर्हक सेवा के संबंध में प्रमाण पत्र स्थायी स्थानांतरण या पश्चात्वर्ती नियुक्ति, जैसी भी स्थिति हो, के बाद सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाएगा और न की सेवानिवृत्ति के समय।

टिप्पण 3.– किसी एक सरकार से दूसरी सरकार में नियुक्ति पर, पेंशनरी लाभों, इसमें पूर्ववर्ती सरकार की पूर्व अर्हक सेवा भी शामिल है, का दायित्व, उस सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जिससे सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी स्थायी रूप से संबंधित है। (सरकारी लेखांकन नियम, 1990 का परिशिष्ट 5 भी देंखे)

टिप्पण 4.– इस नियम के अधीन अनुज्ञेय पेंशन के लिए पूर्व अर्हक सेवा के लाभ प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वित्त विभाग के परामर्श से प्रशासनिक विभाग होगा।

(ख) किसी पेंशनयोग्य संगठन से हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग में नियुक्ति पर.–

(क) संगठन से किसी विभाग में दोनों हरियाणा सरकार के अधीन या विपर्ययेन; या

(ख) भारत सरकार के अधीन केवल पेंशनयोग्य वैधानिक निकाय से हरियाणा सरकार के अधीन विभाग में या विपर्ययेन;

से किसी कर्मचारी के समावेशन या पश्चात्वृर्ती नियुक्ति पर, पूर्व अर्हक सेवा का लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा कि–

(i) पूर्ववर्ती अर्हक सेवा के सेवांत लाभ, यदि कोई पूर्ववर्ती संगठन से प्राप्त किया गया है, तो हरियाणा की संचित निधि में सामान्य भविष्य निधि को लागू दर (दरों) पर ब्याज सहित जमा करना होगा। ब्याज सामान्य भविष्य निधि को लागू दर पर उदगृहीत किया जाएगा और उसकी हरियाणा सरकार के अधीन सेवा ग्रहण करने की तिथि से राज्य के खजाने में जमा करने की तिथि तक उसी रीति में (अर्थात् वार्षिक संगणना सहित) समय–समय पर संगणना की जाएगी ; और

(ii) पश्चात्वर्ती नियुक्ति की दशा में आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

टिप्पण.– सक्षम प्राधिकारी के लिए पूर्वोक्त उपनियम (क) का टिप्पण 4 देखें।

(ग) हरियाणा सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग में नियुक्ति पर.–

हरियाणा के एक विभाग से दूसरे विभाग में नियुक्ति पर, पेंशन के लिए पूर्व अर्हक सेवा के लाभ अनुज्ञेय होंगे बशर्ते यह कि वह विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया गया है कि नई/पश्चात्वर्ती नियुक्ति के लिए आवेदन समुचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

(घ) पेंशनयोग्य से गैर–पेंशनयोग्य संगठन में नियुक्ति पर.–

किसी सरकारी कर्मचारी की किसी विभाग से किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी गैर–पेंशनयोग्य संगठन में स्थायी समावेशन या पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर, अनुपात पेंशन का लाभ स्थाई समावेशन या पश्चात्वर्ती नियुक्ति, से पहले जैसी भी स्थिति हो, पूर्व दी गई अर्हक सेवा के लिए संबधित सरकारी कर्मचारी को एकमुश्त या अन्यथा उसके द्वारा प्रयोग विकल्प के अनुसार अनुज्ञेय होगा; बशर्ते कि उस द्वारा आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो। अनुपात पेंशन का लाभ स्थायी समावेशन या पश्चात्वर्ती नियुक्ति की तिथि से सभी प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सभी प्रकार से पूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के छः मास के अन्दर–अन्दर दिया जाएगा। पदधारी सेवा से त्याग–पत्र देता है, तो वह एक तकनीकी औपचारिकता होगी। स्थायी समावेशन या पश्चात्वर्ती नियुक्ति की तिथि के बाद मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन अनुज्ञेय नहीं होगी।

टिप्पण.— इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्चतर हो, होगा।

पश्चात्वर्ती नियुक्ति ग्रहण करने हेतु त्यागपत्र का एक तकनीकी त्यागपत्र होना।

16. एक विभाग से दूसरे विभाग में या किसी अन्य सरकार से हरियाणा सरकार में नई/पश्चात्वर्ती नियुक्ति ग्रहण करने से पूर्व धारित पद से त्यागपत्र को तकनीकी त्यागपत्र समझा जाएगा; बशर्ते नई/पश्चात्वर्ती नियुक्ति के लिए आवेदन, उचित माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो या उस समय संबंधित सरकारी कर्मचारी किसी विभाग/संगठन में किसी सरकार के अधीन सेवा में नहीं था।

अधिवर्षिता पेंशन के लिए अर्हक सेवा में विशेष परिवर्धन।

17. (1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, कोई सरकारी कर्मचारी, जो सेवा या पद से निवृत्त होता है, अधिवर्षिता पेंशन (किंतु पेंशन के किसी अन्य किस्म के लिए नहीं) के लिए अर्हक सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगा.—

(i) उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अनधिक वास्तविक अवधि ; या

(ii) वास्तविक अवधि, जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती है ; या

(iii) पांच वर्ष की अवधि,

इनमें से जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद, जिसमें सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कोई एक है.—

(क) जिसके लिए प्रौद्योगिकी या व्यावसायिक क्षेत्र में विशिष्ट वैज्ञानिक स्नातकोत्तर अनुसंधान या अर्हता या अनुभव अनिर्वाय है ; और

(ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीद्वार भर्ती किए गए हैं

परंतु यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी, जिनकी.—

(i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न की पदोन्नति द्वारा ;

(ii) वास्तविक अर्हक सेवा अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के समय दस वर्ष या अधिक है ;

(iii) किसी ऐसे पद पर नियुक्ति, जिसके लिए भर्ती नियमों में यह विशिष्ट उपबंध अंतर्विष्ट है कि जिसमें सेवा या पद वह है, जो इस नियम का लाभ ले सकता है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति को भी लागू होगी; बशर्ते सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा को अधिवर्षिता पेंशन के लिए हिसाब में लेने का हकदार होगा या उपनियम (1) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा। वह इस आशय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा। एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अंतिम होगा।

(3) बार से सीधी भर्ती द्वारा वरिष्ठ न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति की दशा में, बार में वास्तविक व्यवसाय की दस वर्ष से अनधिक अवधि को अधिवर्षिता पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अर्हक सेवा में जोड़ा जाएगा।

टिप्पण.— इस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से भर्ती की तिथि से दो वर्ष के भीतर लिया जाएगा।

पेंशन के लिए सैनिक सेवा का लाभ।

18. सैनिक नियमों के अधीन सैनिक पेंशन अर्जित किए बिना निर्मुक्त किसी भूतपूर्व सैनिक की हरियाणा सरकार के किसी विभाग में प्रथम जनवरी, 2006 से पूर्व पुनः नियोजन पर, पेंशन के लिए अर्हक पूर्व सैनिक सेवा सैनिक प्राधिकरणों से प्राप्त पेंशनरी लाभों का ब्याज सहित, 36 किस्तों में या एकमुश्त प्रतिदाय करने के अध्यधीन सेवानिवृत्ति के समय पर सिविल पेंशन के लिए गिनती की जाएगी। ब्याज सामान्य भविष्य निधि को लागू दर पर उदगृहीत किया जाएगा और पेंशनरी लाभों की प्राप्ति की तिथि से सरकार को प्रतिदाय करने की तिथि तक की अवधि के लिए उसी रीति में (अर्थात् वार्षिक संगणना सहित) समय–समय पर संगणना की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए सिविल सेवा ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर विकल्प का उपयोग किया जाएगा। पूर्ववर्ती अर्हक सैनिक सेवा की गिनती का अधिकार तब तक पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा जब तक संपूर्ण राशि का प्रतिदाय नहीं कर दिया जाता है। सैनिक और सिविल सेवा, यदि कोई हो, के बीच तीन वर्ष तक के ब्रेक माफी सहित लाभ, विभागाध्यक्ष या नियुक्ति प्राधिकारी, जो भी उच्चतर हो, द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

टिप्पण 1.— ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसने पेंशन लाभों का प्रतिदाय करने का चयन किया है, संपूर्ण राशि का प्रतिदाय करने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पेंशनरी लाभों की अप्रतिदाय राशि का मृत्यु उपदान, जो उसके परिवार को भुगतानयोग्य हो जाता है, के विरुद्ध समायोजन किया जाएगा।

टिप्पण 2.– उन मामलों में, जहां पेंशनरी लाभों के लिए पूर्व सेवा की संगणना करने के लिए कर्मचारी द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् यदि, व्यक्ति सैनिक प्राधिकरणों से उसके द्वारा पहले ही प्राप्त पेंशनरी लाभों की राशि को सरकार से संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर जमा नहीं करता है, तो ब्याज की सामान्य दर के अतिरिक्त व्यतिक्रम की अवधि के लिए दस प्रतिशत वार्षिक की दर से दांडिक ब्याज भी प्रभारित किया जाएगा।

टिप्पण 3.– सैनिक सेवा की गणना करने के संबंध में स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति के समय प्रदान की जाएगी और न कि उसकी सिविल सेवा से निवृत्ति के समय। ऐसे मामले में प्रदान की गई स्वीकृति से पूर्वोक्त यथाविनिर्दिष्ट ब्याज सहित वसूलनीय पेंशनरी लाभों की एकमुश्त राशि का भी विशिष्ट रूप से वर्णन करने की अपेक्षा की जाएगी। सिविल पेंशन के लिए भूतपूर्व सैनिक सेवा के लाभ प्राप्त करने के अनुक्रम में एक बार जमा किए गए उपदान को किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस भुगतान नहीं किया जाएगा।

अपील पर पुनः बहाली की दशा में पूर्व सेवा का लाभ।

19. (क) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसे सार्वजनिक सेवा से पदच्युत कर दिया गया है, हटा दिया गया है या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है, जिसे अपील या पुनर्विलोकन पर पुनः बहाल कर दिया जाता है, वह पेंशन के लिए अर्हक पूर्व सेवा को गिनती में लेने का हकदार होगा।

(ख) जहां, पुनः बहाली द्वारा अनुसरणित, पदच्युत, पद से हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जैसी भी स्थिति हो, के बीच की अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ड्यूटी मानी जाती है, तो उसकी गिनती पेंशन के प्रयोजन के लिए भी की जाएगी। यदि उसे किसी प्रकार के देय अवकाश में संपरिवर्तित कर दिया जाता है तो वह नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सीमा तक पेंशन के लिए अर्हक होगी, बशर्ते प्राप्त मासिक पेंशन का समायोजन अवकाश वेतन के विरूद्ध किया जाएगा । जिन मामलों में बीच की अवधि असाधारण अवकाश में परिवर्तित की गई है वहां ऐसी अवधि के लिए प्राप्त पेंशन की वापसी की आवश्यकता नहीं होगी । शेष सेवानिवृत्ति लाभ के बारे में सरकारी कर्मचारी विकल्प प्रस्तुत करेगा कि या तो वह ऐसे लाभ तीन मास के अन्दर–अन्दर वापिस जमा करवाए या अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के समय सामान्य भविष्य निधि पर लागू ब्याज दर के साथ ऐसे लाभों का समायोजन करवाए।

टिप्पण.– जहां निलंबन की अवधि, यदि कोई है, को ड्यूटी नहीं माना जाता है, तो पूर्व अर्हक सेवा का समपहरण नहीं किया जाएगा।

विभिन्न स्टेशनों पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर सेवा में व्यवधान।

20. उन मामलों में, जहां सेवा में व्यवधान विभिन्न स्टेशनों पर दो नियुक्तियों के कारण अपरिहार्य है, तो ऐसा व्यवधान, जो लोकहित में स्थानांतरण पर नियमों के अधीन ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए अनुज्ञेय सीमा से अधिक नहीं है, को निम्नलिखित द्वारा कवर किया जाएगा.–

(i) हरियाणा सरकार के एक विभाग से अन्य विभाग में पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर अनुतोष की तिथि को सरकारी कर्मचारी को देय किसी प्रकार के अवकाश; और

(ii) सभी अन्य मामलों में, नियम 14(2) के अधीन औपचारिक माफी।

पेंशन के लिए पूर्व सेवा का समपहरण।

21. अन्यथा उपबंधित के सिवाए, सरकारी कर्मचारी की पूर्व सेवा का निम्नलिखित परिस्थितियों में पेंशन और मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के लिए समपहरण कर लिया जाएगाः–

(क) ड्यूटी से जानबूझकर कारित अनुपस्थिति के कारण व्यवधान ;

(ख) सार्वजनिक सेवा से त्यागपत्र; या

(ग) हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 2016 के अधीन सेवा से पदच्युति या हटाना

प्रतिकर या अशक्तता पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर को पुनर्नियोजन पर पूर्व सेवा का लाभ।

22. हरियाणा सरकार के किसी विभाग में कार्य करते हुए कोई सरकारी कर्मचारी, जो प्रारंभ में सेवा में नियमित आधार पर प्रथम जनवरी, 2006 से पूर्व प्रवेश करता है, किंतु बाद में.–

(i) उसको पद के समाप्त होने के कारण सरकारी सेवा से प्रतिकर पेंशन या सेवा उपदान के साथ सेवा से हटा दिया जाता है; या

(ii) वह अशक्तता पेंशन या सेवा उपदान सहित स्थायी अक्षमता के कारण सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है, किंतु वह पर्याप्त रूप से स्वस्थ हो जाता है;

यदि वह अधिवर्षिता की आयु से पूर्व पुनः नियोजित किया जाता है, तो वह पेंशन के लिए पूर्व सेवा के लाभ का नियम 18 के प्रावधान के अनुसार ब्याज सहित पेंशन लाभों के प्रतिदाय की शर्त के अधीन रहते हुए हकदार होगा। इस प्रयोजन के लिए पुनर्नियोजन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर विकल्प का उपयोग किया जाएगा। यदि ऐसा पेंशनर पहले ही प्राप्त पेंशन लाभों का प्रतिदाय करने का विकल्प नहीं देता है, तो वह अंशदायी पेंशन स्कीम के अधीन कवर होगा।

सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः नियोजन का पेंशन के लिए अर्हक नहीं होना।

23. (1) कोई भी सरकारी कर्मचारी पुनर्नियोजित होने की दृष्टि से और हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन में वेतन के अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त नहीं होगा।

(2) सिवाए वहां, जहां लोकहित में और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से पूर्ण रूप में अस्थायी क्षमता में ऐसा करना सर्वथा आवश्यक हो, कोई व्यक्ति जो अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पेंशन ले रहा है, उसे सेवा में पुनर्नियोजित नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी के पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पुनर्नियोजन का विस्तार नहीं किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन में की गई सेवा पेंशन के लिए अर्हक नहीं होगी।

अध्याय–V

विभिन्न किस्म की पेंशन और पेंशन प्रदान करने के लिए शर्तें

पेंशन के प्रकार।

24. पेंशन चार प्रकार की होती है जो निम्नानुसार हैः–

(क) प्रतिकर पेंशन;

(ख) अशक्तता पेंशन;

(ग) सेवानिवृत्ति पेंशन;

(घ) अधिवर्षिता पेंशन।

प्रतिकर पेंशन का अनुदत्त किया जाना।

25. (1) जब सरकारी कर्मचारी की सेवाओं को उसके पद के समाप्त होने के कारण समाप्त कर दिया जाता है, तो उसके पास निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प होगा—

(क) प्रतिकार पेंशन लेना, जिसके लिए उसके द्वारा की गई दस वर्ष या उससे अधिक की सेवा के कारण वह हकदार हो सकेगा; या

(ख) कोई अन्य पद स्वीकार करना या किसी अन्य स्थापना में स्थानान्तरण, चाहे निम्नतर वेतनमान/पद, यदि प्रस्ताव किया जाए और पेंशन के लिए अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा की गणना करवाना।

(2) (क) कम से कम तीन मास का नोटिस या कम पड़ने वाली नोटिस अवधि के बदले में सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके पद को समाप्त करने पर उसकी सेवाओं को समाप्त करने से पूर्व वेतन और भत्ते दिये जाएंगे।

(ख) सरकारी कर्मचारी की सेवाएं खंड–(क) के अधीन उसे दिए गए नोटिस के बदले में वेतन और भत्तों का भुगतान करने पर तुरंत प्रभाव से समाप्त समझी जाएंगी। वह ऐसी निर्मुक्ति के अगले दिन से प्रतिकर पेंशन का हकदार होगा, यदि अन्यथा अनुज्ञेय हो और पेंशन को उस अवधि के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसे वेतन और भत्तों का भुगतान किया गया है।

टिप्पण.– नोटिस अवधि के बदले भुगतान किए गए वेतन और भत्तों में आवास किराया भत्ता और अन्य प्रतिकर भत्ते शामिल हैं और वह उक्त अवधि के लिए प्रतिकर पेंशन के अतिरिक्त होंगे।

(3) कोई सरकारी कर्मचारी जिसे नोटिस की अवधि के बदले में वेतन और भत्ते अनुदत्त किए गए हैं, यदि नोटिस की अवधि की समाप्ति से पूर्व जिसके लिए उसने वेतन और भत्ते प्राप्त किए हैं, पुनः नियोजित हो जाता है, तो उससे वेतन और भत्तों का प्रतिदाय करने की अपेक्षा की जाएगी।

अशक्तता पेंशन का अनुदत्त किया जाना।

26. (1) अशक्तता पेंशन किसी सरकारी कर्मचारी को अनुदत्त की जा सकती है जो किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित शारीरिक या मानसिक अशक्तता जो उसे स्थायी रूप से सेवा करने में अक्षम करती है, के कारण सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी को जब भी उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि सरकारी कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य नहीं है, तो सरकारी कर्मचारी से उसके पद के कर्त्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए उसकी शारीरिक योग्यता की जांच करने के लिए किसी चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

टिप्पण 1.– इस नियम के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 47 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। धारा 47 का सार इस नियम के अंत में उपलब्ध है।

टिप्पण 2.– कर्मचारियों का कोई विशिष्ट समूह, जिन पर ये नियम लागू होते हैं, परन्तु जिन्हें निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रभाव से सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुक्त किया गया है, पर अधिनियम के अधीन लाभों के बदले अशक्तता पेंशन के लिए विचार किया जाएगा।

(2) यदि अक्षमता प्रत्यक्षतः अनैतिक या नशाखोरी की आदतों के कारण है, तो कोई पेंशन अनुदत्त नहीं की जाएगी। यदि यह ऐसी आदतों द्वारा प्रत्यक्षतः कारित नहीं हुई है किन्तु उनसे इसमें वृद्धि हुई है या गम्भीर हुई है, तो यह प्राधिकारी, जिसके द्वारा पेंशन अनुदत्त की जानी है, विनिश्चय करेगा कि इस कारण से कितनी कटौती की जाए।

(3) चिकित्सा अधिकारी द्वारा सेवा के लिए अक्षमता का कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र तब तक अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक यह प्रमाणपत्र उपदर्शित न कर दे कि कार्यालयाध्यक्ष आवेदक के चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के आशय से भिज्ञ है।

(4) चिकित्सा बोर्ड निःशक्तता के लिए उत्तरदायी रोग को विनिर्दिष्ट करते हुए सरकारी कर्मचारी की निःशक्तता के कारणों को अभिलिखित करेगा और केवल वृद्धावस्था या बढ़ती आयु प्राकृतिक क्षय के कारण अक्षमता का साधारण प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं होगा।

टिप्पण.– बुढ़ापा होना, बुढ़ापे के फलस्वरूप क्षय के कारण धमनियों में परिर्वतन, सामान्य तंत्रिका खराबियां, और मोतियाबिंद शुरू होने को विशेष बीमारी के रूप में माना जा सकता है।

(5) जहां चिकित्सा बोर्ड द्वारा सरकारी कर्मचारी को जो पहले कर रहा था उससे कम परिश्रम की प्रकृति की सेवा के लिए आगे फिट घोषित कर दिया जाता है, तो उसे निम्नतर पद पर नियोजित किया जाएगा बशर्ते की वह इस के लिए इच्छुक हो और यदि उसे निम्नतर पद पर नियोजित किए जाने का कोई उपाय नहीं है तो उसे अशक्तता पेंशन पर सेवा से निवृत्त किया जा सकता है।

(6) अशक्तता पेंशन या अन्यथा के लिए भारत में या से बाहर सरकारी कर्मचारी द्वारा आवेदन की दशा में चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले चिकित्सा प्रमाणपत्र का प्ररुप इस प्रकार है :–

"प्रमाणित किया जाता है कि हमने सावधानीपूर्वक श्री.....पुत्र..... ....., आयु ..... वर्ष जो ....पद पर ..... (कार्यालय/विभाग) में नियोजित किया गया है मामले के सभी तथ्यों के साथ–साथ उसकी वर्तमान स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात, हम उसे विभाग में जिससे वह संबंधित है, पूर्णतः और स्थायी रूप से किसी प्रकार की अगामी सेवा के लिए ..... के कारण अक्षम समझते हैं (यहां रोग और कारणों का कथन करें)।

टिप्पण 1.– यदि अक्षमता नशाखोरी के कारण स्वयंसिद्ध है, तो अंतिम वाक्य को नीचे दिए अनुसार प्रतिस्थापित करें :

"हमारी राय में उसकी अक्षमता अनियमित या नशाखोरी की आदतों के कारण है।"

टिप्पण 2.– यदि अक्षमता पूर्ण और स्थायी प्रतीत नहीं होती है, तो प्रमाणपत्र को तदानुसार उपांतरित किया जाएगा और निम्नलिखित परिवर्धन किया जाएगाः–

"हमारी यह राय है कि श्री .....जो वह पहले कार्य कर रहा है उस से कम परिश्रम की किस्म की सेवा के लिए योग्य है या ....दिन का आराम करने के पश्चात् उस सेवा, जिस पर वह कार्य कर रहा है, से कम परिश्रम की किस्म की अगामी सेवा के लिए योग्य हो जाएगा।"

स्थान : .....

तिथि : ..... चिकित्सा बोर्ड

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

47.(1) कोई भी स्थापना, ऐसे कर्मचारी को जो सेवा के दौरान निःशक्त हो जाता है, सेवोन्मुक्त या पद से अवनत नहीं करेगी। परंतु यदि कोई कर्मचारी निःशक्त हो जाने के पश्चात् उस पद के लिए, जिसको वह धारण करता है, उपयुक्त नहीं रहा है, तो उसे, उसी वेतनमान और सेवा संबंधी लाभों वाले किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि किसी कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है, तो उसे समुचित पद उपलब्ध होने तक या उसके द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकता है।

(2) किसी व्यक्ति को, केवल उसकी निःशक्तता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा : परंतु यह कि समुचित सरकार, किसी स्थापना में किए जा रहे कार्य की किस्म को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो ऐसी अधिसूचना में विहित की जाएं, किसी स्थापना को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

धारा 2(i) के अनुसार निःशक्तता से अभिप्राय है.–

(i) अन्धता ;

(ii) कम दृष्टि ;

(iii) कुष्ठ रोग;

(iv) श्रवण शक्ति का ह्रास ;

(v) चलन निःशक्तता ;

(vi) मानसिक संदता ;

(vii) मानसिक रुग्णता।

सेवानिवृत्ति पेंशन का अनुदत्त किया जाना।

27. सरकारी कर्मचारी को निम्नलिखित मामलों में सेवानिवृत्ति पेंशन अनुदत्त की जाएगी —

(i) समय–पूर्व सेवानिवृत्ति; या

(ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति;

अधिवर्षिता पेंशन का अनुदत्त किया जाना।

28. किसी सरकारी कर्मचारी को अधिवर्षिता पेंशन अनुदत्त की जाएगी जो अनुज्ञेयता की शर्त के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा या उसके द्वारा धारित पद, जैसी भी स्थिति हो, के लिए विहित अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर सेवा से निवृत्त हो जाता है।

अनुकम्पा भत्ते का अनुदत्त किया जाना।

29. (1) किसी सरकारी कर्मचारी को कोई पेंशन अनुदत्त नहीं की जाएगी, जिसे कदाचार, दिवालियापन या अक्षमता के कारण पदच्युत या हटाया गया हो। तथापि उन मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी विशेष विचारण की योग्यता रखता है, प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुकम्पा भत्ता अनुदत्त किया जा सकता है :

परंतु सरकारी कर्मचारी को अनुदत्त अनुकम्पा भत्ता, पेंशन के दो तिहाई से अधिक नहीं होगा, जो उसे अनुज्ञेय होती यदि वह उस दिन अनिवार्यतः सेवानिवृत्त हुआ होता और यह समय–समय पर विहित न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगा। तथापि, सरकारी सेवा से कदाचार, दिवालियापन या अक्षमता के लिए पदच्युत या हटाए गए सरकारी कर्मचारी को कोई उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा।

(2) यह नियम सरकार को कोई अनुकम्पा भत्ता प्रदान किए जाने या नहीं किए जाने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक मामले पर उसके गुणदोष के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं पर निष्कर्ष तैयार करके विचार किया जाएगा :–

(i) वास्तविक अवचार या अवचार का प्रक्रम जो सरकारी कर्मचारी की पदच्युति या पद से हटाने का कारण है और सेवा की गुणवत्ता जो उसने की है;

(ii) यदि अवचार के प्रक्रम से विधिमान्य निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी कर्मचारी की सेवा बेईमानी पूर्ण रही है, तो अनुकम्पा भत्ते के लिए कोई सही कारण मुश्किल से ही हो सकता है;

(iii) अनुकम्पा भत्ता अनुदत्त करने के लिए निर्धनता अनिवार्य पूर्व शर्त नहीं है किन्तु इस तथ्य पर समयानुसार विशेष ध्यान दिया जा सकता है कि कर्मचारी पर पत्नी और बालक निर्भर हैं।

(3) उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जिनकी पदच्युति या सेवा से हटाना उन आपत्तिजनक गतिविधियों में भागीदारी के कारण है, जो राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं या खतरे में डालती हैं, ऐसी समानुपाती पेंशन अनुदत्त की जा सकेगी जो हरियाणा सिविल सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा के सुरक्षोपाय) नियम, 1971 के अधीन गठित सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश की जाए।

टिप्पण 1.– इस भत्ते के सारांशीकरण को भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्तिकर्ता से केवल वचनबंध पर कि सारांशीकरण के आगमों का सारांशीकरणकर्ता के परिवार के स्थायी लाभ के लिए निवेश किया जाएगा, मंजूर किया जा सकेगा।

टिप्पण 2.– अनुकम्पा भत्ता अनुदत्त करने के समय पेंशन की राशि, जो उसे अनुज्ञेय है, यदि वह अनिवार्यतः सेवानिवृत्त हुआ होता, का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सेवा में खामियों को माफ नहीं किया जाएगा।

———————

अध्याय–VI

पेंशन की राशि

पेंशन के लिए अर्हक सेवा की संगणना।

30. पेंशन की राशि का अवधारण अर्हक सेवा की अवधि द्वारा किया जाएगा जिसकी संगणना अर्धवार्षिक अवधि के पूरा होने के निबंधनों में की जाएगी। तीन मास या उससे अधिक के भाग को इस प्रयोजन के लिए पूरा अर्द्धवर्ष माना जाएगा।

पेंशन की संगणना रुपये में और भुगतानयोग्य भारत में।

31. पेंशन रुपये में नियत की जाएगी और रुपये के भाग को अगले उच्चतर रुपये में अंतिम स्तर पर पेंशन की संगणना करते समय पूर्णांकित कर दिया जाएगा। पेंशन भारत में भुगतानयोग्य होगी।

मासिक पेंशन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा।

32. पेंशन के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हक सेवा दस वर्ष है। किसी भी कारण से दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने से पूर्व सेवा से निवृत्ति पर, पेंशन अनुज्ञेय नहीं होगी। ऐसी दशा में, सेवानिवृत्ति उपदान के अतिरिक्त सेवा उपदान, यदि इन नियमों के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय हो, तो पेंशन के बदले में अनुदत्त किया जाएगा।

अपवाद.– अशक्तता पेंशन की दशा में दस वर्ष की अर्हक सेवा की न्यूनतम शर्त लागू नहीं होगी।

टिप्पण.– नौ वर्ष और नौ मास की अर्हक सेवा की अवधि को, इस नियम के प्रयोजन के लिए, दस वर्ष की अर्हक सेवा माना जाएगा।

विहित आयु पूरा होने पर अतिरिक्त पेंशन।

33. (1) हकदार विहित आयु पूरी होने पर पेंशनर, पेंशन की अतिरिक्त मात्रा का नीचे दिए अनुसार होगा :–

पेंशनर की आयु	पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
80 वर्ष की आयु पर व 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष की आयु पर व 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष की आयु पर व 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष की आयु पर व 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत

(2) पेंशन की अतिरिक्त मात्रा उस मास के पहले दिन से अनुज्ञेय होगी जिसमें पेंशनर विहित आयु पूरा करता है। उदाहरण के लिए कोई पेंशनर अगस्त, 2016 मास में 80 वर्ष की आयु पूरी करता है, तो वह 01 अगस्त, 2016 से अतिरिक्त पेंशन का हकदार होगा। वे पेंशनर, जिनकी जन्म–तिथि प्रथम अगस्त है, भी 01 अगस्त, 2016 से 80 वर्ष और ऊपर की आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन के हकदार होंगे।

(3) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा सुनिश्चित करेगा कि पेंशनर की जन्म तिथि तथा आयु पेंशन भुगतान आदेश में अनिवार्य रूप से उपदर्शित की गई है जिससे पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन के देय होने पर यथाशीघ्र अतिरिक्त पेंशन के भुगतान को सरल बनाया जा सके। अतिरिक्त पेंशन की राशि को सुभिन्न रूप से पेंशन भुगतान आदेश में उपदर्शित किया जाएगा। उदाहरण के लिए जहां सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्रतिमास 10,000 रुपये है, पेंशन भुगतान आदेश में यह उपदर्शित किया जाएगा कि 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन मूल पेंशन 10,000 रुपये के अतिरिक्त प्रतिमास 2,000 रुपये होगी।

पूर्ण पेंशन के लिए अर्हक सेवा।

34. (1) समय–समय पर यथाविहित पूर्ण पेंशन के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा बीस वर्ष है। बीस वर्ष या उससे अधिक अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवा से निवृत्ति पर, पेंशन की राशि सरकार में उच्चतम परिलाभ के 50 प्रतिशत (अर्थात 50 प्रतिशत की दर से 79,000 का 39,500) के अधीन रहते हुए अंतिम परिलाभ का 50 प्रतिशत की दर पर या जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए होगी।

(2) जहां अर्हक सेवा दस वर्ष या अधिक है किन्तु बीस वर्ष से कम है, तो पेंशन की राशि समानुपातिक रूप से नियत की जाएगी। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

(3) न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये प्रतिमास या सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर यथाविहित होगी।

उदाहरण				
अंतिम परिलाभ	अर्हक सेवा पूरी होने पर पेंशन			
	20 वर्ष या अधिक	17 वर्ष 9 मास 1 दिन	15 वर्ष 2 मास 20 दिन	12 वर्ष 2 मास 29 दिन
5400 + 1300 = 6,700 रुपये	6700/2 x 40/40 = 3,350	6700/2 x 36/40 = 3,015	6700/2 X 30/40 = 2,513	6700/2 x 24/40 = 2,010
(परंतु न्यूनतम पेंशन अर्थात् 3500 रुपये से कम नहीं)				
11540 + 3200 =14,740 रुपये	14740/2 x 40/40 = 7,370	14740/2 x 36/40 = 6,633/	14740/2 x 30/40 = 5,528	14740/2 x 24/40 = 4,422
24600 + 5400 = 30,000 रुपये	30,000/2 x 40/40 = 15,000	30,000/2 x 36/40 = 13,500	30,000/2 x 30/40 = 11,250	30,000/2 x 24/40 = 9,000
30690 + 7600 = 38,290 रुपये	38290/2 x 40/40 = 19,145	38290/2 x 36/40 = 17,231	38290/2 x 30/40 = 14,359	38290/2 x 24/40 = 11,487
51850 + 12,000 + 15,963 (एनपीए @ 25%) = 79,813 रुपये	79,000/2 x 40/40 = 39,500 (अधिकतम पेंशन)	79,000/2 x 36/40 = 35,550	79,000/2 x 30/40 = 29,625	79,000/2 x 24/40 = 23,700

पेंशन के बदले में सेवा उपदान।

35. ऐसे मामलों में जहां सेवा उपदान अनुज्ञेय है तो उसकी संगणना अर्हक सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए अर्द्धवर्ष के लिए आधे मास की परिलाभ की दर पर की जाएगी और न तो कोई अतिरिक्त पेंशन न ही पारिवारिक पेंशन अनुज्ञेय होगी।

सेवानिवृत्ति की तिथि को अवकाश पर या निलंबन के अधीन होने की दशा में अंतिम परिलाभ।

36. (1) यदि अपनी सेवानिवृत्ति के समय कोई सरकारी कर्मचारी अवकाश पर है तो अवकाश की अवधि और सेवानिवृत्ति की तिथि के बीच देय वेतनवृद्धि को अंतिम परिलाभों में, इस बात पर विचार किए बिना कि वह वास्तविक रूप से आहरित नहीं की गई है गिनती में लिया जाएगा; बशर्ते वह अन्यथा अनुज्ञेय होती यदि सेवानिवृत्ति की तिथि को कर्मचारी सेवा पर होता।

(2) यदि कोई सरकारी कर्मचारी अंतिम वेतनवृद्धि या अंतिम वेतनवृद्धियों की श्रृंखला को बिना संचयी प्रभाव से रोकने के दंड की अवधि के दौरान सेवा से निवृत्त हो जाता है, तो पेंशन लाभों के लिए उसके अंतिम परिलाभ उसके समान होंगे जो अनुज्ञेय होते यदि उसे ऐसा दंड नहीं दिया जाता।

(3) यदि सेवानिवृत्ति की तिथि को सरकारी कर्मचारी निलंबन के अधीन है, तो निलंबन की अवधि के दौरान आने वाली वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) को पेंशन के लाभों के लिए उसकी अंतिम परिलाभ में तब तक गिनती में नहीं लिया जाएगा जब तक निलंबन की अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा ड्यूटी के रूप में समझा न जाए। यदि निलंबन की अवधि को किसी किस्म के देय अवकाश के रूप में माना जाता है, तो अंतिम परिलाभ में वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) को शामिल किया जाएगा जो अन्यथा पेंशन के लिए अर्हक अवकाश की अवधि के दौरान अनुज्ञेय हैं।

(4) यदि सेवानिवृत्ति की तिथि को कोई सरकारी कर्मचारी अवकाश पर है या निलंबन के अधीन है और अवकाश या निलंबन की अवधि पेंशन लाभों के लिए अर्हक नहीं है, तो उसके अंतिम परिलाभ वे होंगे जो वह अवकाश या निलंबन, जैसी भी स्थिति हो, पर अग्रसर होने से तुरंत पूर्व आहरित कर रहा था।

(5) यदि सेवानिवृत्ति की तिथि को सरकारी कर्मचारी जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, तो जानबूझकर अनुपस्थिति की अवधि पर अंतिम विनिश्चय के लम्बित रहने के दौरान, वह जानबूझकर अनुपस्थिति रहने की तिथि से तुरन्त पूर्व अनुज्ञेय अंतिम परिलाभों, वास्तविक या अप्रयोगमूलक, पर अनन्तिम पेंशन का हकदार होगा।

सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में अंतिम परिलाभ।

37. (1) यदि सेवा में रहने के दौरान मृत्यु की तिथि को कोई सरकारी कर्मचारी निलंबन के अधीन है, तो उसके पेंशन लाभों के लिए परिलाभ वही होंगे, जो उसे अनुज्ञेय होते यदि वह मृत्यु की तिथि को ड्यूटी पर होता। निलंबन की अवधि के दौरान आने वाली वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) को पेंशन लाभों के लिए अंतिम परिलाभ में तब तक गिनती में नहीं लिया जाएगा जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन की अवधि को ड्यूटी के रूप में नहीं मान लिया जाता है।

(2) यदि सरकारी कर्मचारी की अंतिम वेतनवृद्धि या अंतिम वेतनवृद्धियों की श्रृंखला को बिना संचयी प्रभाव के रोकने के दंड के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन लाभ उसके अंतिम परिलाभ के बराबर होंगे, जो उसे अनुज्ञेय होते यदि ऐसा दंड नहीं दिया गया होता।

(3) यदि सेवा के दौरान मृत्यु की तिथि को सरकारी कर्मचारी अवकाश पर है तो पेंशन लाभों के लिए उसके परिलाभ वहीं होंगे जो अनुज्ञेय होते यदि मृत्यु की तिथि को वह ड्यूटी पर होता।

(4) यदि सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए अप्राधिकृत अवकाश पर अनुपस्थिति की अवधि के दौरान उक्त अवधि बारे अंतिम विनिश्चय के लंबन के दौरान मृत्यु हो जाती है तो अंतिम परिलाभ, अवधारणात्मक या वास्तविक जो अनुपस्थिति की तिथि से ठीक पूर्व अनुज्ञेय को पेंशन लाभों के प्रयोजन के लिए गिनती में लिया जाएगा।

विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति की दशा में अंतिम परिलाभ।

38. जहां सेवा के दौरान निवृत्ति या मृत्यु की तिथि को कोई सरकारी कर्मचारी—

(क) विदेश सेवा पर है; या

(ख) किसी अन्य विभाग/सरकार में प्रतिनियुक्ति/संवर्ग बाह्य पद पर है,

तो ऐसी दशा में अनुज्ञेय अंतिम परिलाभ विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए या मूल विभाग में अनुज्ञेय प्रकल्पित वेतन, जो भी कम हो, को पेंशन लाभों के प्रयोजन के लिए गिनती में लिया जाएगा। तथापि, मूल विभाग में संवर्ग बाह्य पद पर आहरित अंतिम परिलाभ को इस प्रयोजन के लिए गिनती में लिया जाएगा।

पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के लिए महंगाई राहत।

39. (1) "महंगाई राहत" से अभिप्राय है, मूल्यों में वृद्धि के कारण पारिवारिक पेंशनरों सहित पेंशनरों को प्रदान की गई राहत। यह ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जाएगी जो राज्य सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(2) हरियाणा या किसी अन्य सरकार के अधीन किसी विभाग/संगठन में किसी पेंशनर के पुनःनियोजन पर पेंशन पर महंगाई राहत, पुनःनियोजन की अवधि के दौरान बनी रहेगी।

टिप्पण.– पुनःनियोजित पद के मूल वेतन पर महंगाई भत्ते हेतु पात्रता के लिए हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016 का नियम 28 देखें।

———————

अध्याय–VII

मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान

मृत्यु–एवं–सेवा निवृत्ति उपदान की दर तथा पात्रता।

40. (1) **सेवानिवृत्ति उपदान.–**

कोई भी सेवानिवृत्ति उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा यदि अर्हक सेवा सेवानिवृत्ति के समय पांच वर्ष से कम है। सेवा से निवृत्ति के समय सेवानिवृत्ति उपदान अर्हक सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक अर्द्धवर्ष के लिए अंतिम परिलाभों के एक–चौथाई के बराबर अनुज्ञेय होगा। वर्ग क, ख और ग सरकारी कर्मचारियों की दशा में अधिकतम सेवानिवृत्ति उपदान 16½ मास के परिलाभों के बराबर और वर्ग घ कर्मचारियों की दशा में 17½ मास के परिलाभों के बराबर समय–समय पर विहित अधिकतम राशि की सीमा के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण.– यह उपदान पद की समाप्ति के कारण किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा से समाप्ति की दशा में भी अनुज्ञेय होगा, तथापि, इस नियम के अधीन कोई भी उपदान प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि कर्मचारी को सेवा से कदाचार, दिवालियापन या अक्षमता के कारण पदच्युत किया गया है या हटाया गया है।

(2) **मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को मृत्यु उपदान.–**

सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में, मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को मृत्यु उपदान निम्नलिखित दरों पर भुगतान किया जाएगा :–

मृत्यु की तिथि तक अर्हक सेवा की अवधि		मृत्यु उपदान की दर
(i)	1 वर्ष से कम	2 मास के परिलाभ
(ii)	एक वर्ष या अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	6 मास के परिलाभ
(iii)	5 वर्ष या अधिक किन्तु 24 वर्ष से कम	12 मास के परिलाभ
(iv)	24 वर्ष या अधिक	उप–नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान के बराबर

टिप्पण 1.– किसी भी दशा में मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान की राशि दस लाख रुपये की अधिकतम सीमा या समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.– रुपये के भाग को अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित (राउंड आफ) कर दिया जाएगा।

टिप्पण 3.– चार वर्ष और नौ मास की अर्हक सेवा को इस प्रयोजन के लिए पांच वर्ष की अर्हक सेवा माना जाएगा।

टिप्पण 4.– पांच वर्ष से अधिक अर्हक सेवा किन्तु 24 वर्ष से कम अर्हक सेवा के पश्चात् मृत्यु की दशा में, पांच वर्ष की अंतिम सेवा की अवधि को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित और स्वीकार किया जाएगा।

(3) सरकारी कर्मचारी के परिवार को मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान जो गायब हो गया है.—

उप–नियम (2) में अधिकथित प्रावधान मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान के लिए किसी सरकारी कर्मचारी जिसे ये नियम लागू हैं, जो सेवा के दौरान गायब हो गया है, के परिवार को लागू होगा। भुगतान क्षतिपूर्ति बंधपत्र जिसका नमूना इन नियमों के नियम 65 के अंत में उपलब्ध है को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए एफ.आई.आर करने की तिथि से छः मास के पश्चात् किया जाएगा।

(4) मृत्यु–एवं सेवानिवृत्ति उपदान से वसूली.–

सरकारी देयों की वसूली जैसे अधिक वेतन, भत्ते, अवकाश वेतन, आवास किराया, यात्रा भत्ता, बकाया मोटरकार, गृह निर्माण या अन्य ऋण व अग्रिम, अनुज्ञप्ति फीस इत्यादि को इस नियम के अधीन अनुज्ञेय मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान से वसूल की जा सकती है।

(5) मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान का व्यपगत हो जाना.—

जहां किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात् उपदान की राशि प्राप्त किए बिना मृत्यु हो जाती है और उसका कोई परिवार नहीं है और—

(क) उसने कोई नामांकन नहीं किया है, या

(ख) उसके द्वारा किया गया नामांकन अस्तित्व में नहीं है,

तो इन नियमों के अधीन ऐसे सरकारी कर्मचारी के संबंध में भुगतानयोग्य मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान की राशि सरकार को व्यपगत हो जाएगी :

परंतु मृत्यु उपदान/सेवानिवृत्ति उपदान की राशि उस व्यक्ति को भुगतानयोग्य होगी जिसके पक्ष में प्रश्नाधीन उपदान के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र विधि के न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है।

मृत्यु–एवं सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामांकन।

41. (1) सरकारी कर्मचारी नियमित सेवा में कार्यग्रहण करने के पश्चात् एक या अधिक व्यक्तियों को इन नियमों के अधीन कोई अनुज्ञेय मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करेगा जो उसे उसकी मृत्यु से पूर्व भुगतान न किया गया हो। बशर्ते कि नामांकन करते समय सरकारी कर्मचारी का परिवार है, तो नामांकन इन नियमों के नियम 8 के उपनियम (10) के खण्ड (अ) के उपखंड (1) के अधीन आने वाले उसके परिवार के सदस्य (सदस्यों) के पक्ष में होगा। उपखंड (1) के न होने पर नामांकन उपनियम (10) के खण्ड (अ) के उपखंड (2) एवं (3) में आने वाले सदस्य (सदस्यों) के पक्ष में किया जाएगा। उपखंड (2) एवं (3) के न होने पर नामांकन किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जाएगा।

व्याख्या.– इस नियम के प्रयोजन के लिए "व्यक्तियों" में कोई कंपनी या व्यष्टियों का संगम या निकाय शामिल होगा, चाहे निगमित हो या नहीं ।

(2) नामांकन विहित प्ररुप पेंशन–1 में किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और रद्द करने की दी गई प्रत्येक सूचना पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्ति की तिथि को उपदर्शित करते हुए प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। उसके विधिमान्य होने की सीमा तक वह उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन वह कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्त किया जाता है। नामांकन प्राप्त करने के संबंध में समुचित प्रविष्टि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी की सेवा–पंजी में की जाएगी।

(3) कोई सरकारी कर्मचारी जो एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है तो नामांकन में प्रत्येक नामांकित को भुगतानयोग्य राशि को ऐसी रीति में विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें उपदान की संपूर्ण राशि कवर हो जाए।

नामांकित (नामांकितो) की मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए प्रावधान।

42. किसी विनिर्दिष्ट नामांकन के संबंध में उसकी सरकारी कर्मचारी से पूर्व मृत्यु की दशा में उस नामांकित (नामांकितो) को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को प्राप्त हो जाएगा जैसा नामांकन में विनिर्दिष्ट किया गया हो; बशर्ते कि नामांकन करते समय सरकारी कर्मचारी का परिवार है जिसमें एक से अधिक सदस्य हैं तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसी परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति नहीं होगा।

टिप्पण.– नामांकन के प्ररुप में केवल एक आनुकल्पिक नामांकित करने का प्रावधान है । सरकारी कर्मचारी को मूल नामांकित के विरूद्ध एक से अधिक आनुकल्पिक नामांकित के नामांकन करने का विकल्प नहीं होगा।

नामांकन का अविधिमान्य–करण।

43. (क) नामांकन उसमें विनिर्दिष्ट किसी आकस्मिकता के होने की दशा में अविधिमान्य हो जाएगा।

(ख) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया नामांकन जिसका उसके किए जाने के समय कोई परिवार नहीं है या सरकारी कर्मचारी द्वारा जिसका नामांकन करते समय परिवार है जिसमें केवल एक सदस्य है नियम 41 के अधीन नामांकन में कोई प्रावधान किया गया है तो वह कर्मचारी द्वारा यथास्थिति, पश्चात्वर्ती परिवार अर्जित करने पर या परिवार में किसी सदस्य के जुड़ने पर अविधिमान्य हो जाएगा।

नामांकन का रद्दकरण।

44. (1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी समय पहले से ही किए गए नामांकन में कोई परिर्वतन या रद्दकरण कार्यालयाध्यक्ष को लिखित सूचना भेजकर कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी सूचना के साथ इस नियम के अनुसार किया गया नया नामांकन भी भेजा जाएगा। नया नामांकन यदि ऐसी आकस्मिकता होती है, तो सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी किया जा सकता है।

(2) नामांकित जिसके संबंध में नियम 42 के अधीन नामांकन में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसकी मृत्यु के तुरंत पश्चात् या किसी घटना के होने पर जिसके कारण नामांकन अविधिमान्य हो जाता है, सरकारी कर्मचारी नियम 43 के अनुसरण में कार्यालयाध्यक्ष को औपचारिक रूप से नामांकन रद्द करने की लिखित सूचना के साथ इस नियम के अनुसार किया गया नया नामांकन भेजेगा।

व्यक्तियों जिनको मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान भुगतानयोग्य है।

45. (1) सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात् या इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान जारी करने से पूर्व मृत्यु की दशा में, मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान उस व्यक्ति (व्यक्तियों) को भुगतान किया जाएगा जिसे नियम 42 के अधीन नामांकन के माध्यम से उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

(2) यदि ऐसा कोई नामांकन नहीं है या यदि किया गया नामांकन अस्तित्व में नहीं है, तो उपदान नीचे उपदर्शित रीति भुगतान से किया जाएगाः –

(क) यदि परिवार का एक या अधिक जीवित सदस्य है तो इन नियमों के नियम 8 के उप नियम (10) के खंड (अ) के उपखंड (1) में दिए गए सभी सदस्यों को बराबर भाग में;

(ख) ऊपर यथा उप खंड (क) में दिए गए परिवार का कोई ऐसा जीवित सदस्य नहीं है किन्तु नियम 8 के उप नियम (10) के खंड (अ) के उपखंड (2) एवं (3) में से एक या अधिक सदस्य है तो ऐसे सदस्यों को बराबर भागों में।

(3) किसी मृतक सरकारी कर्मचारी के मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के भाग को प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता मृत्यु की तिथि को विचार की जाएगी। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् पात्र परिवार के सदस्य द्वारा प्राप्त आयु या विवाह उसके मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के भाग को प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

(4) जहां मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी अवयस्क सदस्य को प्रदान किया जाना है, तो यह अवयस्क की ओर से उसके संरक्षक को भुगतानयोग्य होगा।

टिप्पण.– उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या वसीयत मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान का दावा करने का विधिक अधिकार नहीं देता है जहां कार्यालय अभिलेख में वैध नामांकन विद्यमान है। पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी ऐसे मामलों में किसी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या वसीयत का इंतजार नहीं करेगा।

परिवार के सदस्य या नामांकित का मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने से वर्जन।

46. (1) इन नियमों के निबंधनों में मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार के सदस्य या नामांकित सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अपराध से या ऐसे अपराध को करने के लिए अवप्रेरित करने से आरोपित है, तो उपदान का भाग प्राप्त करने का उसका दावा तब तक निलंबित रहेगा जब तक उसके विरूद्ध संस्थित आपराधिक कार्रवाईयां समाप्त न हो जाएं।

(2) यदि उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आपराधिक कार्रवाईयों के समापन पर संबंधित व्यक्ति :–

(क) सरकारी कर्मचारी की हत्या या हत्या को अवप्रेरित करने का सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो उसे अपना उपदान का भाग प्राप्त करने से वर्जित कर दिया जाएगा जो परिवार के अन्य पात्र सदस्यों, यदि कोई हों, को भुगतानयोग्य होगा।

(ख) सरकारी कर्मचारी की हत्या या हत्या को अवप्रेरित करने से दोषमुक्त ठहराया जाता है, तो उपदान का उसका भाग उसे भुगतानयोग्य होगा।

———————

अध्याय–VIII

पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन की अनुज्ञेयता।

47. (1) पारिवारिक पेंशन मृतक सरकारी कर्मचारी, जो इन नियमों के अधीन है, की मृत्यु की दशा में उसके परिवार को अनुज्ञेय होगी जब मृत्यु;

(क) एक वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात्; या

(ख) एक वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व हो बशर्ते कि मृतक सरकारी कर्मचारी का सेवा या पद पर नियुक्ति से ठीक पूर्व सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया हो और उसे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो।

तथापि, पारिवारिक पेंशन मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य को अनुकम्पा वित्तीय सहायता के समाप्त होने के पश्चात् भुगतानयोग्य होगी।

टिप्पण.– एक वर्ष की सेवा की अवधि में नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण की अवधि भी शामिल है तथा इसमें असाधारण अवकाश, यदि कोई हो, की अवधि भी शामिल है किन्तु इसमें निलंबन की अवधि जिसे गैर–ड्यूटी माना गया है, शामिल नहीं है।

(2) पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में, परिवार के पात्र सदस्य को भी पारिवारिक पेंशन अनुज्ञेय होगी।

(3) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए पारिवारिक पेंशन मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के परिवार के एक से अधिक सदस्य को एक ही समय भुगतानयोग्य नहीं होगी। यह पारिवारिक पेंशन के प्रयोजन के लिए परिवार की परिभाषा के अनुसार पात्र सदस्य को अनुज्ञेय होगी और उसे इस अध्याय में अधिकथित रीति अनुसार भुगतान किया जाएगा।

टिप्पण.– यह पुत्र या पुत्री या भाई–बहनों या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह यथास्थिति पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वर्ष में एक बार मार्च मास में इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि (i) उसने अपनी जीविका का अर्जन करना आरंभ नहीं किया है और (ii) उसका अभी विवाह या पुनर्विवाह नहीं हुआ है। इसी प्रकार का एक प्रमाणपत्र, यथास्थिति, निसंतान विधवा द्वारा उसके पुनर्विवाह के पश्चात् या निःशक्त पुत्र या पुत्री द्वारा या माता–पिता द्वारा पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष मार्च मास में प्रस्तुत किया जाएगा कि उसने या उन्होंने अपनी जीविका का अर्जन करना आरंभ नहीं किया है।

व्याख्या.– पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति परिवार के सभी पात्र व्यक्तियों के लाभ के लिए उसे प्राप्त करेगा।

पारिवारिक पेंशन का अवधारण।

48. (1) पारिवारिक पेंशन की राशि को मासिक दरों पर नियत किया जाएगा। इसे पूर्ण रुपये में अभिव्यक्त किया जाएगा और रुपये के भाग, यदि कोई हो, को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

(2) पारिवारिक पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु के समय अंतिम परिलाभों के तीस प्रतिशत की समान दर पर की जाएगी और यह न्यूनतम 3500/– रुपये प्रतिमास और उच्चतम परिलाभ के अधिकतम तीस प्रतिशत अर्थात् 79,000 का तीस प्रतिशत की दर से 23700/– रुपये या सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर यथाविहित के अध्यधीन होगी।

बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का अवधारण।

49. (1) न्यूनतम सात वर्ष की लगातार सेवा करने के पश्चात् सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में, मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य को अनुकम्पा वित्तीय सहायता की समाप्ति के पश्चात् दस वर्ष की अवधि के लिए मृतक सरकारी कर्मचारी की किसी ऊपरी आयु सीमा को ध्यान में रखे बिना भी बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन अनुज्ञेय होगी। बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की दर अंतिम आहरित परिलाभों के पचास प्रतिशत के बराबर होगी।

(2) सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु की दशा में, बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन मृतक पेंशनभोगी के परिवार को सात वर्ष की अवधि के लिए या उस तिथि तक जिसको मृतक पेंशनभोगी पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता यदि वह जीवित होता, इनमें से जो भी पहले हो, तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन अनुज्ञेय होगी। बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की राशि का अवधारण मृतक पेंशनभोगी की मृत्यु से पूर्व पेंशन के बराबर किया जाएगा।

टिप्पण.– सात वर्ष की लगातार सेवा में गैर–अर्हक सेवा शामिल है किन्तु इसमें कोई बालक सेवा, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

50. (1) विहित आयु पूरी करने पर पारिवारिक पेंशनभोगी यथास्थिति अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की मात्रा प्राप्त करने का हकदार होगा, जो नीचे दिए अनुसार होगी :— विहित आयु पूरी करने पर अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन।

पारिवारिक पेंशनभोगी की आयु	पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष से कम	पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष से कम	पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष से कम	पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

(2) पेंशन की अतिरिक्त मात्रा उस मास के पहले दिन से अनुज्ञेय होगी जिसमें पेंशनभोगी विहित आयु पूरी करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई पेंशनभोगी अगस्त, 2016 के मास में अस्सी वर्ष की आयु पूरी करता है तो वह 01 अगस्त, 2016 से अतिरिक्त पेंशन का हकदार होगा। वे पारिवारिक पेंशनभोगी जिनकी जन्म–तिथि 01 अगस्त है भी 01 अगस्त, 2016 से 80 वर्ष और ऊपर की आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन के हकदार होंगे।

(3) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा यह सुनिश्चित करेगा कि पारिवारिक पेंशनभोगी की जन्म तिथि तथा आयु, पेंशन भुगतान आदेश में अनिवार्य रूप से उपदर्शित की गई है जिससे पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा देय होने पर यथाशीघ्र अतिरिक्त पेंशन के भुगतान को सरल बनाया जा सके। अतिरिक्त पेंशन की राशि को सुभिन्न रूप से पेंशन भुगतान आदेश में उपदर्शित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, जहां पारिवारिक पेंशन प्रतिमास 10,000 रुपये है तथा जन्म तिथि बारह अगस्त, 1935 है तो पेंशन भुगतान आदेश में यह उपदर्शित किया जाएगा कि 01.08.2016 को अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन मूल पारिवारिक पेंशन 10,000 रुपये के अतिरिक्त प्रतिमास 2,000 रुपये होगी।

51. (1) सैनिक नियमों के अधीन या हरियाणा सरकार से भिन्न किसी सरकार के नियमों के अधीन पेंशन या पारिवारिक पेंशन इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन या पारिवारिक पेंशन के लिए कोई वर्जन नहीं होगा और वह उनके अतिरिक्त होगी। तथापि, एक ही समय पर हरियाणा सरकार के एक मृतक कर्मचारी के संदर्भ में न तो एक ही सेवा की दो पेंशनें और न ही दो पारिवारिक पेंशनें अनुज्ञेय होंगी। पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन या एक ही समय दो पारिवारिक पेंशनों के लिए पात्रता।

(2) सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु की दशा में, पति या पत्नी जहां दोनों हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन में कार्य कर रहे हैं और दोनों इन नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं तो मृतक के संबंध में पारिवारिक पेंशन यथास्थिति उत्तरजीवी पति या पत्नी को भुगतानयोग्य हो जाएगी। दोनों पति और पत्नी की मृत्यु की दशा में, उत्तरजीवी पात्र बालक या बालकों को मृतक माता–पिता के संबंध में दो पारिवारिक पेंशनें नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहते हुए प्रदान की जाएंगीः—

(क) (i) यदि नियम 49 में वर्णित दर पर जीवित बालक दो बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन आहरित करने का पात्र हैं तो दोनों बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशनों की कुल राशि प्रतिमास उनतालीस हजार पांच सौ रुपये तक सीमित होगी;

(ii) यदि नियम 49 में उल्लिखित दर पर कोई एक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का भुगतानयोग्यता समाप्त हो जाती है और उसके बदले में नियम 48 में उल्लिखित दर पर सामान्य पारिवारिक पेंशन भुगतानयोग्य हो जाती है तो दोनों पारिवारिक पेंशनों की राशि को भी उनतालीस हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास तक सीमित कर दिया जाएगा;

(ख) यदि दोनों पारिवारिक पेंशनें नियम 48 में उल्लिखित दर पर भुगतानयोग्य हैं तो दोनों पारिवारिक पेंशनों की राशि तेइस हजार सात सौ रुपये प्रतिमास तक सीमित होगी।

(3) जहां कोई एक पति या पत्नी केंद्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार का पेंशनभोगी है और दूसरा हरियाणा सरकार का पेंशनभोगी है और इन नियमों के प्रावधानों

द्वारा शासित होता है तो हरियाणा सरकार के पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन पात्र परिवार के सदस्य को अनुज्ञेय होगी।

आपराधिक कार्रवाईयों की दशा में पारिवारिक पेंशन का विनियमन।

52. (1) जहां कोई परिवार का सदस्य जो सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान या पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है, को सरकारी कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी की हत्या करने के अपराध से या ऐसे अपराध को करने के लिए अवप्रेरित करने से आरोपित हैं, तो परिवार के अन्य पात्र सदस्यों सहित ऐसे सदस्य का दावा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए तब तक निलंबित रहेगा जब तक उसके विरूद्ध संस्थित आपराधिक कार्रवाईयां समाप्त न हो जाएं।

(2) यदि उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आपराधिक कार्रवाईयों के समापन पर संबंधित व्यक्ति :–

(i) सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी, जैसी भी स्थिति हो, की हत्या या हत्या को अवप्रेरित करने का सिद्धदोष ठहराया जाता है तो उस व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के अगले दिन से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने से वर्जित कर दिया जाएगा, जो परिवार के अन्य पात्र सदस्य को भुगतानयोग्य होगी।

(ii) सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की हत्या या हत्या को अवप्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त ठहराया जाता है तो पारिवारिक पेंशन ऐसे व्यक्ति को मृतक सरकारी कर्मचारी के संबंध में अनुकम्पा वित्तीय सहायता की समाप्ति के पश्चात् अगले दिन से या यथास्थिति मृतक पेंशनभोगी की मृत्यु के अगले दिन से उसे भुगतानयोग्य होगी।

सेवा में सम्मिलित होने के समय और समय–समय पर भी परिवार का आकार प्रस्तुत करना।

53. (1) सरकारी सेवा में किसी व्यक्ति के सम्मिलित होने पर उसे निम्नलिखित प्ररुपों में कार्यालयाध्यक्ष को अपने परिवार के विवरण प्रस्तुत करने होंगे। यदि सम्मिलित होने के समय उसका कोई परिवार नहीं है तो वह परिवार अर्जित करने पर यथाशीघ्र उक्त प्ररुप में विवरण प्रस्तुत करेगा।

(2) सरकारी कर्मचारी कार्यालयाध्यक्ष को परिवार के आकार में किसी पश्चात्वर्ती परिवर्तन जिसके अंतर्गत उसकी पुत्री के विवाह का तथ्य भी है से संसूचित करेगा।

(3) कार्यालय अध्यक्ष उक्त प्ररुप की प्राप्ति पर उसे संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवा पंजी में चस्पा करवाएगा और उक्त प्ररुप की तथा इस निमित सरकारी कर्मचारी से प्राप्त और सभी संसूचनाओं की पावती की अभिस्वीकृति देगा। सरकारी कर्मचारी से उसके परिवार में किसी परिवर्तन के संबंध में संसूचना की प्राप्ति पर कार्यालय अध्यक्ष उक्त प्ररुप में ऐसे परिवर्तन को समाविष्ट करवाएगा।

(4) जब भी नियम 63 में निर्दिष्ट निःशक्तता किसी बालक में उपदर्शित होती है जो उसे उसकी जीविका के अर्जन में असमर्थ बनाती है, तो बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र से समर्थित इस तथ्य को कार्यालयाध्यक्ष की जानकारी में लाया जाएगा और कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस प्ररुप में इसे उपदर्शित किया जाएगा।

प्ररुप

परिवार के विवरण

सरकारी कर्मचारी का नाम	
पदनाम	
जन्म की तिथि	
नियुक्ति की तिथि	

.....को मेरे परिवार के सदस्यों के विवरण

क्रम संख्या	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	सरकारी कर्मचारी से सम्बन्ध	आधार कार्ड संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

मैं उपरोक्त प्रविष्टियों में कार्यालयाध्यक्ष को किसी वर्धन या परिवर्तन से अधिसूचित करके अद्यतन रखने का आश्वासन देता हूं।

स्थानः .....

तिथि .....

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

(तिथि और कार्यालय मोहर सहित)

पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में अगले पात्र परिवार के सदस्य को पारिवारिक पेंशन का भुगतान।

54. किसी पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में, उसकी विधवा/विधुर को पारिवारिक पेंशन उसी पेंशन भुगतान आदेश के अधीन की जाएगी जिसके अधीन पेंशनभोगी अपनी पेंशन को आहरित कर रहा था। पेंशन संवितरण प्राधिकारी पारिवारिक पेंशन का भुगतान पेंशनभोगी की मृत्यु के प्रमाणपत्र के साथ पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए साधारण अनुरोध की प्राप्ति पर विधवा/विधुर को पारिवारिक पेंशन का भुगतान आरंभ कर देगा। यदि विधवा/विधुर जीवित नहीं है या पात्र नहीं हैं तब पारिवारिक पेंशन का भुगतान अन्य परिवार के पात्र सदस्य को किया जाएगा, जो संबंधित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को पेंशनभोगी के पेंशन भुगतान आदेश के साथ स्वयं के फोटो की दो प्रतियां और पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अभ्यार्पण करके आवेदन करेगा। पेंशन संवितरण प्राधिकारी ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर मामले को प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को नया पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए अग्रेषित करेगा। ऐसा सदस्य पारिवारिक पेंशन के जीवनकालिक बकाया को प्राप्त करने का भी पात्र होगा। जहां परिवार का कोई अगला सदस्य पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है तो जीवनकालिक बकायों का भुगतान मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान में उपबंधित नामांकन के अनुसार अन्यथा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन

55.(1) जहां किसी सरकारी कर्मचारी की बिना किसी बालक या बालकों से न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी, को पीछे छोड़ते हुए मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के संबंध में पारिवारिक पेंशन उत्तरजीवी व्यक्ति को भुगतानयोग्य होगी :

परंतु जहां न्यायिक पृथककरण व्यभिचार के आधार पर प्रदान किया गया है और ऐसे न्यायिक पृथककरण की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो पारिवारिक पेंशन उत्तरजीवी व्यक्ति को भुगतानयोग्य नहीं होगी यदि ऐसा उत्तरवर्ती व्यक्ति व्यभिचार करने का दोषी ठहराया जा चुका है।

(2) जहां किसी सरकारी कर्मचारी की न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी बालक या बालकों सहित छोड़ते हुए मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मृतक के संबंध में पारिवारिक पेंशन उतरजीवी व्यक्ति को भुगतानयोग्य होगी, बशर्ते; वह ऐसे बच्चे या बच्चों का सरंक्षक हो।

परंतु जहां जीवित व्यक्ति ऐसे बच्चों का सरंक्षक नहीं रहा तो ऐसी पारिवारिक पेंशन उस व्यक्ति को भुगतानयोग्य होगी जो ऐसे बालक या बालकों का वास्तविक सरंक्षक है।

उप–नियम (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए बालक या बालकों की इस नियम के अधीन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाने पर ऐसी पारिवारिक पेंशन मृतक सरकारी कर्मचारी के न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह, इनमें से जो भी पहले हो, तक भुगतानयोग्य होगी।

सेवानिवृत्ति–पश्चात्वर्ती पति या पत्नी और बालकों को पारिवारिक पेंशन।

56. सेवानिवृत्ति पश्चात्वर्ती पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि की आगामी तिथि से पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। जहां मृतक पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति पश्चात्वर्ती पत्नी है किन्तु उसकी सेवानिवृत्ति पूर्व पति या पत्नी जो जीवित नहीं है से पात्र बालक हैं, तो पात्र बालक पारिवारिक पेंशन के उस भाग के लिए हकदार होंगे जो माता को मिलता यदि वह पेंशनभोगी की मृत्यु के समय जीवित होतीः

परंतु जब मृतक पत्नी या सेवानिवृत्ति पश्चात्वर्ती पत्नी के पात्र बालक को भुगतानयोग्य पारिवारिक पेंशन के भागों का भुगतान होना समाप्त हो जाता है तो ऐसे भाग व्यपगत नहीं होंगे अपितु वह अगले पात्र सदस्य को अंतरित हो जाएंगे। जहां ऐसा कोई सदस्य नहीं है तो वे पूर्णतः, यथास्थिति ऐसे मृतक की सेवानिवृत्ति पश्चात्वर्ती पत्नी या मृतक पत्नी के बच्चों को अंतरित हो जाएंगे।

टिप्पण .– सेवानिवृत्ति पश्चात्वर्ती पति या पत्नी के पात्र न होने पर पारिवारिक पेंशन के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात्वर्ती बालकों के दावे पर विचार किया जाएगा।

एक से अधिक विधवाओं को समान भागों में पारिवारिक पेंशन।

57. किसी मृतक सरकारी कर्मचारी की एक से अधिक विधवा यदि स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तो, पारिवारिक पेंशन पात्रता की तिथि तक विधवाओं को समान भागों में भुगतानयोग्य होगी। जब उनमें से कोई एक पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं रहती है तो पारिवारिक पेंशन का उसका भाग उसके हकदार बालक, यदि कोई हो, को भुगतान हो जाएगाः

परंतु यदि ऐसी विधवा का कोई बालक पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है तो पारिवारिक पेंशन का भाग व्यपगत नहीं होगा अपितु अन्य विधवाओं को समान भागों में अंतरित हो जाएगा या यदि ऐसी कोई अन्य एक विधवा है तो पूर्णतः उसे अंतरित हो जाएगा।

टिप्पण 1.– पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा इस नियम के अधीन अनुज्ञेय पारिवारिक पेंशन के भाग को लागू नहीं होगी।

टिप्पण 2.– इस नियम के उपबंध हिंदू सरकारी कर्मचारी को लागू नहीं होंगे क्योंकि विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू होने के पश्चात् उसकी पहली पत्नी के जीवित रहने के दौरान दूसरा विवाह अमान्य है और उसका विधिक प्रभाव नहीं है। ऐसा दूसरा विवाह किसी प्रथा के आधार पर विधिमान्य नहीं हो सकता है। वास्तव में, यदि कोई प्रथा जो विधि के अभिव्यक्त उपबंध के विरूद्ध है तो उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसलिए दूसरी पत्नी विधिक रूप से विवाहित पत्नी के रूप में पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होगी।

विधवा और दूसरी पत्नी के बालक को समान भागों में पारिवारिक पेंशन।

58. जहां किसी मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा जीवित है किन्तु उसके किसी अन्य पत्नी जो जीवित नहीं है से पात्र बालक हैं, पात्र बालकों को पारिवारिक पेंशन का भाग दिया जाएगा जो माता प्राप्त करती यदि वह सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय जीवित होती :

परंतु जब ऐसे बालक या मृतक की विधवा को पारिवारिक पेंशन के भाग का भुगतान होना समाप्त हो जाता है तो ऐसा भाग व्यपगत नहीं होगा किन्तु दूसरी विधवा और दूसरे बालक या बालकों को जो अन्यथा पात्र हैं को समान भागों में भुगतानयोग्य होगा अथवा केवल एक विधवा और बालक की स्थिति में ऐसी विधवा या बालक को पूर्णतः भुगतानयोग्य होगा।

टिप्पण.– पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा इस नियम के अधीन अनुज्ञेय पारिवारिक पेंशन के भाग को लागू नहीं होगी।

पारिवारिक पेंशन का विधवा और तलाक दी गई पत्नी के बालक को समान भाग।

59. जहां किसी मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा जीवित है किन्तु उसके किसी तलाक दी गई पत्नी या पत्नियों से पात्र बालक हैं, पारिवारिक पेंशन समान भागों में भुगतानयोग्य होगी :

परंतु जब ऐसे बालक या मृतक की विधवा को पारिवारिक पेंशन के भाग का भुगतान होना समाप्त हो जाता है तो ऐसा भाग व्यपगत नहीं होगा किन्तु दूसरी विधवा या विधवाओं और/या दूसरे बालक या बालकों को जो अन्यथा पात्र हैं समान भागों में भुगतानयोग्य होगा और तत्पश्चात् अगले पात्र परिवार के सदस्य को भुगतानयोग्य होगा।

टिप्पण.– पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा इस नियम के अधीन अनुज्ञेय पारिवारिक पेंशन के हिस्से पर लागू नहीं होगी।

विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अधीन अविधिमान्य विवाह के बालक को पारिवारिक पेंशन।

60. (1) इस बात के होते हुए भी कि कोई विवाह जो विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 11 के अधीन अमान्य और बातिल है किन्तु ऐसे विवाह से बालक जो विधिमान्य होता यदि विवाह विधिमान्य होता, इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगा कि—

(क) इस अधिनियम के अधीन उस विवाह के संबंध में अमान्यता की डिक्री प्रदान की गई है,

(ख) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा किसी याचिका पर विवाह को अवैध अभिनिर्धारित किया गया है।

(2) ऐसे बालक के अधिकार को संरक्षित करने की आवश्यकता है और विधिक रूप से विवाहित पत्नी की पात्रता न होने की तिथि के पश्चात् पोद्भूत होगा। पारिवारिक पेंशन विधिक रूप से विवाहित पत्नी और उप–नियम (1) के अधीन आने वाले पात्र बालक के बीच बराबर संवितरित की जाएगीः

परंतु जहां किसी बालक को जिसे पारिवारिक पेंशन का भाग भुगतानयोग्य है की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे भाग व्यपगत नहीं होंगे किन्तु अगले पात्र बालक को भुगतानयोग्य होंगे, यदि केवल एक पात्र बालक है तो ऐसे बालक को पूर्णतः और तत्पश्चात् परिवार के अगले पात्र सदस्य को पूर्णतः भुगतानयोग्य होंगे।

टिप्पण.– जहां विधिक रूप से विवाहित पत्नी पात्र है, मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान, अनुकम्पा वित्तीय सहायता, अवकाश नकदीकरण इत्यादि का कोई भुगतान विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अधीन अविधिमान्यकृत विवाह के किसी उक्त बालक को नहीं किया जाएगा।

जुड़वां बालकों को पारिवारिक पेंशन।

61. जहां पारिवारिक पेंशन जुड़वां बालकों को भुगतानयोग्य है उसको ऐसे बालकों को समान भागों में भुगतान किया जाएगाः

परंतु जब ऐसे एक बालक की पात्रता समाप्त हो जाती है तो उसके भाग को अन्य बालक को अंतरित कर दिया जाएगा और जब दोनों की पारिवारिक पेंशन की पात्रता समाप्त हो जाती है तो यथास्थिति अगले पात्र एकल या जुड़वां बालकों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

नैसर्गिक या वस्तुतः संरक्षक के माध्यम से अवयस्क बालक को पारिवारिक पेंशन।

62. विधवा/विधुर के पुनर्विवाह या मृत्यु की दशा में यदि पारिवारिक पेंशन इन नियमों के अधीन अवयस्क बालक को भुगतानयोग्य है तो उसको उनके नैसर्गिक संरक्षक, यदि कोई हो, के माध्यम से अन्यथा उनके वस्तुतः संरक्षक के माध्यम से क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने पर, अवयस्क के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक भुगतान किया जाएगा। तथापि, विवादित मामलों में भुगतान विधि के न्यायालय द्वारा नियुक्त विधिक संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा।

टिप्पण.– क्षतिपूर्ति बंधपत्र के नमूने के लिए देखिए नियम 65।

निःशक्त बालकों को पारिवारिक पेंशन।

63. जहां किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के संबंध में पारिवारिक पेंशन का भुगतान आश्रित निःशक्त पुत्र या पुत्री (विवाहित या अविवाहित) को किया जाना है जो किसी रोग या मानसिक निःशक्तता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से अपाहिज है और जीविका अर्जन में असमर्थ है, तो इसको नीचे दिए अनुसार विनियमित किया जाएगा :–

(1) जहां किसी मृतक सरकारी कर्मचारी के दो या अधिक उत्तरजीवी बालक हैं और उनमें से कोई एक बालक किसी रोग या मानसिक निःशक्तता से पीड़ित है या जो शारीरिक रूप से अपाहिज या निःशक्त है और जीविका अर्जन में असमर्थ है, तो पारिवारिक पेंशन प्रारंभ में शारीरिक रूप से उपयुक्त बालकों में से बड़े/सबसे बड़े बालक को तब तक भुगतानयोग्य होगी जब तक वह उसके लिए अपात्र नहीं हो जाता है। तत्पश्चात् पारिवारिक पेंशन का भुगतान शारीरिक रूप से अगले उपयुक्त बालक को उसकी पात्रता की अवधि तक किया जाएगा। जब शारीरिक रूप से सभी उपयुक्त बालक पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं रहते हैं तो पारिवारिक पेंशन को निःशक्त बालक के पक्ष में आरंभ किया जाएगा और इसे उसको संरक्षक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा मानो वह अवयस्क हो, सिवाए उस दशा में जहां शारीरिक रूप से अपाहिज पुत्र/पुत्री जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है।

(2) पारिवारिक पेंशन निःशक्तता चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा निम्नलिखित शर्तों पर भुगतानयोग्य होगी :–

(क) वह अपनी जीविका का अर्जन करने में अक्षम है और मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी पर पूरी तरह आश्रित था;

(ख) शरीर के कार्यों में दुर्बलता वाले व्यक्तियों का जिले के सिविल सर्जन की अध्यक्षता के अधीन बोर्ड द्वारा परीक्षण किया जाएगा। बोर्ड आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञों को शामिल करेगा। अपीलकर्ता चिकित्सा बोर्ड, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक है। चंडीगढ़/पंचकूला में रहने वाले व्यक्तियों का परीक्षण सामान्य अस्पताल सेक्टर–16, चंडीगढ़ और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ के अपीलकर्ता चिकित्सा बोर्ड सहित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़ के निःशक्तता चिकित्सा बोर्ड द्वारा भी किया जा सकता है।

(ग) चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण–पत्र मानसिक मंदता सहित स्थायी मानसिक या शारीरिक निःशक्तता के मामले में एक बार आवश्यक है। जहां निःशक्तता अस्थायी है, तो चिकित्सा बोर्ड से इस आशय का चिकित्सा प्रमाण–पत्र पांच साल में एक बार उसके संरक्षक द्वारा जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा कि वह मानसिक रोग या निःशक्तता से सतत् पीड़ित है या शारीरिक रूप से अपाहिज या निःशक्त है ।

(घ) निम्नलिखित किसी भी प्रकार की चालीस प्रतिशत से अधिक दुर्बलता लाभों के लिए पात्र है। विस्तृत रूप से निःशक्तता चार प्रकार की हैं :–

(i) दृश्यक;

(ii) चलन–गमन;

(iii) वाक और श्रव्य; तथा

(iv) मानसिक रोग।

(3) मानसिक रूप से अपंग बालक(कों) की दशा में, पारिवारिक पेंशन मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी द्वारा नामांकित व्यक्ति को भुगतानयोग्य होगी। जहां कार्यालयाध्यक्ष को ऐसा कोई नामांकन अपने जीवनकाल में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बाद में यह मृतक कर्मचारी की पत्नी/पति द्वारा नामित व्यक्ति को भुगतानयोग्य होगी।

(4) आश्रित दृष्टिविहीन पुत्र/अविवाहित पुत्री पात्रता की तिथि तक चिकित्सा बोर्ड द्वारा अंधता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे; बशर्ते कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि अंधता की निःशक्तता उसे अर्जन में अक्षम बनाती है। आश्रित अन्धे बालक को एक बार स्वीकृत की गई पारिवारिक पेंशन–

(क) उस तिथि से बंद कर दी जाएगी जिस को, 25 वर्ष की आयु प्राप्त दृष्टिविहीन पुत्र बाद में रोग मुक्त हो जाता है और जीविका अर्जन करने में सक्षम हो जाता है या वह जीविका अर्जन करना प्रारंभ कर देता है, जो भी पहले हो;

(ख) जारी रहेगी जब दृष्टिविहीन पुत्री बाद में रोगमुक्त हो जाती है और जीविका अर्जन करने में सक्षम हो जाती है, जब तक–

(i) जीवन के लिए जीविका का अर्जन करना आरंभ नहीं कर देती है; या

(ii) उसका विवाह हो जाता है;

जो भी पहले हो।

(5) ऐसे एक से अधिक बालकों के रोग या मानसिक निःशक्तता से पीड़ित होने की दशा में, या जो शारीरिक रूप से अपाहिज या निःशक्त हैं, पारिवारिक पेंशन का भुगतान उनके जन्म के क्रम में किया जाएगा और उनमें से सबसे छोटे की पारिवारिक पेंशन उससे बड़े की पात्रता की समाप्ति पर आरम्भ की जाएगीः

परंतु जहां पारिवारिक पेंशन जुड़वां निःशक्तता बालकों को भुगतानयोग्य है उसका भुगतान बराबर भागों में किया जाएगा, बशर्ते जब ऐसे किसी एक बालक का पात्र के रूप में न रहने पर उसके भाग को दूसरे बालक को अंतरित कर दिया जाएगा और दोनों की पात्रता की समाप्ति पर पारिवारिक पेंशन, अगले एक बालक या दोनों जुडवां बालकों, जैसी भी स्थिति हो, को भुगतानयोग्य होगी।

(6) इन नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन पात्र निःशक्त बालकों को अनुज्ञेय होगी चाहे उन का जन्म सेवानिवृत्ति से पूर्व या बाद में हुआ हो।

(7) व्यक्ति या संरक्षक जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वर्ष में एक बार मार्च मास में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने (अव्यस्क/नाबालिक) अपनी जीविका अर्जन करना आरम्भ नहीं किया है।

(8) किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन के लिए पारिवारिक पेंशन मंजूर करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी स्वयं की संतुष्टि करेगा कि निःशक्तता ऐसे स्वरूप की है जो उसे जीविका अर्जन करने से रोकती है और इसके साक्षी के रूप में चिकित्सा बोर्ड से इस निमित्त साक्ष्य अभिप्राप्त कर लिया गया है जिसमें जहां तक संभव हो उस व्यक्ति की सही मानसिक या शारीरिक स्थिति को दर्शाया गया है।

टिप्पण 1.– आश्रित निःशक्त बालकों को जीवन के लिए पारिवारिक पेंशन मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; विभागाध्यक्ष या नियुक्ति प्राधिकारी, जो भी कनिष्ठ हो, होगा।

टिप्पण 2.– शारीरिक रूप से निःशक्त आश्रित भाई और बहनों को पात्रता अनुसार पारिवारिक पेंशन, शारीरिक रूप से निःशक्त बालकों के लिए इस नियम में यथा अधिकथित चिकित्सीय निरीक्षण की शर्त पर प्रदान की जाएगी।

मृत्तक सरकारी कर्मचारियों या पेंशन भोगी के माता या पिता को पारिवारिक पेंशन।

64. जहां आश्रित माता या पिता को पारिवारिक पेंशन भुगतानयोग्य है, प्रथमतः यह माता को भुगतानयोग्य होगी और उसके पात्र न रहने पर यह मृत्यु या अपात्रता की तिथि तक, जो भी पहले हो, पिता को भुगतानयोग्य होगी। जहां आश्रित माता पिता पृथक रूप से रह रहे हैं, तो पारिवारिक पेंशन का उनको समान भागों में भुगतान किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी जो गायब हो गया है के परिवार को पारिवारिक पेंशन।

65. (1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पात्र परिवार के सदस्य को पारिवारिक पेंशन जो–

(क) अचानक गायब हो गया है और जिसका पता ठिकाना ज्ञात नहीं है;

(ख) जिसकी यात्रा तीर्थ यात्रा इत्यादि के दौरान गुमशुदा के रूप में रिपोर्ट की गई है; या

(ग) जिसका उपद्रवियों/आंतकवादियों ने अपहरण कर लिया है।

निम्नलिखित के पश्चात् पात्र पारिवारिक सदस्य को भुगतान किया जाएगा–

(i) सरकारी कर्मचारी के गायब होने की दशा में अनुकम्पा वित्तीय सहायता के समाप्त होने पर; या

(ii) पेंशनभोगी के गायब होने की दशा में पुलिस अधिकारियों के पास प्राथमिकी रजिस्ट्रीकरण की तिथि से छः मास की अवधि तक अनुकम्पा वित्तीय सहायता या पारिवारिक पेंशन जैसी भी स्थिति हो, का गायब होने की तिथि से भुगतान किया जाएगा। गायब हुए सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी जैसी भी स्थिति हो, के परिवार से क्षतिपूर्ति बंधपत्र भी प्राप्त किया जाएगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसके विरुद्ध उसके सेवा में रहते हुए या उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभागीय या न्यायिक कार्रवाईयां आरंभ की गई थी अनंतिम या सामान्य पेंशन आहरित करने के दौरान गायब हो जाता है, को इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे। ऐसे मामलों में गायब हुए सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध लंबित कार्रवाईयों के समाप्त होने के पश्चात् विनिश्चय किया जाएगा।

(3) कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी, जो कपट या अपराध करने के पश्चात् गायब हो जाता है, तो पारिवारिक पेंशन केवल विधि के न्यायालय द्वारा दोष मुक्त होने पर ही मंजूर की जाएगी, विभागीय कार्रवाईयों के पूरा होने पर या दोषमुक्त सिद्ध होने पर, जैसी भी स्थिति हो, मंजूर की जाएगी। पारिवारिक पेंशन, यदि अनुज्ञेय हो तो, अनुकम्पा वित्तीय सहायता या पेंशन के समाप्त होने के पश्चात्, की तिथि से जैसी भी स्थिति हो, पोद्भूत होगी।

टिप्पण.– बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन के प्रावधान सरकार के गायब कर्मचारियों के परिवारों के लिए भी लागू होंगे।

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

(देखें नियम 40 तथा 65)

(पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के गायब होने की दशा में पात्र पारिवारिक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा)

सभी व्यक्तियों को इन प्रस्तुतियों से यह ज्ञात हो कि हम (क) ....(ख).....विधवा/पुत्र/भाई/नामांकित इत्यादि, (ग) जो..... ..... विभाग/कार्यालय में.....(पदनाम) के पद से सेवानिवृत हुआ है तथा जो.....से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा था, की..... .....से गायब की रिर्पोट की गई है (जिसे, इसमें, इसके पश्चात् पारिवारिक पेंशनभोगी निर्दिष्ट किया गया है।)

जो.....का निवासी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् आभारी कहा गया) और (घ)..... श्री ..... का (पुत्र/पत्नी/पुत्री), जो .... का निवासी और श्री.....का..... ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... जो .... का/की निवासी हैं, जो आभारी के लिए और की ओर से जमानती हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् जमानती कहा गया है) दृढ़ता से हरियाणा के राज्यपाल के प्रति बाध्य है (जिसे

इसमें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है) जो पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा उस पर मंहगाई राहत के बकाया होते हुए ठीक तथा वास्तविक प्रत्येक धनराशि सरकार को मांग किए जाने पर बिना किसी आपत्ति के सामान्य भविष्य निधि के लिए विहित दर पर सामान्य ब्याज सहित भुगतान की तिथि से पुनः भुगतान की तिथि तक भुगतान करने के लिए हम स्वयं को और हमारे संबंधित वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों और समानुदेशितियों को इस बंधपत्र से आबद्ध करते हैं।

तिथि..... को हस्ताक्षरित तथा

चूंकि (ग)..... पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी अपने गायब होने के समय सरकार से पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन.....रुपये वेतन और उस पर मंहगाई भत्ता प्राप्त कर रहा था।

और चूंकि उक्त (ग) .....दिन को .....20 .....को गायब हो गया था और उसके गायब होने के समय उसे पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकायों की राशि के बराबर राशि देय थी।

और चूंकि आभारी ..... रुपये की पारिवारिक पेंशन उस पर महंगाई भत्ता राहत का पात्र है।

और चूंकि आभारी ने अभ्यावेदन किया है कि वह पूर्वोक्त राशि का/की पात्र है और उसने निर्रथक विलंब और कठिनाई से बचाने के लिए सरकार को उसका भुगतान करने के लिए अनुरोध किया है।

और चूंकि सरकार .....रुपये की राशि (शब्दों में) पेंशन और पारिवारिक तथा मासिक पारिवारिक पेंशन जमा महंगाई राहत का आभारी को, आभारी द्वारा और जमानती द्वारा, पूर्वोक्त वर्णित राशि की सरकार को पूर्वोक्त गायब सरकारी कर्मचारी के प्रति सभी दावों में राशि के विरूद्ध क्षतिपूर्ति करने के लिए, बंधपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् पूर्वोक्त राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई हैं।

और चूंकि आभारी और उसके अनुरोध पर जमानती इसमें निहित अंतर्विष्ट निबंधनों और रीति में बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि आभारी को भुगतान किए जाने के पश्चात् आभारी और/या जमानती किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या सरकारी कर्मचारी के उपस्थित होने पर और सरकार के विरूद्ध पूर्वोक्त ..... रुपये (शब्दों में) का दावा किए जाने पर और सरकार द्वारा पूर्वोक्त राशि का भुगतान किए जाने पर सरकार को उक्त ..... रुपये (शब्दों में) का प्रतिदाय करेंगे और सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान प्रत्येक राशि का सामान्य भविष्य निधि के समतुल्य दर के साधारण ब्याज के साथ सरकार को भुगतान करेंगे और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे और सरकार को नुकसान नहीं कारित होने देंगे तथा पूर्वोक्त राशियों और सभी लागतों, जो उस पर किन्हीं दावों के परिणामस्वरूप उपगत होती हैं, के प्रति सभी दायित्वों की क्षतिपूर्ति करेंगे, तब उपरोक्त लिखित बंधपत्र या बाध्यता शून्य हो जाएगी और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा किन्तु अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत्त, प्रभावी और लागू रहेगी।

और यह इस बात का भी साक्ष्य है कि जमानती का दायित्व सरकार की किसी प्रविरिति कार्रवाई या लोप के कारण या तत्समय कोई मंजूरी दिए जाने के कारण या सरकार द्वारा जमानती को जानकारी सहित या उसके बिना या जमानती की सहमति से आभारी द्वारा पूरी की जाने वाली बाध्यता या शर्तों के संबंध में क्षीण या निर्मुक्त नहीं हो जाएगा या किसी अन्य विधि या क्षीणता से, चाहे कुछ भी हो, जिसे जमानतियों के संबंध में किसी विधि के अधीन इस उपबंध के कारण जमानती को ऐसे दायित्व से निर्मुक्त करने का अन्यथा कोई प्रभाव नहीं होगा न ही सरकार को आभारी से पूर्व जमानत/जमानतियों पर वाद चलाने का या उनमें से किसी एक पर इसमें नीचे दी गई राशि के लिए निर्मुक्त करने का कोई प्रभाव होगा।

इसके साक्ष्य के रूप में इसमें आभारी और जमानती दिनांक, मास तथा वर्ष ..... को ऊपर लिखित पर हस्ताक्षर करते हैं।

..... की उपस्थिति में ऊपर नामित आभारी द्वारा हस्ताक्षरित

1. .....

2. .....

ऊपर नामित जमानती/जमानतियों द्वारा हस्ताक्षरित

1. .....

2. .....

हरियाणा के राज्यपाल के लिए और
उसके निमित्त स्वीकृत

.....

की उपस्थिति में (हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा की ओर से बंधपत्र को स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किए गए या प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम)

1. .....

2. .....

(साक्षी का नाम और हस्ताक्षर)

टिप्पण.– आभारी के साथ–साथ जमानती बालिग होने चाहिए ताकि बंधपत्र का विधिक प्रभाव या प्रर्वतन

पारिवारिक पेंशन से सारांशीकृत पेंशन या सरकारी शोध्यों की वसूली नहीं।

66. सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु की दशा में मृतक पेंशन भोगी के संबंध में पारिवारिक पेंशन से सरकारी नुकसान या किसी देय की वसूली नहीं की जाएगी

टिप्पण.– सेवानिवृत्ति के समय सरकारी शोध्यों, अनुज्ञप्ति फीस आदि की वसूली के लिए अध्याय 2 तथा अध्याय 9 देखें।

———————

अध्याय–IX

पेंशन से सबंधित प्रक्रिया

पेंशन मामलों को उच्चस्तरीय प्राथमिकता देना।

67. इन नियमों के अधीन पेंशन से संवयवहार करने वाला प्रत्येक पेंशन मंजूरी प्राधिकारी पेंशन मामलों को उच्चस्तरीय प्राथमिकता देगा तथा उन्हें यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि पेंशन के भुगतान की देरी में एक विशेष प्रकार की कठिनाई अंर्तवलित होती है। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन प्राप्त करना उस तिथि को आरम्भ करे जिसको यह देय हो जाती है, इसलिए, सरकारी कर्मचारियों के सभी पेंशन मामलों को अगले उच्चतर प्राधिकारी से कोई विनिर्दिष्ट प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को सीधे पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा भेज दिया जाता है। तथापि, कार्यालयाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष के पेंशन मामले, अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा भेजे जायेंगे।

सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करना।

68. (1) प्रत्येक विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के पास प्रत्येक छः मास पर तैयार की गई सूची अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को सभी सरकारी कर्मचारी जो उस तिथि से अगले चौबीस मास के दौरान सेवानिवृत्त होने के लिए नियत हैं की सूची तैयार करवाएगा।

(2) किसी सरकारी कर्मचारी की दशा में जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त हो रहा है तो पेंशन मंजूरी प्राधिकारी तुरंत प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को ऐसी सेवानिवृत्ति के इस तथ्य से अवगत कराएगा और सेवानिवृत्ति के आदेश के पश्चात् तुरंत उसके पेंशन पेपरों को अग्रेषित करेगा।

(3) जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा से निवृत्त होता है तो सेवानिवृत्त होने वाले मास की 7 तिथि तक उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि को विनिर्दिष्ट करते हुए एक कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा और प्रत्येक ऐसे कार्यालय आदेश की प्रति तुरंत प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को अग्रेषित की जाएगी।

पेंशन पेपरों के लिए तैयारी कार्य के प्रक्रम।

69. प्रत्येक पेशंन मंजूरी प्राधिकारी प्ररुप पेंशन–3 में पेंशन पेपरों को तैयार करने का कार्य, उस तिथि से दो वर्ष पूर्व जिसको सरकारी कर्मचारी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के लिए नियत है, हाथ में लेगा, पेंशन मंजूरी प्राधिकारी दो वर्ष के तैयारी कार्य की अवधि को निम्नलिखित प्रक्रमों में विभाजित करेगा, अर्थात्:–

पहला प्रक्रम	सेवा, परिलाभों का सत्यापन और सेवा पुस्तिका में लोपों को दूर करना
दूसरा प्रक्रम	संबंधित सरकारी कर्मचारी से प्ररुप पेंशन–2 अभिप्राप्त करना
तीसरा प्रक्रम	बेबाकी प्रमाण पत्र
चौथा प्रक्रम	पेंशन पेपरों को प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को अग्रेषित करना

सेवा एवं परिलाभ का सत्यापन और सेवा पुस्तिका में लोपों को दूर करना।

70. (i) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी सेवा निवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पूर्व सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का अवलोकन करेगा और स्वयं को संतुष्ट करेगा कि सम्पूर्ण सेवा के लिए सत्यापन के प्रमाण पत्र उसमें अभिलिखित हैं। सेवा के असत्यापित भागों के संबंध में वह उसके वेतन बीजकों या अन्य सुसंगत अभिलेखों को निर्दिष्ट करते हुए सत्यापन का प्रबंध करेगा और सेवा पुस्तिका में अपेक्षित प्रमाणपत्रों को अभिलिखित करेगा।

(ii) यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा दूसरे कार्यालय /विभाग में की गई सेवा उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित किए जाने योग्य नहीं है तो पेंशन मंजूरी प्राधिकारी को एक पत्र लिखकर उसमें, सरकारी कर्मचारी को, सत्यापन के प्रयोजन के लिए उस अवधि में सेवा किया गया दर्शाया जाएगा।

(iii) पेंशन के लिए अर्हक और अनर्हक सेवा के ब्यौरों को सरकारी कर्मचारी को भेजा जाएगा। यदि सेवा का कोई भाग उपखंड (i) या उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित किया जाने योग्य नहीं है तो संबंधित सरकारी कर्मचारी को प्ररुप पेंशन–10 में सूचित किया जाएगा और उसे असत्यापित सेवा की अवधि के संबंध में प्ररुप पेंशन–11 में एक वचनबंध देने के लिए कहा जाएगा क्या वास्तव में सेवा उसके द्वारा की गई है। समर्थन में उसके पास कोई मान्य सबूत उपलब्ध है, तो वह सभी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तथा सभी सूचना प्रस्तुत करेगा जो वह दे या प्रस्तुत कर सकता है।

(iv) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी उस सरकारी कर्मचारी द्वारा उक्त सेवा की अवधि के सर्मथन में लिखित कथन में दिए गए तथ्य, संपार्श्विक साक्ष्य तथा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार करते हुए तथ्यों की सत्यता के संबंध में स्वयं को पूरा संतुष्ट करने के पश्चात् सेवा के उस भाग को पेंशन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए की गई सेवा मानेगा।

(v) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी सेवा के सत्यापन के प्रमाण–पत्रों की संवीक्षा करते हुए इस बात का भी पता लगाएगा कि यदि अभी भी अन्य लोप अशुद्धियां या खामियां विद्यमान हैं, जिनका पेंशन के लिए अर्हक सेवा की अवधि पर सीधा प्रभाव पड़ता है तो वह उन्हे ठीक करने के लिए सारे प्रयास करेगा।

(vi) सेवा पुस्तिका में कोई लोप, अशुद्धियां या खामियां जिसके अंर्तगत असत्यापित भाग के रूप में दर्शित भाग भी है, जहां इस नियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन करना संभव नहीं है, की अनदेखी की जाएगी और केवल पेंशन के लिए अर्हक सेवा का सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के आधार पर अवधारण किया जाएगा।

(vii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा–पुस्तिका में परिलाभों को सही रूप से उपदर्शित किया गया है, पेंशन मंजूरी प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्ववर्ती अंतिम वेतन नियतन की शुद्धता को सत्यापित करेगा।

संबंधित सरकारी कर्मचारी से प्ररुप पेंशन–2 प्राप्त करना।

71. सेवा और परिलाभ का सत्यापन करने के पश्चात्, पेंशन मंजूरी प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को सभी तरह से परिपूर्ण प्ररुप पेंशन–2 (दोहरी प्रतियों में उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्व से अन्यून प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

सरकारी आवास के संबंधी में बेबाकी प्रमाणपत्र।

72. (क) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले कदम–

(1) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी (जिसे इसमें, इसके पश्चात्, आवंटिती कहा गया है) जो सरकारी आवास के अधिभोग में है, की सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम नौ मास पूर्व, आवंटिती की सेवानिवृत्ति से पूर्ववर्ती आठ मास की अवधि के संबंध में "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी करने के लिए लिखेगा।

(2) जब लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी उप–नियम (1) में वर्णित अवधि के संबंध में वसूलीयोग्य अनुज्ञप्ति फीस की राशि संसूचित करता है तो पेंशन मंजूरी प्राधिकारी सुनिशचित करेगा कि आवंटिती के वर्तमान वेतन और भत्तों से किस्तों में बकाया अनुज्ञप्ति फीस वसूल की जाए और जहां संपूर्ण राशि वेतन और भत्तों से नहीं वसूली जा सकती है तो शेष को भुगतान प्राधिकृत करने से पूर्व उपदान से वसूला जाएगा।

(3) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी यह भी सुनिश्चत करेगा कि आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले के आठ मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति फीस प्रत्येक मास आवंटिती के वेतन और भत्तों से वसूली जाएगी।

(4) यदि किसी विशिष्ट मामले में, लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी के लिए बकाया अनुज्ञप्ति फीस का अवधारण करना संभव नहीं है तो ऐसे मामले में पेंशन मंजूरी प्राधिकारी, सूचना की प्राप्ति तक मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान का 10 प्रतिशत या पचास हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो रोक सकता है।

(ख) किराया निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले कदम.–

(1) उप–नियम (क)(1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, लेखा अधिकारी (किराया)/ किराया निर्धारण प्राधिकारी अभिलेख की संवीक्षा करेगा और पेंशन मंजूरी प्राधिकारी को आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तिथि से आठ मास पूर्व उसकी सेवानिवृत्ति के आठ मास पूर्व की अवधि के संबंध में उससे वसूलीयोग्य अनुज्ञप्ति फीस, यदि कोई हो, संसूचित करेगा। यदि बकाया अनुज्ञप्ति फीस की वसूली के संबंध में कोई संसूचना पेंशन मंजूरी प्राधिकारी को उपदर्शित तिथि तक प्राप्त नहीं होती है तो यह अवधारणा की जाएगी कि आवंटिती से उसकी सेवानिवृत्ति के आठ मास की पूर्ववर्ती अवधि के संबंध में कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूलीयोग्य नहीं है।

(2) लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी पेंशन मंजूरी प्राधिकारी को आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तिथि से आगे अनुज्ञेय छः माह की अवधि के लिए सरकारी आवास को प्रतिधारित करने के लिए अनुज्ञप्ति फीस की राशि भी संसूचित करेगा।

(3) आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् अनुज्ञेय छः मास की अवधि में सरकारी आवास को अधिभोग में रखने के लिए अनुज्ञप्ति फीस की वसूली का दायित्व लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी का होगा।

टिप्पण.–इस नियम के प्रयोजन के लिए, अनुज्ञप्ति फीस में आवंटिती द्वारा आवास या उसकी सज्जा में कारित नुकसान या हानि के लिए भुगतानयोग्य कोई अन्य प्रभार भी शामिल हैं।

सरकारी शोध्यों का निर्धारण और उनकी वसूली।

73. (1) सरकारी आवास के अधिभोग से संबंधित शोध्यों से भिन्न अन्य शोध्यों के लिए, पेंशन मंजूरी प्राधिकारी शोध्यों का निर्धारण करने के लिए उस तिथि से एक वर्ष पूर्व जिसको सरकारी कर्मचारी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के लिए नियत है या उस तिथि जिसको वह सेवानिवृत्ति की तैयारी अवकाश पर अग्रसर होता है इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कदम उठाएगा।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट सरकारी शोध्यों के निर्धारण को पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से 8 मास पूर्व पूरा कर लिया जाएगा।

(3) उप–नियम (2) के अधीन यथानिर्धारित शोध्यों में वे देय भी शामिल हैं जो पश्चात्वर्ती ध्यान में आते हैं और जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक बकाया रहते हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर उसकी भुगतानयोग्य मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान की राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(4) "सरकारी शोध्य" अभिव्यक्ति में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) सरकारी आवास से संबंधित शोध्य जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति फीस, यदि कोई हो, शामिल है;

(ख) सरकारी आवास से संबंधित शोध्यों से भिन्न शोध्य अर्थात गृह निर्माण या वाहन के अग्रिम या किसी अन्य ऋण तथा अग्रिम का शेष, वेतन और भत्ते या अवकाश नकदीकरण का अधिक भुगतान और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन स्त्रोत पर आयकर कटौती का बकाया।

टिप्पण.– जहां अधूरे तथा/या ऋण और अग्रिम के बेबाकी प्रमाण पत्र के बिना पेंशन मामले, यदि कोई हों; प्रधान महालेखाकार हरियाणा (लेखा व हकदारी) को भेजे जाते है, तो सम्बन्धित पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर सेवानिवृत्ति या प्रतिनियुक्ति की दशा में पेंशन पेपरों की तैयारी और अग्रेषण।

74. इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पेंशन दस्तावेजों को तैयार करने और अग्रेषित करने के लिए पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा कदम उठाए जाएंगे–

(1) सरकारी कर्मचारी की विदेश सेवा पर सेवानिवृत्ति या मृत्यु की दशा में; मूल विभाग,

(2) सरकारी कर्मचारी की हरियाणा सरकार के किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि में सेवानिवृत्ति या मृत्यु की दशा में; वह विभाग जिसमें वह अंतिम समय कार्य कर रहा था; और

(3) सरकारी कर्मचारी की हरियाणा सरकार के किसी अन्य विभाग से भिन्न में प्रतिनियुक्ति पर सेवानिवृत्ति या मृत्यु की दशा में; सरकार/विभाग जिससे वह उस समय संबंध रखता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को पेंशन पेपरों का अग्रेषण।

75. (1) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व प्ररुप पेंशन–3 को पूरा करेगा और पूरा करने के पश्चात् सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष से अन्यून पूर्व प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्ररुप पेंशन–4 में भेजेगाः–

1.	पूर्णरूप से भरे हुए प्ररूप पेंशन–1, पेंशन–2 व पेंशन–3
2.	अशक्तता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र (यदि दावा अशक्त पेंशन का है)
3.	सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति या सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति।
4.	ई–सेलरी सिस्टम से निकाला गया अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र डी.डी.ओ. के हस्ताक्षर सहित।
5.	सेवा–पुस्तिका में सत्यापन प्रविष्टियों के संदर्भ में अर्हित और गैर–अर्हित सेवा का विवरण।
6.	पेंशन, पेंशन सांराशीकरण, मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन (सामान्य और बढ़ी हुई) की संगणना शीट।
7.	सभी परिप्रेक्ष्यों में पूर्ण सेवा–पुस्तिका (सेवानिवृत्ति की तिथि के अंकन सहित)
8.	इस संबंध में प्रमाणपत्र कि सेवानिवृत्ति के समय कोई न्यायिक या विभागीय कार्रवाईयां लंबित नहीं हैं ।
9.	सतर्कता विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र वर्ग 'क' और 'ख' सरकारी कर्मचारियों की दशा में ।
10.	सरकारी कर्मचारी की बहाली का संक्षिप्त विवरण यदि उसे सेवा से निलम्बित करने, सेवा से निवृत्त करने, सेवा से हटाने या पदच्युत करने के बाद बहाल किया गया है।
11.	पेंशन मंजूरी प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा पति/पत्नी के साथ संयुक्त चार फोटो सम्यक् रूप से सत्यापित ।

12.	पेंशन मंजूरी प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हस्ताक्षरों या अंगूठे के निशान (तीन बार) की दो नमूना पर्चियां।
13.	सरकारी कर्मचारी व परिवार के सदस्य जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हों के आधार कार्ड की छाया–प्रति ।
14.	पेंशन के भुगतान, पेंशन के सारांशीकरण और उपदान के अधिक्य, यदि बाद में पाया जाता है, के प्रतिदाय के संबंध में वचनबद्धता । (सेवानिवत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वचनबद्धता)
15.	दीर्घावधि ऋण और अग्रिमों तथा सरकारी आवास के संबंध में समायोजन के लिए वचनबद्धता (सेवानिवत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली)
16.	नियत चिकित्सा भत्ते के लिए विकल्प। (सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली)

टिप्पण.– पेंशन मंजूरी प्राधिकारी अपने अभिलेख के लिए ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक प्ररुप की प्रति प्रतिधारित करेगा।

(2) जहां सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान प्रधान महालेखाकार, हरियाणा से भिन्न किसी अन्य लेखांकन सर्कल से की जानी है तो पेंशन मंजूरी प्राधिकारी, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को प्ररुप पेंशन–4 दो प्रतियों में भेजेगा।

(3) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी पेंशन, पेंशन के सारांशीकरण, मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन (सामान्य और बढ़ी हुई) की संगणना शीट की प्रमाणित प्रति प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को पेंशन केस प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकारी कर्मचारी को प्रदान करेगा।

(4) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी, नियम 73 में, सरकारी शोध्यों को सुनिश्चित करने और निर्धारण करने के पश्चात् उनके ब्योरों को सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से कम से कम दो मास पूर्व प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को प्रस्तुत करेगा ताकि भुगतान को प्राधिकृत करने से पूर्व उपदान में से शोध्यों की वसूली की जा सके।

पेंशन पेपर अग्रेषित करने के पश्चात् होने वाली किसी घटना की सूचना

76. (1) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को पेंशन पेपरों को अग्रेषित करने के पश्चात् यदि कोई ऐसी घटना होती है जिसका अनुज्ञेय पेंशन की राशि पर कोई प्रभाव है तो इस तथ्य की रिपोर्ट पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को की जाएगी।

(2) यदि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को सरकारी शोध्यों ब्यौरे संसूचित करने के पश्चात् कोई अतिरिक्त सरकारी शोध्य, पेंशन मंजूरी प्राधिकारी की जानकारी में आता है तो ऐसे शोध्यों की रिपोर्ट प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को की जाएगी। वह अंतिम वेतन प्रमाणपत्र में इन अतिरिक्त शोध्यों को भी अभिलिखित करेगा।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा द्वारा पेंशन और उपदान को प्राधिकृत करना।

77. (1) (क) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा, पेंशन पेपरों की प्राप्ति पर, अपेक्षित जांच करेगा और पेंशन तथा उपदान की राशि का निर्धारण करेगा और सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा यदि पेंशन उसके सर्कल की लेखांकन इकाई में भुगतानयोग्य है।

(ख) यदि पेंशन, लेखांकन इकाई के किसी अन्य सर्कल में भुगतानयोग्य है तो प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा पेंशन भुगतान आदेश के साथ पेंशन–3 प्ररुप की एक प्रति उस इकाई के प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), को भुगतान का प्रबन्ध करने के लिए भेजेगा।

(2) उप–नियम (1) के खंड (क) के अधीन प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा द्वारा यथा अवधारित उपदान की राशि का सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को भुगतान खजाना (ट्रेजरी) द्वारा सरकारी शोध्यों, यदि कोई हों, का समायोजन करने के पश्चात् प्राधिकृत किया जाएगा।

(3) लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी द्वारा संसूचित बकाया अनुज्ञप्ति फीस की राशि के विरूद्ध रोकी गई उपदान की राशि और उपदान की कोई अन्य बकाया

राशि, यदि कोई हो, को पेंशन मंजूरी प्राधिकारी की सिफारिशों पर, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को प्राधिकृत की जाएगी।

पेंशन का पुनर्निर्धारण।

78. (1) नियम 10 तथा 12 में अधिकथित उपबंधों और वित्त विभाग के भी अनुमोदन के अधीन रहते हुए एक बार प्राधिकृत पेंशन को सरकारी कर्मचारी के लिए प्रतिकूल रूप में तब तक पुनः निर्धारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा पुनःनिर्धारण निम्नलिखित के कारण आवश्यक नहीं हो जाता है –

(क) पश्चात्वर्ती रूप से लिपिकीय भूल का पता लगना;

(ख) भूतलक्षी प्रभाव से निम्न स्तर पर वेतन का पुनः निर्धारणः

परंतु प्राधिकरण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा पेंशनभोगी के लिए प्रतिकूल रूप से पेंशन का पुननिर्धारण नहीं किया जाएगा।

(2) जब ऊपर (क) अथवा (ख) के अधीन पेंशन को पुनः निर्धारित किया जाता है तो संबंधित पेंशनभोगी को पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत डाक से पेंशन के पुनःनिर्धारण के लिए नोटिस तामील किया जाएगा और पेंशनभोगी अपना प्रत्युत्तर नोटिस की प्राप्ति की तिथि से दो मास की अवधि के भीतर भेजेगा। यदि पेंशनभोगी नोटिस का अनुपालन करने में असफल रहता है तो पेंशन मंजूरी प्राधिकारी मामले को प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को पेंशन के पुनःनिर्धारण और पुनरीक्षित पीपीओ जारी करने के लिए भेजेगा।

पेंशन और मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज।

79. (1) कोई ब्याज भुगतानयोग्य नहीं होगा यदि अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति की पेंशन और/या मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान तीन मास के भीतर प्राधिकृत किया गया है और अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति में सेवानिवृत्ति तिथि से छः मास के भीतर या इस अध्याय में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने की तिथि से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/ मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा अनुपालन किया गया है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो। जहां पेंशन लाभों को विहित अवधि के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है और प्राधिकारण में विलंब प्रशासनिक कमी के कारण हुआ है, विहित अवधि से आगे की अवधि के लिए साधारण भविष्य निधि के समान साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तथापि, वहां किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा जहां प्राधिकरण में विलंब सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी या मृतक के परिवार या गायब सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा इस अध्याय में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने में विलंब के कारण कारित हुआ है।

(2) पेंशन और/या मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के विलंबित प्राधिकरण के प्रत्येक मामले पर प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जाएगा। जहां विभागाध्यक्ष संतुष्ट हो जाता है कि पेंशन और/या मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के प्राधिकरण में विलंब प्रशासनिक कमी के कारण कारित हुआ है, वह प्रशासनिक विभाग को ब्याज का भुगतान करने की सिफारिश करेगा।

(3) यदि उप–नियम (2) के अधीन विभाग द्वारा की गई सिफारिश को प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह ब्याज के भुगतान के लिए राज्यपाल की मंजूरी जारी करेगा।

(4) सभी मामलों में जहां ब्याज का भुगतान करने को प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राधिकृत किया गया है वहां संबंधित विभाग उत्तरदायित्व नियत करेगा और संबंधित सरकारी कर्मचारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाईयां आरंभ करेगा जो पेंशन संबंधी लाभों के प्राधिकरण में विलंब के लिए उत्तरदायी पाए जाते हैं। ब्याज के व्यय को व्यतिक्रमी सरकारी कर्मचारियों से वसूला जाएगा।

(5) पेंशन संबंधी लाभों के बकाया पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा, यदि पेंशन संबंधी लाभों का पुनरीक्षण भूतलक्षी रूप से सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् निम्नलिखित के कारण किया जाता है–

(क) उन परिलाभों से उच्चतर परिलाभों का अनुदत्त किया जाना जिन पर अवधारित पेंशन संबंधी लाभों का पहले की भुगतान किया जा चुका है।

(ख) संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व तिथि से इन नियमों के उपबंधों को उदार बनाया जाना।

(6) जहां सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध सेवानिवृत्ति के समय अनुशासनिक कार्रवाईयां लंबित है और–

(i) अनुशासनिक कार्रवाईयों की प्रक्रिया के दौरान उसे स्पष्ट रूप से दोषमुक्त ठहराया जाता है और सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है तथा निर्दोष साबित किया जाता है तो पेंशन और मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान जो उसे देय है का उप–नियम (1) में अधिकथित उपबंधों के अनुसार ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।

(ii) उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का आंशित या पूर्णतः दोषी पाया जाता है या उन्हें साक्ष्य की कमी के कारण हटा दिया जाता है अर्थात उसे निर्दोष साबित नहीं किया जाता है या अनुशासनिक कार्रवाईयों को केवल इस आधार पर हटा दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया है, तो पेंशन और मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान जो उसे भुगतानयोग्य है पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा यदि अनुशासनिक कार्रवाईयों पर अंतिम विनिश्चय की तिथि से तीन मास के भीतर प्राधिकृत किया गया है। विलंब की दशा में, ब्याज, विलंब अवधि के लिए उप–नियम (1) में अधिकथित उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

टिप्पण.– जहां दण्ड प्राधिकारी द्वारा दिए गए दण्ड को विधि के न्यायालय द्वारा सबूत की कमी या सन्देह का लाभ देते हुए अपास्त कर दिया जाता है ऐसे मामलों में, पेंशन लाभों के देरी से भुगतान पर ब्याज देना स्वीकार्य नहीं होगा।

80. (1) इस अध्याय के नियमों में अधिकथित कार्रवाई के विभिन्न स्तरों का पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा कठोरता से अनुपालन किया जाएगा। कुछ अलग–थलग मामले हो सकते हैं, जहां नियम 69 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बावजूद उसके लिए नियम 75 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को सेवानिवृत्ति की तिथि से छः मास पूर्व अग्रेषित करना संभव नहीं है या जहां पेंशन दस्तावेजों को प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को विहित अवधि के भीतर अग्रेषित किया गया है परन्तु प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा ने पेंशन मंजूरी प्राधिकारी को पेंशन भुगतान और उपदान का भुगतान करने का आदेश जारी करने से पूर्व अन्य सूचना प्रस्तुत करने के लिए लौटा दिए हों। यदि पेंशन मंजूरी प्राधिकारी की ऐसी दशा में यह राय हो कि सरकारी कर्मचारी के, उसकी पेंशन और उपदान या दोनों का इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अंतिम रूप से निर्धारण और नियतन करने से पूर्व, सेवानिवृत्त होने की संभावना है तो वह अविलंब अर्हक सेवा की अवधि का अवधारण करने के लिए और पेंशन के लिए अर्हक परिलाभ का सावधानीपूर्वक त्वरित जांच, जो की जा सकेगी, करने के पश्चात् अवधारण करेगा। इस प्रयोजन के लिए वह–

वहां अनंतिम पेंशन प्रदान करना, जहां अनुशासनिक कार्रवाईयां लंबित नहीं हैं।

(i) ऐसी सूचना पर निर्भर करेगा, जो शासकीय अभिलेखों में उपलब्ध हों, और

(ii) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को सादे कागज पर एक वचनबंध प्रस्तुत करने के लिए कहेगा जिसमें अर्हक सेवा की कुल अवधि का कथन किया गया हो किंतु जिसमें सेवा में अंतरालों और अन्य अनअर्हक अवधियों को नहीं जोड़ा गया हो।

(2) सरकारी कर्मचारी उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन वचनबंध प्रस्तुत करते हुए कथन के अंत में कथन की सत्यता के संबंध में एक घोषणा करेगा।

(3) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी तत्पश्चात् शासकीय अभिलेख में उपलब्ध सूचना के अनुसार और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी से उपनियम (1) के अधीन प्राप्त सूचना के अनुसार, सेवा के अर्हक वर्षों का और पेंशन के लिए अर्हक परिलाभ का, अवधारण करेगा। तब वह अनंतिम पेंशन की राशि और अनंतिम मृत्यु–सेवानिवृत्ति उपदान की राशि का अवधारण करेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन पेंशन और उपदान की राशि का अवधारण करने के पश्चात् पेंशन मंजूरी प्राधिकारी नीचे दिए अनुसार और कार्रवाई करेगा :–

(क) वह मंजूरी पत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को, निम्नलिखित के खजाना (ट्रेजरी) में भुगतान को प्राधिकृत करने के लिए, पृष्ठांकित करेगा :–

(i) छः मास से अनधिक अवधि जिसकी गणना सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से की जाएगी, के लिए अनंतिम पेंशन के रूप में उपनियम (3) के अधीन यथा अवधारित शत–प्रतिशत पेंशन; और

(ii) सरकारी शोध्यों की कटौती करने के पश्चात् उपनियम (3) के अधीन अनंतिम रूप में अवधारित शत–प्रतिशत उपदान;

(ख) वह मंजूरी पत्र में उपदान से वसूली योग्य सरकारी शोध्यों की राशि को उपदर्शित करेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन भुगतानयोग्य अनंतिम पेंशन और उपदान, यदि आवश्यक हो, को अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा करने के पश्चात् पुनरीक्षित किया जाएगा।

(6) (क) अनंतिम पेंशन का भुगतान, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से छः मास की अवधि से आगे जारी नहीं रहेगा, यदि अंतिम पेंशन की राशि और अंतिम उपदान की राशि का अवधारण पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा के परामर्श से छः मास की उक्त अवधि के अवसान से पूर्व किया गया है तो प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा–

(i) पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा ; और

(ii) उपदान की अंतिम राशि और उपनियम (4) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन भुगतान उपदान की अंतिम राशि के बीच अंतर को सरकारी शोध्यों, यदि कोई हों, का समायोजन करने के पश्चात् जो अनंतिम उपदान का भुगतान करने के पश्चात् जानकारी में आए हों, प्राधिकृत करेगा। यदि सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास का आवंटिती है तो रोकी गई उपदान की राशि, यदि कोई है, का लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी से बेबाकी प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर प्रतिदाय कर दिया जाएगा।

(ख) यदि उपनियम (4) के अधीन सरकारी कर्मचारी को संवितरित अनंतिम पेंशन की राशि उसके अंतिम निर्धारण पर, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा द्वारा निर्धारित अंतिम पेंशन से अधिक पाई जाती है तो प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा के लिए पेंशन की आधिक्य राशि को रोके गए उपदान से, यदि कोई हो, समायोजित करना या पेंशन की आधिक्य राशि को किस्तों में भविष्य में भुगतानयोग्य पेंशन के भुगतान में कमी करके वसूलने का, विकल्प होगा।

(ग) (i) यदि उपनियम (4) के अधीन पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अनंतिम उपदान की राशि अंतिम रूप से निर्धारित राशि से अधिक है तो सेवानिवृत कर्मचारी से उसे वास्तव में संवितरित अधिक राशि का प्रतिदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी।

(ii) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम रूप से निर्धारित राशि से अधिक उपदान की राशि के अवसर न्यूनतम हों और आधिक्य राशि के लिए उत्तरदायी कार्मिक अधिक भुगतान के लिए जिम्मेदार होंगे।

(7) यदि पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा के साथ परामर्श करके उपनियम के खंड (क) में निर्दिष्ट छः मास की अवधि के भीतर पेंशन और उपदान की अंतिम राशि का अवधारण नहीं किया गया है तो प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा अनंतिम पेंशन और उपदान को अंतिम मानेगा और छः मास की अवधि के समाप्त होने पर तुरंत पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा।

अनंतिम पेंशन जहां सेवानिवृत्ति के समय कार्रवाईयां लंबित हैं।

81. (1) (क) किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में जिसके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के समय विभागीय या न्यायिक कार्रवाईयां लंबित हैं, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा अधिकतम पेंशन, जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक या यदि वह सेवानिवृत्ति तिथि को निलंबित है तो निलंबन की तिथि से ठीक पूर्ववर्ती तिथि तक, अर्हक सेवा के आधार पर जो अनुज्ञेय होती, के बराबर अनंतिम पेंशन प्राधिकृत करेगा।

(ख) अनंतिम पेंशन को, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि से आरंभ होने वाली अवधि के लिए और उस तिथि को शामिल करते हुए, जिसको विभागीय या न्यायिक कार्रवाईयों की समाप्ति के पश्चात् अंतिम आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए थे, तक प्राधिकृत किया जाएगा।

(ग) उपदान और पेंशन के सारांशीकृत मूल्य को सरकारी कर्मचारी की विभागीय या न्यायिक कार्रवाईयों की समाप्ति तक और उन पर अंतिम आदेश जारी होने तक प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।

टिप्पण.– यह प्रावधान वहां भी लागू होगा जहां–

(i) सरकार को किसी भी वित्तीय हानि से संबंधित, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 8 के अधीन, विभागीय कार्रवाईयां सेवानिवृत्ति के समय लंबित हैं,

(ii) सरकारी कर्मचारी की बेईमानी से सम्बन्धित कोई शिकायत, सेवा निवृत्ति के समय राज्य सतर्कता ब्यूरो, लोकायुक्त या अन्य किसी सरकारी जांच एजेन्सी के पास लम्बित है।

(2) उपनियम (1) के अधीन अनंतिम पेंशन के भुगतान को ऐसी कार्रवाईयों की समाप्ति पर, सरकारी कर्मचारी को मंजूर अंतिम पेंशन संबंधी लाभों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा किंतु वहां कोई वसूली नहीं की जाएगी जहां अंतिम मंजूर की गई पेंशन अनंतिम पेंशन से कम है या पेंशन को या तो स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कम किया गया है या रोका गया है।

टिप्पण.– जहां लोकायुक्त, हरियाणा के कार्यालय में किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत लंबित है उसे लोकायुक्त के परामर्श से पेंशन संबंधी लाभ प्रदान किए जाएंगे।

82. (अ) नामांकित को मृत्यु–उपदान मंजूर करने की प्रक्रिया.–

मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को पेंशन संबंधी लाभों की मंजूरी के लिए प्रक्रिया।

(1) जब कार्यालयाध्यक्ष/पेंशन मंजूरी प्राधिकारी को किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु की संसूचना प्राप्त होती है तो वह सुनिश्चित करेगा कि क्या कोई मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान, अनुकम्पा वित्तीय सहायता, पारिवारिक पेंशन उसके अधीनस्थ मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को भुगतानयोग्य है।

(2) (क) जहां मृतक सरकारी कर्मचारी का परिवार इन नियमों के अधीन मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के लिए पात्र है, तो पेंशन मंजूरी प्राधिकारी सुनिश्चित करेगा कि क्या मृतक सरकारी कर्मचारी ने,–

(i) उपदान प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट किया है ; या

(ii) कोई नामनिर्देशन नहीं किया है या किया गया नामांकन विद्यमान नहीं है, व्यक्ति जिन्हें उपदान का भुगतान किया जा सकेगा।

(ख) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी संबंधित व्यक्तियों को प्ररुप पेंशन–6 में मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान का दावा करने के लिए प्ररुप पेंशन–5 में संसूचित करेगा।

(3) यदि मृत्यु की तिथि को सरकारी कर्मचारी के अधिभोग में सरकारी आवास है तो पेंशन मंजूरी प्राधिकारी, लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी को नियम 84 के उपबंधों के अनुसार बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संबोधित करेगा।

(आ) पारिवारिक पेंशन मंजूर करने के लिए प्रक्रिया.–

सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में, जहां मृतक सरकारी कर्मचारी का परिवार अनुकम्पा वित्तीय सहायता की पात्रता के समाप्त होने के पश्चात् इन नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है तो –

(क) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी अनुकम्पा वित्तीय सहायता के समाप्त होने से छः मास पूर्व विधवा/विधुर या अन्य पात्र परिवार के सदस्यों को प्ररुप पेंशन–8 में पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए प्ररुप पेंशन–7 में संसूचित करेगा;

(ख) जहां मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य 18 वर्ष से कम आयु का है तो ऐसे पात्र परिवार के सदस्य का संरक्षक प्ररुप पेंशन–8 में दावा प्रस्तुत करेगा।

83. (1) नियम 82 के उपनियम (अ) तथा (आ) के उपबंधों के अनुसार परिवार से दावा प्राप्त करने के पश्चात् पेंशन मंजूरी प्राधिकारी मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान मंजूर करने के लिए प्ररुप पेंशन–6 और पारिवारिक पेंशन के लिए प्ररुप पेंशन–8 को पूरा करने का कार्य हाथ में लेगा। मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान को उस तिथि से एक मास की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा जिसको सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है।

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले कदम।

(2) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी यह पता लगाने के लिए कदम उठाएगा कि सरकारी आवास से भिन्न कोई अन्य देय सरकारी कर्मचारी से वसूलनीय है। ऐसे सुनिश्चित शोध्यों को, जो मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को भुगतानयोग्य मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान से वसूला जाएगा।

(3) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा का ध्यान मृतक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध बकाया सरकारी शोध्यों के ब्यौरों की ओर आकृष्ट करेगा, अर्थात्.–

(क) भुगतान को प्राधिकृत करने से पूर्व उपदान से वसूली योग्य सरकारी आवास से संबंधित सरकारी शोध्य, यदि कोई हों ;

(ख) सरकारी शोध्यों, के समायोजन के लिए आंशिक रूप से मार्जन के रूप मे रोकी जाने वाली मृत्यु उपदान की राशि, जिनका अब तक निर्धारण नहीं किया गया है ;

(ग) खंड (ख) के प्रयोजन के लिए रोकी जाने वाली मृत्यु उपदान की अधिकतम राशि पहले से ही निर्धारित सरकारी शोध्यों की राशि के अतिरिक्त उपदान की राशि के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी।

(4) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को प्ररुप पेंशन–6, सरकारी कर्मचारी की अदयतन सम्यक् रूप से पूर्ण सेवा पुस्तिका को और किन्हीं अन्य दस्तावेजों को, जिन पर सेवा के सत्यापन के लिए और मृत्यु उपदान की वसूली के लिए निर्भर किया गया है, के साथ प्ररुप पेंशन–9 में अग्रेषण पत्र के साथ भेजेगा।

(5) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी अपने कार्यालय अभिलेख के लिए प्ररुप पेंशन–6 की एक प्रति रखेगा। यदि भुगतान की इच्छा अन्य राज्य लेखांकन सर्कल में की गई है तो प्ररुप पेंशन–6 दोहरी प्रतियों में प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को भेजा जाएगा।

यदि मृतक के अधिभोग में सरकारी आवास था तो बेबाकी प्रमाणपत्र के लिए की जाने वाली कार्रवाई।

84. (i) यदि सरकारी कर्मचारी के अधिभोग में मृत्यु की तिथि को सरकारी आवास था तो पेंशन मंजूरी प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के संबंध में संसूचना की प्राप्ति पर, ऐसी संसूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर लेखा अधिकारी (किराया)/ किराया निर्धारण प्राधिकारी को बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए लिखेगा ताकि मृत्यु उपदान के प्राधिकरण में विलंब न हो। लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी को बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संबोधित करते समय पेंशन मंजूरी प्राधिकारी निम्नलिखित सूचनाएं दोहरी प्रतियों में भेजेगा (एक प्रति किराया विंग को और दूसरी प्रति आबंटन विंग को मार्क की जाएगी :–

(क) पदनाम सहित मृतक सरकारी कर्मचारी का नाम;

(ख) आवास के विवरण (मकान संख्या, टाइप आदि);

(ग) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि;

(घ) क्या सरकारी कर्मचारी मृत्यु के समय अवकाश पर था और यदि हां, तो अवकाश की अवधि और स्वरूप;

(ड.) क्या सरकारी कर्मचारी किराया मुक्त आवास का उपभोग कर रहा था;

(च) वह अवधि जिस तक मृतक सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तों से अनुज्ञप्ति फीस वसूल ली गई है और वसूली का मासिक किराया और वेतन बिल के ब्यौरे जिसके अधीन अंतिम वसूली की गई थी।

(छ) यदि मृत्यु की तिथि तक अनुज्ञप्ति फीस की वसूली नहीं की गई थी और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से परिवार अनुज्ञप्ति फीस की साधारण दर पर समय–समय पर यथाविनिर्दिष्ट अनुज्ञेय अवधि के लिए सरकारी आवास को रखने की इच्छा रखता है तो मृतक कर्मचारी के नाम बकाया अनुज्ञप्ति फीस की राशि को मृत्यु उपदान की राशि से वसूला जाएगा।

(ii) बारह मास की अनुज्ञेय अवधि से आगे सरकारी आवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस की वसूली करने का उत्तरदायित्व लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी का होगा।

(iii) लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी अपने अभिलेखों को यह अवधारित करने के लिए संवीक्षा करेगा कि क्या मृतक सरकारी कर्मचारी के नाम बकाया अनुज्ञप्ति फीस थी। यदि कोई वसूली पाई जाती है तो वह राशि और अवधि जिससे ऐसी वसूली या वसूलियां संबंधित है की संसूचना, पेंशन मंजूरी प्राधिकारी को, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के संबंध में संसूचना की प्राप्ति की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर संसूचित की जाएगी।

(iv) खंड (iii) के अधीन सूचना प्राप्ति के लंबन के दौरान, पेंशन मंजूरी प्राधिकारी मृत्यु उपदान की राशि का 10 प्रतिशत या पचास हजार रुपये इनमें से जो भी कम हो, रोक लेगा।

(v) यदि पेंशन मंजूरी प्राधिकारी को लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति फीस की वसूली के संबंध में ऊपर विहित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह अवधारणा की जाएगी कि मृतक सरकारी कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जानी है तथा रोके गए मृत्यु उपदान की राशि का उन व्यक्ति को भुगतान कर दिया जाएगा जिनको मृत्यु उपदान की राशि भुगतान की गई थी। यदि बाद में कोई खामिया नोटिस में आती है तो उसके लिए उत्तरदायित्व लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी का होगा।

(vi) यदि पेंशन मंजूरी प्राधिकारी ने लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी से खंड (iv) के अधीन मृतक सरकारी कर्मचारी के नामे बकाया अनुज्ञप्ति फीस के संबंध में कोई सूचना प्राप्त की है तो पेंशन मंजूरी प्राधिकारी वेतन बिल से सत्यापित करेगा कि क्या अनुज्ञप्ति फीस की बकाया राशि को मृतक सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तों से वसूल लिया गया था। यदि सत्यापन के परिणामस्वरूप यह पाया जाता है कि लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बकाया के रूप में उपदर्शित अनुज्ञप्ति फीस की राशि को पहले ही वसूल लिया गया था तो पेंशन मंजूरी प्राधिकारी लेखा अधिकारी (किराया)/किराया निर्धारण प्राधिकारी का ध्यान उस वेतन बिल की ओर आकृष्ट करेगा जिसके अधीन अनुज्ञप्ति फीस की आवश्यक वसूली की गई थी और मृत्यु उपदान की शेष राशि को अनुज्ञप्ति फीस से भिन्न वसूली योग्य सरकारी शोध्यों के अधीन उन व्यक्तियों के पक्ष में स्वीकृत करने की कार्रवाई करेगा जिन्हें पूर्व में मृत्यु उपदान का भुगतान किया गया था।

(vii) यदि बकाया अनुज्ञप्ति फीस की राशि को मृतक सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तों से वसूल नहीं किया गया था तो बकाया राशि को खंड (iv) के अधीन रोकी गई उपदान की राशि के विरूध समायोजित किया जाएगा और अतिशेष, यदि कोई हो, का उन व्यक्तियों को पुनः भुगतान कर दिया जाएगा जिन्हें मृत्यु उपदान की राशि भुगतान की गई थी।

मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के लिए मृतक सरकारी कर्मचारी की सेवा और परिलाभों का सत्यापन।

85. (क) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी, मृतक सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का अवलोकन करेगा और स्वयं को संतुष्ट करेगा कि संपूर्ण सेवा के लिए सेवा सत्यापन प्रमाणपत्र को उसमें अभिलिखित किया गया है।

(ख) यदि वहां असत्यापित सेवा की कोई अवधियां हैं तो पेंशन मंजूरी प्राधिकारी, सेवा के असत्यापित भाग को सेवा पुस्तिका में उपलब्ध प्रविष्टियों के आधार पर सत्यापित के रूप में स्वीकार करेगा। इस प्रयोजन के लिए पेंशन मंजूरी प्राधिकारी सेवा के असत्यापित भाग को स्वीकार करते समय अन्य सुसंगत सामग्री पर निर्भर कर सकता है जिसके प्रति उसकी पहुंच हो, पेंशन मंजूरी प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा सत्त थी और इसका पदच्युति, पद से हटाने और सेवा से त्यागपत्र या अन्यथा प्रतिसंह्मण नहीं किया गया था।

(ग) अर्हक सेवा का अवधारण सेवा पुस्तिका में सेवा सत्यापन की प्रविष्टियों को निर्दिष्ट करते हुए किया जाएगा। यदि किसी विशिष्ट मामले में, सेवा पुस्तिका को इस विषय पर सरकारी आदेशों के होते हुए भी उचित रूप से नहीं रखा गया है और पेंशन मंजूरी प्राधिकारी के लिए सेवा के असत्यापित भाग सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के आधार पर सत्यापित के रूप में स्वीकार करना संभव नहीं है तो पेंशन मंजूरी प्राधिकारी केवल सेवा की सत्यापित अवधि तक ही सीमित रहेगा।

(घ) मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के लिए परिलब्धियों के अवधारण के प्रयोजन हेतु पेंशन मंजूरी प्राधिकारी, परिलाभों के सहीपन के सत्यापन के लिए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अधिकतम अवधि तक ही सीमित रहेगा।

(ङ) मृत्यु की तिथि को सरकारी कर्मचारी असाधारण अवकाश पर था तो परिलाभों का सहीपन असाधारण अवकाश प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व आहरित अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए सत्यापित किया जाएगा।

टिप्पण.–अर्हक सेवा और अर्हक परिलाभ के अवधारण की प्रक्रिया को सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि के संबंध में संसूचना की प्राप्ति के एक मास के भीतर पूरा किया जाएगा और पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान की राशि की भी तद्नुसार संगणना की जाएगी।

अपूर्ण सेवा अभिलेख की स्थिति में अनंतिम मृत्यु उपदान का भुगतान।

86. (1) जब सरकारी कर्मचारी ने चौबीस वर्ष से अधिक की सेवा की हो और संपूर्ण सेवा सत्यापित करने और स्वीकार करने के योग्य नहीं हो किन्तु अंतिम पांच वर्ष की सेवा सत्यापित और स्वीकार कर ली गई है तो मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को अनंतिम आधार पर बारह मास की परिलब्धियों के समतुल्य मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) मृत्यु उपदान की अंतिम राशि का अवधारण पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा उस तिथि से छः मास की अवधि जिसको अनंतिम उपदान के भुगतान के लिए प्राधिकार जारी किया गया था। इन नियमों के नियम 40 के उप–नियम (2) के अधीन संपूर्ण सेवा की अवधि के स्वीकार करने और सत्यापन पर किया जाएगा अतिशेष, यदि कोई हो, जो मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान की राशि के अंतिम अवधारण के परिणामस्वरूप भुगतान हो जाता है, को तब लाभग्राहियों को प्राधिकृत किया जाएगा।

पारिवारिक पेंशन के लिए सेवा और परिलब्धियों का सत्यापन।

87. (1) यदि मृतक सरकारी कर्मचारी ने मृत्यु की तिथि को निम्नलिखित से अधिक सेवा की है तो—

(i) एक वर्ष से अधिक सेवा किन्तु सात वर्ष से कम सेवा, सेवा के अंतिम वर्ष की सेवा और परिलाभ को सत्यापित किया जाएगा और पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा नियम 48 के अधीन पारिवारिक पेंशन की राशि अवधारित की जाएगी;

(ii) सात वर्ष की सेवा, अंतिम सात वर्ष की सेवा और अंतिम वर्ष में आहरित परिलाभ को पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित और स्वीकार किया जाएगा तथा बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की राशि और अवधि जिसके लिए यह भुगतानयोग्य है का अवधारण नियम 49 के उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(iii) सात वर्ष की सेवा, यदि सेवा के अंतिम सात वर्ष सत्यापित करने के और पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है किन्तु अंतिम वर्ष के दौरान की गई सेवा सत्यापित और स्वीकृत की गई है तो पेंशन मंजूरी प्राधिकारी सात वर्ष की सेवा के लंबन के दौरान पारिवारिक पेंशन की राशि की संगणन नियम 48 के उपबंधों के अनुसार करेगा।

(2) अंतिम सात वर्ष की सेवा अगले दो मास के भीतर सत्यापित और स्वीकृत की जाएगी तथा बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की राशि तथा अवधि जिसके लिए यह भुगतानयोग्य है का नियम 49 के उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार अवधारण किया जाएगा।

(3) खंड (1) के उप–खण्ड (i), (ii) तथा (iii) के उपबंधों के अनुसार पारिवारिक पेंशन का अवधारण सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि की सूचना की प्राप्ति के एक मास के भीतर किया जाएगा।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा द्वारा मृत्यु उपदान तथा पारिवारिक पेंशन के लिए उठाए जाने वाले कदम।

88. (1) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पेंशन पेपरों की प्राप्ति पर, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से दो मास की अवधि के भीतर अपेक्षित जांच करेगा और पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु उपदान की राशि का निर्धारण करेगाः

परंतु यदि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा किसी कारण से उपयुर्क्त अवधि के भीतर अंतिम राशि का निर्धारण करने में असमर्थ रहता है तो वह दावाकर्ता को ऐसी अवधि के लिए जैसा उसके द्वारा अपेक्षा की जाएगी अनंतिम पारिवारिक पेंशन को प्राधिकृत करेगा।

(2) (क) यदि पारिवारिक पेंशन उसकी लेखा परिधि में भुगतानयोग्य है तो प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा। यदि अंतिम पारिवारिक पेंशन सहित अनंतिम पारिवारिक पेंशन के बकाया दूसरी लेखा परिधि में भुगतानयोग्य है तो प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा पेंशन भुगतान आदेश के साथ प्ररुप पेंशन–8 की सम्यक् पूर्ण प्रति उस लेखा परिधि के प्रधान महालेखाकार को भुगतान का प्रबन्ध करने के लिए भेजेगा;

(ख) पारिवारिक पेंशन का भुगतान उस की आगामी तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को अनुकम्पा वित्तीय सहायता का भुगतान समाप्त होता है; तथा

(ग) उस अवधि के संबंध में, पारिवारिक पेंशन के बकायों, यदि कोई हों, जिसके लिए अनंतिम पारिवारिक पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई थी, को भी प्रधान

महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

(3) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा मृत्यु उपदान के अतिशेष की राशि का भुगतान मृतक सरकारी कर्मचारी के नामे बकाया की राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के पश्चात् अवधारित और प्राधिकृत करेगा।

(4) पेंशन भुगतान आदेश को जारी करने के तथ्य की रिपोर्ट पेंशन मंजूरी प्राधिकारी को प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा द्वारा दी जाएगी और दस्तावेज जिनकी अधिक आवश्यकता नहीं है पेंशन मंजूरी प्राधिकारी को लौटा दिए जाएंगे।

प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में मृत्यु–एवं–सेवा–निवृत्ति उपदान के भुगतान के लिए कार्रवाई।

89. सरकारी कर्मचारी की किसी अन्य सरकार या विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान मृत्यु की दशा में मृत्यु उपदान और पारिवारिक पेंशन के भुगतानों को प्राधिकृत करने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई मूल विभाग जिसने प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा मंजूर की थी द्वारा की जाएगी।

अध्याय–X

पेंशन का भुगतान

पेंशन आरम्भ करने की तिथि।

90. इन नियमों में पात्रता के अध्यधीन, पेंशन सेवानिवृत्ति के अगले दिन से आरम्भ होगी, तथा पारिवारिक पेंशन सेवाकाल के दौरान मृत्यु की अवस्था में अनुकम्पा वित्तीय सहायता की समाप्ति के अगले दिन से तथा पेंशनधारक की मृत्यु की दशा में उसकी मृत्यु के अगले दिन से आरम्भ होगी ।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन का प्राधिकरण।

91. (1) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्राधिकरण की निम्नलिखित को संसूचना देगाः–

(क) जिला खजाना अधिकारी जिसकी अधिकारिता में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाना है

(ख) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी; और

(ग) यथास्थिति, पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन भोगी

(2) पेंशन की दशा में ऐसा प्राधिकरण प्ररुप पेंशन–16 में पेंशन भुगतान आदेश और पारिवारिक पेंशन की दशा में प्ररुप पेंशन–17 में पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश होगा।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन और मृत्यु–एवं–सेवा–निवृत्ति उपदान में कालातीत और समपहरण।

92. (1) जब तक कि सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न करे, एक वर्ष या उससे से अधिक की अवधि के लिए आहारित नहीं की गई मासिक पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान किया जाना समाप्त कर दिया जाएगा। यदि उसके पश्चात् पेशनभोगी उपस्थित होता है या इस निमित्त कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है, यदि दावा पेंशन बंद होने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो वितरण अधिकारी पेंशन को अनुज्ञात कर सकेगा और बकाया को उसके द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा। तथापि, बकाया के लिए दावा निम्नलिखित के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है तो भुगतान–

(i) एक वर्ष किंतु तीन वर्ष से पूर्व का पेंशन मंजूरी प्राधिकारी की स्वीकृति से;

(ii) तीन वर्ष या अधिक विभागाध्यक्ष की स्वीकृति से प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा के माध्यम से किया जाएगा।

(2) मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान तथा/या सारांशीकरण भुगतान आदेश कालातीत हो जाएगा यदि प्राधिकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आहरित नहीं किया जाता है। यदि मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान तथा पेंशन का सारांशीकरण के लिए दावा एक वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है तो इसका पेंशन मंजूरी प्राधिकारी की सिफारिशों पर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा द्वारा पुनः विधिमान्यकरण किया जाएगा ।

उपदान और पेंशन के सारांशीकृत मूल्य का भुगतान।

93. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा से प्राधिकरण पर मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन के सारांशीकरण का भुगतान पृथक रूप से एकमुशत में किया जाएगा तथा न कि किस्तों में।

पेंशन भोगी की मृत्यु की दशा में विधिक उत्तराधिकारियों को बकायों का भुगतान।

94. (क) पेंशनभोगी की मृत्यु पर, किन्हीं बकायों का भुगतान उसके विधिक उत्तराधिकारियों को किया जाएगा; बशर्ते कि वे उसकी मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन करें। तत्पश्चात् इसका भुगतान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा के माध्यम से पेंशन मंजूरी प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

(ख) मृतक पेंशन भोगी के संबंध में बकायों का भुगतान करने के बाद, पेंशन भुगतान आदेश की प्रति प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि की रिपोर्ट के साथ वापस भेजी जाएगी।

———————

अध्याय–XI

पेंशन का सारांशीकरण

पेंशन के सारांशीकरण के लिए पात्रता।

95. (1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई सरकारी कर्मचारी सेवा से निवृत्ति पर, जो पेंशन का पात्र है अपनी पेंशन के 40% (चालीस प्रतिशत) से अनधिक भाग के सारांशीकरण के एकमुश्त भुगतान के लिए विकल्प कर सकेगा, तथापि, न्यायिक अधिकारियों की दशा में, पेंशन का सारांशीकरण पेंशन के 50% (पचास प्रतिशत) तक अनुज्ञेय होगाः

परंतु सेवा से अशक्त किए गए या निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 के अधीन सेवा में रखे गए सरकारी कर्मचारी, चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा जांच के बिना, पेंशन के सारांशीकरण के हकदार नहीं होंगे।

(2) पेंशन का सारांशीकरण पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए या ब्याज सहित सारांशीकृत कीमत की वसूली तक पेंशन की राशि में कटौती के अधीन होगा, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो। इसके पश्चात् पेंशन के सारांशीकृत भाग को बहाल कर दिया जाएगा।

(3) कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी, जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाईयां संस्थित की गई हैं या उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् जारी रहती हैं, तो उसे ऐसी कार्रवाई के लंबन के दौरान पेंशन के किसी भाग को सारांशीकृत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) रुपये का भाग, यदि कोई हो, पेंशन के भाग के सारांशीकरण प्रयोजन के लिए, अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

टिप्पण.– अनुकम्पा भत्ते का सारांशीकरण केवल साक्ष्य पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा कि सारांशीकरण के आगम का निवेश सारांशीकर्ता के परिवार के स्थायी लाभ के लिए किया जाएगा।

पेंशन की सारांशीकरण की राशि की संगणना।

96. सारांशीकरण पर भुगतानयोग्य एकमुश्त राशि नीचे दी गई सारांशीकरण तालिका मे वर्णित अगले जन्म दिन पर आयु के अनुरूप सारांशीकरण कारक अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित आधार पर गणित की जाएगीः–

सारांशीकरण सारणी			
अगले जन्मदिन पर आयु	**सारांशीकरण कारक**	**अगले जन्मदिन पर आयु**	**सारांशीकरण कारक**
26	9.182	49	8.881
27	9.180	50	8.846
28	9.178	51	8.808
29	9.176	52	8.768
30	9.173	53	8.724
31	9.169	54	8.678
32	9.164	55	8.627
33	9.159	56	8.572
34	9.152	57	8.512
35	9.145	58	8.446
36	9.136	**59**	**8.371**
37	9.126	60	8.287

38	9.116	61	8.194
39	9.103	62	8.093
40	9.090	63	7.982
41	9.075	64	7.862
42	9.059	65	7.731
43	9.040	66	7.591
44	9.019	67	7.431
45	8.996	68	7.262
46	8.971	69	7.083
47	8.943	70	6.897
48	8.913		

उदाहरणः

	श्रीमान 'क'	**श्रीमान 'ख'**
स्वीकृत पेंशन	प्रतिमास रुपये 10,000/–	प्रतिमास 16,000/–
सारांशीकृत की जाने वाली पेंशन का भाग	पेंशन का 40% (अर्थात् 4,000/– रुपये)	पेंशन का 40% (अर्थात् 6,400/– रुपये)
अगले जन्मदिन को आयु	59 वर्ष आयु	61 वर्ष
सारांशीकरण कारक	8.371	8.194
पेंशन का सारांशीकृत मूल्य	4000 X 8.371 X 12 = 4,01,808/– रुपये	6400 X 8.194 X 12 = 6,29,300/– रुपये

व्याख्या.– जहां पेंशन और/या पेंशन के सारांशीकरण को सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् एक वर्ष के बाद प्राधिकृत किया जाता है, चाहे कोई भी कारण हो, सारांशीकरण कारक आवेदन की तिथि को अगले जन्मदिन की आयु के लिए तत्स्थानी लागू होगा।

पेंशन के सारांशीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना।

97. (1) पेंशन के सारांशीकरण के लिए आवेदन आवेदक, द्वारा प्ररूप पेंशन–2 में सेवानिवृत्ति की तिथि से छः मास पूर्व या एक वर्ष के भीतर कार्यालयाध्यक्ष, जिसमें विहित सीमा तक पेंशन का कोई भाग जिसको वह सारांशीकृत करना चाहता है, प्रस्तुत करेगा। नियम 108 (ii) में अन्यथा उपबंधित के सिवाए जहां आवेदन सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, यह लाभ चिकित्सा जांच के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा।

(2) जहां पेंशन का सारांशीकरण चिकित्सा जांच के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय है, आवेदक कार्यालयाध्यक्ष को दो पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ प्ररुप पेंशन–12 में प्रस्तुत करेगा।

टिप्पण.– जहां आवेदक अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर पेंशन के सारांशीकरण के लिए आवेदन करता है किंतु विहित प्ररुप में उसका आवेदन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् प्राप्त किया जाता है तो वह अपनी पेंशन को चिकित्सा जांच के बिना सारांशीकृत करने के लिए पात्र नहीं होगा। वह प्ररुप पेंशन–12 में फिर से आवेदन करेगा।

आवेदन पर कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्रवाई।

98. (1) प्ररुप पेंशन–2 में आवेदन की प्राप्ति पर कार्यालयाध्यक्ष–

(क) प्ररूप पर उसकी प्राप्ति की तिथि को प्रदर्शित करते हुए अधोहस्ताक्षर करेगा ;

(ख) प्ररुप पेंशन–2 की प्राप्ति की तुरंत अभिस्वीकृति देगा और उसे आवेदक को भेजेगा;

(ग) प्ररुप पेंशन–3 को तुरंत पूरा करेगा और उसे प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को इन नियमों में अधिकृत औपचारिकता का अनुपालन करने के पश्चात् भेजेगा।

(2) कार्यालयाध्यक्ष प्ररुप पेंशन–12 की प्राप्ति पर, यथास्थिति, नियम 101 या नियम 102 में यथा विहित सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की निकटतम सिविल सर्जन से चिकित्सा जांच के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा।

पेंशन के सारांशीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति।

99. पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति प्ररुप पेंशन–2 या प्ररुप पेंशन–12 में प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को सारांशीकरण के आवेदन के प्राधिकरण करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा, इसे पेंशन के सारांशीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति/अनुमोदन के रूप में माना जाएगा।

पेंशन का सारांशीकरण आत्यांतिक हो जाना।

100. (1) पेंशन का सारांशीकरण, यथास्थिति, उस तिथि को आत्यांतिक हो जाएगा, जिसको–

(क) सभी प्रकार से परिपूर्ण प्ररुप पेंशन–2 में आवेदन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्त किया जाता है; या

(ख) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी प्ररुप पेंशन–14 के भाग–III में चिकित्सा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर देता है,

अपवाद.– यह उपबन्ध सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में लागू नहीं होगा।

(2) सारांशीकृत मूल्य प्राप्त करने से पूर्व, यदि पेंशनभोगी की उस तिथि को या उसके पश्चात् मृत्यु हो जाती है, जिसको सारांशीकरण आत्यांतिक हो जाता है, तो इस मूल्य को मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान के लिए लागू उपबंधों के अनुसार परिवार के सदस्यों को भुगतान किया जाएगा।

चिकित्सा जांच के लिए संबंधित सरकारी कर्मचारी और सिविल सर्जन को संसूचना।

101. (1) जहां पेंशन का सारांशीकरण चिकित्सा जांच के अधीन रहते अनुज्ञेय है, पेंशन मंजूरी प्राधिकारी प्ररुप पेंशन–13 में संबंधित सिविल सर्जन को, चिकित्सा जांच संचालित करने के लिए प्ररुप पेंशन–12 में आवेदक के दो फोटोग्राफ सहित, जिसमें से एक फोटो को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित करने के पश्चात् प्ररुप पेंशन–12 पर चिपका दी जाएगी, अनुरोध करेगा। अन्य फोटो प्ररुप पेंशन–14 में चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच संचालित करने के दौरान सत्यापित की जाएगी।

(2) कार्यालयाध्यक्ष इसके साथ ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को उक्त चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित होने का अनुदेश देगा।

जहां आवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, चिकित्सा जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी।

102. (1) जहां पेंशन के सारांशीकरण के लिए कोई आवेदन सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के पश्चात् प्राप्त किया जाता है तो ऐसी दशा में आवेदक की चिकित्सा जांच जिले के सिविल सर्जन द्वारा, जिसमें वह साधारणतया निवास करता है, संचालित की जाएगी।

(2) सिविल सर्जन यथा–संभव शीघ्र आवेदक द्वारा प्ररुप पेंशन–12 में वर्णित नजदीकी उपलब्ध स्टेशन पर आवेदक की चिकित्सा जांच के लिए प्रबंध करेगा। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी प्ररुप पेंशन–14 के भाग–I को चिकित्सा प्राधिकारी की उपस्थिति में भरेगा। चिकित्सा प्राधिकारी चिकित्सा जांच संचालित करने के पश्चात् प्ररुप पेंशन–14 के भाग–III में चिकित्सा रिपोर्ट जारी करेगा।

(3) पेंशन के सारांशीकरण के लिए चिकित्सा जांच के लिए फीस सेवानिवृत्त व्यक्ति से प्रभारित की जाएगी।

अन्य मामलों में चिकित्सा जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी।

103. (1) सेवा से अशक्त और निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 के अधीन सेवा में रखे गए सरकारी कर्मचारी की दशा में सारांशीकरण के लिए चिकित्सा जांच चिकित्सा बोर्ड द्वारा संचालित की जाएगी।

(2) ऐसे मामलों में, चिकित्सा मामले का कथन प्रमाणित करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा।

(3) कोई आवेदक जिसे चिकित्सा आधार पर एक बार पेंशन सारांशीकरण से इंकार कर

दिया गया हो या वह जिसने किसी भी कारण से सारांशीकरण को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया हो, द्वितीय चिकित्सा जांच के लिए अपने स्वयं के खर्च पर प्रथम जांच से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आवेदन कर सकेगा। ऐसी जांच अनिवार्यतः चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। पेंशन भोगी की जांच करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी को अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त उस चिकित्सा प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसने पूर्व में उसकी जांच की थी।

(4) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी बिना किसी विलंब के, पूर्ण किए गए प्ररुप पेंशन–12 और प्ररुप पेंशन–14 को मूल रुप में और उसके द्वारा सत्यापित फोटो की प्रति के साथ कार्यालयाध्यक्ष को भेजेगा, जिसने चिकित्सा जांच की सिफारिश की थी। पेंशन–14 के भाग– III की एक प्रमाणित प्रति पेंशन भोगी को उसी स्थल पर उसकी चिकित्सा जांच के पश्चात् दी जाएगी।

(5) पेंशन के सारांशीकरण के लिए चिकित्सा जांच के लिए फीस आवेदक से प्रभारित की जाएगी।

टिप्पण.– यदि चिकित्सा प्राधिकारी की राय में कोई विशेष जांच आवश्यक है जो उसके द्वारा की जानी संभव नहीं है तो वह आवेदक से उसके स्वयं के खर्च पर ऐसी जांच करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा। जांच के किसी परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा ऐसे खर्च पर कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

आवेदन का प्रत्याहरण।

104. कार्यालयाध्यक्ष को लिखित में आवेदन करने के पश्चात् प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा द्वारा उसे प्राधिकृत करने से पूर्व आवेदक किसी भी समय पेंशन के सारांशीकरण के आवेदन को वापस ले सकेगा।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा द्वारा की जाने वाली कारवाई।

105. (1) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी पेंशन के सारांशीकरण के लिए आवेदन को प्रधान महालेखाकार हरियाणा को यथास्थिति, प्ररुप पेंशन–4 या प्ररुप पेंशन–15 में अग्रेषित करेगा। चिकित्सा जांच के पश्चात् पेशन के सारांशीकरण की दशा में, प्ररुप 15 के साथ प्ररुप पेंशन–12 और प्ररुप पेंशन – 14 भी साथ भेजे जाएंगे।

(2) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी से पेंशन के सारांशीकरण के लिए प्ररूपों की प्राप्ति पर, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा सत्यापित करेगा कि–

(क) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्ररुप पेंशन–3 में प्रस्तुत की गई सूचना सही है;

(ख) आवेदक बिना चिकित्सा जांच के उस के पेंशन के एक भाग का सारांशीकरण करने के लिए पात्र है;

(ग) पेंशन के सारांशीकृत मूल्य का कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सही रूप से अवधारण किया गया है;

(3) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा प्ररुप पेंशन–3 में प्रस्तुत सूचना के आवश्यक सत्यापन के पश्चात्.–

(क) संबंधित संवितरण प्राधिकारी को पेंशन के सारांशीकृत मूल्य के भुगतान के लिए प्राधिकार जारी करेगा

(ख) संबंधित पेंशन संवितरण प्राधिकारी का, जो पेंशन के सारांशीकृत भाग की वसूली के लिए उत्तरदायी है, ध्यान आकृष्ट करेगा, जिससे संवितरण प्राधिकारी पेंशन भुगतान आदेश में उस तिथि के संबंध में प्रविष्टि कर सके, जिसको पेंशन की राशि को पेंशन के भाग के सारांशीकरण के कारण कम किया जाना है।

(ग) आवेदक को खंड (क) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुदेशों सहित एक प्रति पृष्ठांकित करेगा कि वह पेंशन के सारांशीकृत मूल्य को संवितरण प्राधिकारी से प्राप्त करे।

पेंशन से सारांशित भाग की वसूली।

106. पेंशन का सारांशीकरण पेंशन से वसूली के अध्यधीन है, इसलिए, पेंशन कें सारांशित भाग की वसूली उसी मास की पेंशन सें चालू होगी जिसमें पेंशन का सारांशित मूल्य पेंशनर के बैंक खाते में जमा किया गया है। वसूली की राशि पेंशन के सारांशित भाग से कम नहीं होगी। जब कभी पेंशनर पेंशन के सारांशित भाग की राशि से अधिक भुगतान करना चाहता है, तो उसे पेंशन के सारांशीकरण के प्राधिकार की तिथि से पन्द्रह वर्ष की अवधि के दौरान पेंशन संविरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकता है बशर्ते पहले वसूल या वसूल की जाने वाली कुल राशि पेंशन के सारांशित भाग की 180 किस्तों की कुल राशि से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 1.– जहां पेंशन का सारांशीकरण भूतलक्षी प्रभाव से प्राधिकृत या पुनरीक्षित किया गया है, तो प्रधान महालेखकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा पेंशन के सारांशीकरण को प्राधिकृत या पुनरीक्षित, जैसी भी स्थिति हो करने के मास तक पेंशन के सारांशित भाग की वसूली का समायोजन करेगा।

टिप्पण 2.– पेंशन के सारांशित भाग की कोई भी वसूली पारिवारिक पेंशन से नहीं की जाएगी।

सारांशित मूल्य के भुगतान की सूचना।

107. तिथि जिसकों पेंशन के सारांशित मूल्य का भुगतान आवेदक के खाते में जमा किया गया है, उसे प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा की सूचना के अधीन पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान आदेश के दोनो अधपन्नों में दर्ज किया जाएगा।

अन्तिम पेंशन का सारांशीकरण जहां कार्रवाई लम्बित है।

108. अन्तिम पेंशन विभागीय या न्यायिक कार्रवाई, जैसी भी स्थिति हो पर अन्तिम निर्णय लेने तक सारांशित नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में, पेंशनर की पेंशन का सारांशीकरण अन्तिम निर्णय के बाद ही अनुज्ञेय होगा–

(i) यदि निर्णय पेंशन को कम करने के लिए लिया गया है, तो पेंशन का सारांशीकरण, पेंशन घटाने के अन्तिम निर्णय की तिथि से आगामी जन्म दिन को उसकी आयु के अनुरूप सारांशीकरण कारक के अनुसार अनुज्ञेय होगाः

परन्तु यह लाभ चिकित्सा जांच के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा जहां अन्तिम निर्णय सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष बाद लिया गया है।

(ii) यदि पूर्णतया निर्दोष ठहराया गया है, तो वह भूतलक्षी प्रभाव से पेंशन के सारांशित भाग की वसूली सहित ऐसी राशि के बराबर पेंशन के सारांशीकरण के लिए पात्र होगा जो उसको अनुज्ञेय होती मानो अनन्तिम पेंशन की बजाए अधिवर्षिता पेंशन प्रदान की गई हो, बशर्ते आवेदन अन्तिम निर्णय की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

भूतलक्षी प्रभाव से पेंशन का पुनः नियतन।

109. जहां पेंशन किसी भी कारण से भूतलक्षी रूप से पुनरीक्षित तथा बढ़ाई गई है, तो आवेदक को भूतलक्षी प्रभाव से पेंशन के बढाए गए सारांशित भाग की वसूली के अधीन बढ़ाई गई पेंशन पर देय सारांशित मूल्य के बीच अन्तर का भुगतान किया जाएगा। अन्तर के भुगतान के लिए आवेदक को दोबारा आवेदन करना आवश्यक नहीं होगा।

टिप्पण.– नियम 106 के नीचे टिप्पण 1 भी देखिए।

———————

हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 से सम्बन्धित प्ररूपों की क्रमसूची

क्रम सख्या	प्ररूप संख्या	नियम जिसमें निर्दिष्ट है	विवरण
1	**पेंशन 1**	41(2)	मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामांकन ।
2	**पेंशन 2**	71	सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व सरकारी कर्मचारी/मृतक कर्मचारी के परिवार से प्राप्त किए जाने वाले विवरण।
3	**पेंशन 3**	75	पेंशन, पारिवारिक पेंशन, पेंशन का सारांशीकरण तथा उपदान निर्धारण के लिए प्ररूप।
4	**पेंशन 4**	75	सरकारी कर्मचारी के पेंशन कागजों को भेजने के लिए प्रधान महालेखाकार को पत्र।
5	**पेंशन 5**	82(अ)	मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान हेतु परिवार को भेजे जाने वाले पत्र का नमूना जहां वैध नामांकन अस्तित्व में है या नहीं।
6	**पेंशन 6**	82(अ)	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान प्रदान करने के लिए परिवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन का प्ररूप।
7	**पेंशन 7**	82(आ)	पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए विधवा/विधुर को भेजा जाने वाला पत्र।
8	**पेंशन 8**	82(आ)	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए पात्र पारिवारिक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप।
9	**पेंशन 9**	83	मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान/पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए प्रधान महालेखाकार को भेजने वाले पत्र का प्ररूप।
10	**पेंशन 10**	70	असत्यापित सेवा की अवधि के बारे में सरकारी कर्मचारी को भेजे जाने वाला पत्र ।
11	**पेंशन 11**	70	असत्यापित सेवा की अवधि के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये जाने वाला वचन–पत्र ।
12	**पेंशन 12**	97	चिकित्सा परीक्षण के बाद पेंशन के भाग के सारांशीकरण के लिए आदेवन का प्ररूप।
13	**पेंशन 13**	101	चिकित्सा परीक्षण के लिए सिविल सर्जन तथा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को पत्र।
14	**पेंशन 14**	102	चिकित्सा परीक्षण के बारे में चिकित्सा प्राधिकारी की रिपोर्ट।
15	**पेंशन 15**	105	प्रधान महालेखाकार, हरियाणा को चिकित्सा परीक्षण के बाद पेंशन के सारांशीकरण का अग्रेषण पत्र।
16	**पेंशन 16**	91	पेंशन भुगतान आदेश।
17	**पेंशन 17**	91	पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश।

प्ररूप पेंशन–1

[देखिए नियम 41(2)]

मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामांकन यदि सरकारी कर्मचारी का उस समय परिवार है या नहीं है

मैं ....., ... के रूप में कार्यरत हूँ तथा मेरे परिवार का विवरण निम्न अनुसार है :–

क्रम संख्या	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	सरकारी कर्मचारी से सम्बन्ध	आधार कार्ड नम्बर	टिप्पणी
1					
2					
3					
4					

मैं, एतद् द्वारा, निम्नलिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) का नामांकन करता हूँ जो मेरे परिवार का सदस्य है/हैं या जो मेरे परिवार का सदस्य नहीं है/हैं तथा कोई उपदान प्राप्त करने के लिए उसको/उनको अधिकार प्रदान करता हूँ जिसका भुगतान सेवा के समय मेरी मृत्यु की दशा में सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है तथा नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक मेरी मृत्यु पर कोई मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने का अधिकार जो सेवा के समय मृत्यु या मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान की प्राप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की दशा में मुझे अनुज्ञेय होगी :–

मूल नामांकित/नामांकितो				आनुकल्पिक नामांकित/नामांकितो	
नामांकित/ नामांकितो का नाम तथा पता	सरकारी कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु	प्रत्येक को भुगतानयोग्य उपदान की राशि या हिस्सा	व्यक्ति (व्यक्तियों), यदि कोई हों, का नाम, पता तथा नामांकित का सम्बन्ध रिश्तेदारी जिसको नामांकित का अधिकार प्रदत्त है सरकारी कर्मचारी से पहले मरने वाले नामांकित या सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद मरने वाले नामांकित, किन्तु उपदान का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व, की दशा में स्वीकृत किया जाएगा।	प्रत्येक को भुगतानयोग्य उपदान की राशि का हिस्सा
1	2	3	4	5	6

2. मूल नामांकित के रूप में व्यक्तियों की संख्या (शब्दों में) : .....
3. आनुकल्पिक नामांकित के रूप में व्यक्तियों की संख्या (शब्दों में) : .....
4. यह नामांकन ..... को मेरे द्वारा पहले लिए नामांकन का निरसन करता है जो रद्द हो गया है।
5. जो लागू न हो उसे काट दें।
6. खाना संख्या 4 तथा 6 में दर्शाई गई मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान की राशि/हिस्से में मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान की सम्पूर्ण राशि शामिल होगी।

यह 20..... के ..... दिन ..... में किया गया।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

गवाह :

	नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
1			
2			

(कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जाना है)

..... द्वारा नामांकन

पद नाम .....

कार्यालय. .....

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर .....

दिनांक : .....

पदनाम : .....

नामांकन प्ररूप की प्राप्ति के बारे में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पावती

प्रेषक

.....

.....

.....

श्रीमान जी,

आपके नामांकन दिनांक ..... की प्राप्ति में मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के सम्बन्ध में पहले किए गए नामांकन दिनांक ..... को रद्दकरण की पावती में, मैं अभिव्यक्त करता हूँ कि इसे रिकार्ड में विधिवत रखा गया है।

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(तिथि तथा कार्यालय मोहर सहित)

टिप्पण.– सरकारी कर्मचारी को मन्त्रणा दी जाती है कि यह उसके हित में होगा यदि नामांकन तथा सम्बन्धित सूचनाएं तथा पावती की प्रतियां सुरक्षित अभिरक्षा में रखे ताकि वे उसकी मृत्यु की दशा में लाभपात्रों के कब्ज़े में आ सकें।

प्ररूप पेंशन–2

(देखिए नियम 71)

अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व या मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार से मृत्यु की तिथि से एक मास के भीतर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विवरण

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से साक्ष्यांकित विधवा/विधुर का एक पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटो या फोटो चिपकाएं

1.	सरकारी कर्मचारी का नाम	
2.	पदनाम	
3.	विभाग/कार्यालय	
4.	जन्म तिथि	
5.	सेवानिवृत्ति की तिथि या, सेवा के समय मृत्यु की दशा में मृत्यु की तिथि	
6.	वर्तमान पता	
7.	सेवानिवृत्ति के बाद पता[1]	
8.	..... को विवरण :–	

क्रम संख्या	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	सरकारी कर्मचारी से सम्बन्ध	आधार कार्ड संख्या	टिप्पणी
1					
2					
3					
4					
5					
6					

9.	खजाने, उप–खजाने या सार्वजनिक क्षेत्र बैंक शाखा का नाम जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन प्राप्त करना चाहता है।	
10.	निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :–. (1) कार्यालयाध्यक्ष या उस द्वारा प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किए जाने वाली नमूना हस्ताक्षरों की दो प्रतियां	

[1] पते के किसी पश्चात्वर्ती परिवर्तन को कार्यालयाध्यक्ष तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को सूचित करना चाहिए।

	(2) पति/पत्नी सहित सरकारी कर्मचारी के पासपोर्ट आकार के संयुक्त फोटो की चार प्रतियां (कार्यालयाध्यक्ष या उस द्वारा प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित की जानी है) **(3) प्ररूप पेंशन–1 (पारिवारिक सदस्यों का विवरण)**	
11.	**पेंशन के सारांशीकरण के लिए विकल्प तथा सारांशीकृत किया जाने वाला प्रस्तावित पेंशन का भागः**	

स्थान : .....

दिनांक : .....

सरकारी कर्मचारी/मृतक सरकारी
कर्मचारी के परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर

पावती

श्री/श्रीमती ..... (नाम तथा भूतपूर्व पदनाम) से पेंशन/मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान/पेंशन इत्यादि के सारांशीकरण की गणना के लिए सभी प्रकार से संपूर्ण प्ररूप पेंशन–2 में आवेदन प्राप्त किया गया।

स्थान : .....

दिनांक : .....

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

———————

प्ररूप पेंशन–3

(देखिए नियम 75)

पेंशन/पारिवारिक पेंशन/पेंशन का सारांशीकरण तथा मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के निर्धारण के लिए प्ररूप

(प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को दोहरी प्रति में भेजा जाएगा है यदि भुगतान लेखा इकाई के भिन्न सर्कल में वांछित है)

सम्यक रूप से साक्ष्यांकित एक पासपोर्ट आकार की संयुक्त फोटो चिपकाएं। साक्ष्यांकित प्राधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर फोटो पर होनी चाहिए।

1.	सरकारी कर्मचारी का नाम	
2.	लिंग	
3.	आधार कार्ड नम्बर	
4.	पिता का नाम	
5.	पत्नी/पति का नाम	
6.	जन्म तिथि	
7.	सरकारी कर्मचारी का पहचान चिह्न	
8.	सरकारी कर्मचारी का वर्तमान आवासीय पता तथा मोबाईल फोन नम्बर	
9.	सेवा निवृत्ति के बाद पता तथा मोबाईल फोन नम्बर	
10.	सेवा निवृत्ति के समय धारित पद के विवरण :	
	(क)	विभाग
	(ख)	कार्यालय का नाम
	(ग)	अन्तिम धारित पद तथा पद की श्रेणी
	(घ)	पद का वेतनमान
11.	लागू पेंशन की किस्म	
12.	सेवा के प्रारम्भ की तिथि	
13.	सेवा की समाप्ति की तिथि	

14.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिविल पेंशन गणना किए जाने के लिए अनुज्ञात सैनिक सेवा/पूर्व सेवा, यदि कोई हो,	
15.	कुल सेवाकाल	
16.	(क) विदेश सेवा, यदि कोई हो	
	(ख) क्या उपरोक्त विदेश सेवा की पेंशन अंशदान प्राप्त हो चुकी है	

17. अनर्हक सेवा की अवधि

		से	तक	वर्ष	मास	दिन
(क)	नियम 14(2) के अधीन माफ किया गया सेवा क्रमभंग					
(ख)	असाधारण अवकाश जो पेंशन के लिए अर्हक नहीं है					
(ग)	निलम्बन की अवधि जो पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं समझी गई है।					
(घ)	कोई अन्य सेवा जो पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं समझी गई है					
(ङ)	अनर्हक सेवा की कुल अवधि					

18.	कुल अर्हक सेवा (खाना 15–17) पूर्ण छः मास की अवधि अर्थात् तीन मास तथा अधिक अवधि के रूप में वास्तविक अर्हक सेवा को पूर्ण छः मास की अवधि के रूप में समझा जाएगा। **टिप्पण.–** अर्हक सेवा का विवरण साथ संलग्न है ।	
19.	किसी सरकारी कर्मचारी, जिसे सेवा में निलम्बित, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, हटाए जाने या पदच्युति के बाद बहाल किया गया है, की दशा में ड्यूटी के रूप में समझी गई अवधि के विवरण, यदि कोई हो।	..... से ..... तक (.....वर्ष .....महीने .....दिन) आदेश क्रमांक ..... दिनांक .....

20. सेवानिवृत्ति के समय पर प्राप्त अन्तिम परिलाभ–

(क)	अन्तिम परिलाभ (वास्तविक)	
(ख)	अन्तिम परिलाभ (अप्रयोगमूलक) यदि कोई हों	
(ग)	पेंशन व पारिवारिक पेंशन के लिए गिने गए परिलाभ	
(घ)	मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के लिए गिने गए परिलाभ	

टिप्पण 1.– पेंशन/मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान पारिवारिक पेंशन के लिए देखिए परिलाभों की परिभाषा।

टिप्पण 2.– यदि अधिकारी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व विदेश सेवा में था, तो अप्रयोगमूलक परिलाभ जो वह सरकार के अधीन प्राप्त करता किन्तु विदेश सेवा में होने के कारण उपरोक्त (क) के लिए परावर्तित होगा।

21.	सरकारी कर्मचारी से सभी प्रकार से विधिवत सम्पूर्ण प्ररूप पेंशन–2 की प्राप्ति की तिथि	
22.	प्रस्तावित पेंशन : $\frac{\quad}{2} \times \frac{\quad}{40} =$	
23.	प्रस्तावित मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान : $\frac{\quad}{4} \times \quad =$ (ग्रुप क, ख तथा ग के लिए अधिकतम 66 अर्धवार्षिक तथा ग्रुप घ कर्मचारी के लिए 70 अर्धवार्षिक)	

24. प्रस्तावित पारिवारिक पेंशन :

(क)	सामान्य पारिवारिक पेंशन :	अन्तिम प्राप्त वेतन x 30% (नियम 48 के अनुसार न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा के अध्यधीन)
(ख)	बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन	सेवा के समय मृत्यु की दशा में अन्तिम परिलाभों के 50 प्रतिशत के बराबर या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की दशा में सेवानिवृत्ति पेंशन के बराबर (नियम 49 के अनुसार बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा के अध्यधीन)

25. मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को देय होने वाली पारिवारिक पेंशन की राशि, यदि मृत्यु सेवानिवृत्ति के बाद होती है,

(क) 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व : रुपये

(ख) 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद : रुपये

क्रम संख्या	परिवार के सदस्य का नाम	जन्म तिथि	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध	आधार कार्ड नम्बर
1				
2				
3				
4				
5				

26.	तिथि जिससे पेंशन प्रारम्भ होनी है	
27.	प्रस्तावित अनन्तिम पेंशन की राशि, यदि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित विभागीय या न्यायिक कार्रवाई सेवानिवृत्ति के समय लम्बित है।	

28.	मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान से वसूलीयोग्य सरकारी देयों के विवरण :–		
	(क)	सरकारी आवास के आबंटन के लिए अनुज्ञप्ति फीस (देखिए नियम 72)	
	(ख)	नियम 73 में निर्दिष्ट अन्य देय	
29.	क्या मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के लिए किया गया वैध नामांकन अस्तित्व में है, यदि हां, तो उसकी प्रति संलग्न करें।		
30.	पेंशन का सारांशीकरण यदि सेवानिवृत्ति से पहले या सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष के भीतर आवेदन किया है।		
	(क)	सारांशित की जाने वाली पेंशन का भाग : (न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशन का 50 प्रतिशत तक तथा अन्य के लिए पेंशन का 40 प्रतिशत तक)	
	(ख)	पेंशन का सारांशित मूल्य = (सारांशित की जाने वाली पेंशन का भाग X नियम 96 के अधीन तालिका से घटक X 12)	
	(ग)	पेंशन का सारांशित भाग काटने के बाद अवशिष्ट पेंशन की राशि {(क्रम संख्या 22–30 (क)}	
31.	(i) पेंशन के भुगतान का स्थान (खजाना, उप–खजाना या सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की शाखा)		
	(ii) बैंक खाता संख्या :		
	(ii) विशिष्ट प्राप्तकर्ता कोड (युनीक पेई कोड) :		
32.	10 डिजिट डी.डी.ओ.कोड		
33.	पेंशन मंजूरी प्राधिकारी का विवरण :–		
	(i)	पद	
	(ii)	कार्यालय का पता :	
	(iii)	कार्यालय दूरभाष नम्बर, एस.टी.कोड सहित	

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(तिथि तथा कार्यालय मोहर सहित)

_____

प्ररूप पेंशन–4

(देखिए नियम 75)

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को प्रस्तुत किए जाने वाले पेंशन कागजों के अग्रेषण पत्र का नमूना

प्रेषक

.....

.....

.....

सेवा में

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा,
लेखा भवन, सैक्टर–33 बी,
चण्डीगढ़।

संख्या .....

दिनांक .....

विषय : **श्री/श्रीमती/कुमारी .....**
के पेंशन/मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के प्राधिकार के लिए पेंशन कागज।

श्रीमान जी,

मुझे इस विभाग/कार्यालय..... के श्री/श्रीमती/कुमारी .... के पेंशन कागज आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ अग्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

2. सरकारी देयों के विवरण जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को बकाया रहेंगे तथा जो मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान की राशि में से वसूल किए जाने आवश्यक है नीचे निर्दिष्ट किए गए है :–

(क)	बकाया ऋण तथा अग्रिम का अतिशेषः		
	1.	गृह निर्माण अग्रिम	
	2.	मोटर कार अग्रिम	
	3.	विवाह ऋण	
	4.	कम्प्यूटर ऋण	
	5.	कोई अन्य ऋण	
		कुल	
(ख)	अवकाश वेतन, यदि कोई हो, सहित वेतन तथा भत्तों का अधिक भुगतान		रुपये
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कटौतीयोग्य स्रोत पर आय कर		रुपये
(घ)	सरकारी आवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस के बकाया		रुपये
(ङ)	सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् छः मास की अनुज्ञेय अवधि के लिए सरकारी आवास को रखने हेतु अनुज्ञप्ति फीस की राशि		रुपये
(च)	कोई अन्य निर्धारित देय तथा उनका स्वरूप		रुपये

(छ)	अनिर्धारित देय, यदि कोई हो, के समायोजन के लिए रोकी जाने वाली उपदान की राशि	रुपये
	कुल	

3. आपका ध्यान अनुलग्नकों की सूची की ओर आकृष्ट किया जाता है जो इसके साथ अग्रेषित किए जा रहे हैं। अनुरोध किया जाता है कि पेंशन, मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन का सारांशीकरण का प्राधिकार शीघ्रता से किया जाए।

4. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती दें तथा इस विभाग/कार्यालय को सूचित किया जाये।

भवदीय,

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(तिथि तथा मोहर सहित)

अनुलग्नकों की सूची :

1.	पूर्णरूप से भरे हुए प्ररूप पेंशन–1, पेंशन–2 व पेंशन–3
2.	अशक्तता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र (यदि दावा अशक्त पेंशन का है)
3.	सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति या सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति।
4.	ई–सेलरी सिस्टम से निकाला गया अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र डी.डी.ओ. के हस्ताक्षर सहित।
5.	सेवा–पुस्तिका में सत्यापन प्रविष्टियों के संदर्भ में अर्हित और गैर–अर्हित सेवा का विवरण।
6.	पेंशन, पेंशन साराशीकरण, मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन (सामान्य और बढ़ी हुई) की संगणना शीट।
7.	सभी परिप्रेक्ष्यों में पूर्ण सेवा–पुस्तिका (सेवानिवृत्ति की तिथि के अंकन सहित)
8.	इस संबंध में प्रमाणपत्र कि सेवानिवृत्ति के समय कोई न्यायिक या विभागीय कार्रवाईयां लंबित नहीं हैं ।
9.	सतर्कता विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र वर्ग 'क' और 'ख' सरकारी कर्मचारियों की दशा में ।
10.	सरकारी कर्मचारी की बहाली का संक्षिप्त विवरण यदि उसे सेवा से निलम्बित करने, सेवा से निवृत्त करने, सेवा से हटाने या पदच्युत करने के बाद बहाल किया गया है।
11.	पेंशन मंजूरी प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा पति/पत्नी के साथ संयुक्त चार फोटो सम्यक् रूप से सत्यापित जिसमें से पेंशन प्ररुप–2 व 3 पर एक–एक फोटो चिपकाई जाएं तथा दो फोटो साथ संलग्न की जाएं ।
12	पेंशन मंजूरी प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हस्ताक्षरों या अंगूठे के निशान (तीन बार) की दो नमूना पर्चियां।
13.	सरकारी कर्मचारी व परिवार के सदस्य जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हों के आधार कार्ड की छाया–प्रति ।
14.	पेंशन के भुगतान, पेंशन के सारांशीकरण और उपदान के अधिक्य, यदि बाद में पाया जाता है, के प्रतिदाय के संबंध में वचनबद्धता । (सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वचनबद्धता)
15.	दीर्घावधि ऋण और अग्रिमों तथा सरकारी आवास के संबंध में समायोजन के लिए वचनबद्धता (सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली)
16.	नियत चिकित्सा भत्ते के लिए विकल्प। (सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली)

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(तिथि तथा मोहर सहित)

जारी.....

प्ररूप पेंशन–4 के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़ों का नमूना :–

1. सरकारी कर्मचारी व पति / पत्नी के तीन हस्ताक्षरों का नमूनाः–

(कार्यालयाध्यक्ष या उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने हैं)

सरकारी कर्मचारी का नामः			
हस्ताक्षर का नमूना :			
पति / पत्नी का नामः			
हस्ताक्षर का नमूनाः			

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(दिनांक व मोहर सहित)

---

2. सरकारी कर्मचारी व पति / पत्नी के तीन हस्ताक्षरों का नमूना :–

(कार्यालयाध्यक्ष या उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने हैं)

सरकारी कर्मचारी का नामः			
हस्ताक्षर का नमूना :			
पति / पत्नी का नामः			
हस्ताक्षर का नमूनाः			

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(दिनांक व मोहर सहित)

---

3. पेंशन के अधिक्य भुगतान पर प्रतिदाय के सम्बन्ध में वचनबद्धता का नमूना :–

वचनबद्धता

पेंशन मंजूरी प्राधिकारी .....ने मुझे दिनांक..... से ....रुपये पेंशन तथा .....रुपये मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान की सहमति इस शर्त पर दी है कि भविष्य में इसके संशोधन पर पात्रता से अधिक पाए जाने पर मैं इस संशोधन पर कोई आपत्ति न करने का वचन देता हूं। मुझे पात्रता से अधिक दी गई को उसे वापिस करने या उसे मेरी पेंशन से वसूल करने का भी मैं वचन देता हूं ।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

गवाह 1	गवाह 2
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :
नाम :	नाम :
पद :	पद :
पता :	पता :

4. दीर्घावधि ऋण और अग्रिमों तथा सरकारी आवास के संबंध में समायोजन के लिए वचनबद्धता का नमूना :–

वचनबद्धता

मैं सरकारी शोध्यों जैसे कि वेतन तथा भत्तों का अधिक भुगतान, अवकाश वेतन, ऋण तथा अग्रिमों, यात्रा भत्ता या अन्य किसी प्रकार की राशि यदि किसी स्तर पर मुझ से वसूल करने योग्य पाई जाती है को मेरी पेंशन से वसूल करने के लिए मैं प्राधिकृत करता हूं ।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

5. चिकित्सा भत्ते के लिए विकल्प

मैं समय–समय पर निर्धारित दर पर नियत चिकित्सा भत्ता अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ लेना चाहता हूं ।

अथवा

मैं दीर्घकालीन बिमारी का रोगी होने के कारण या अन्यथा बाह्य रोग इलाज के लिए नियत चिकित्सा भत्ते के बदले चिकित्सा प्रतिपूर्ति की खुली सुविधा अलग से लेना चाहता हूं ।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

6. विभागीय या न्यायिक कार्रवाई, यदि कोई लम्बित हो, के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र का नमूना :–

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... जो..... पर कार्य करते हुए दिनांक..... को सेवानिवृत्त हो रहे हैं के विरूद्ध कोई शिकायत/विभागीय/न्यायिक कार्रवाईयां लम्बित हैं/लम्बित नहीं हैं।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(दिनांक व मोहर सहित)

---

7. पेंशन, पेंशन सांशीकरण, मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन (सामान्य और बढ़ी हुई) की संगणना शीटः

पेंशन की संगणना :

अन्तिम परिलाभ 2	X	अर्हक सेवा अर्धवार्षिक में (अधिकतम 40 अर्धवार्षिक) 40

सामान्य पारिवारिक पेंशन की संगणना :–

अन्तिम परिलाभ	X	30 प्रतिशत

बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की संगणना :–

अन्तिम परिलाभ	X	50 प्रतिशत (नौकरी के दौरान मृत्यु की दशा में)

अथवा

सेवानिवृत्ति पेंशन के समान (सेवानिवृत्ति के बाद 65 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले मृत्यु की दशा में)

मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की संगणना :–

अन्तिम परिलाभ 4	X	अर्हक सेवा अर्धवार्षिक में
(वर्ग क, ख और ग के लिए अधिकतम 66 अर्धवार्षिक तथा वर्ग घ के लिए 70 अर्धवार्षिक)		

टिप्पण.– पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के लिए परिलाभ की परिभाषा के लिए हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 का नियम 8 देखें ।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(दिनांक व मोहर सहित)

8. अर्हक सेवा व अनर्हक सेवा की विवरणी :–

क्रम संख्या	अवधि से तक	अवधि वर्ष/मास/दिन	धारित पद	अर्हक सेवा वर्ष/मास/दिन	अनर्हक सेवा वर्ष/मास/दिन	दस्तावेज (दस्तावेजों) जिनके आधार पर प्रविष्टि खाना 5 व 6 में की गई है।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	कुल सेवा					

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(दिनांक व मोहर सहित)

प्ररूप पेंशन–5

[(देखिए नियम 82 (अ)]

मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान प्रदान करने के लिए मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य (सदस्यों) को भेजे जाने वाले पत्र का नमूना जहां वैध नामांकन अस्तित्व में है या नहीं

प्रेषक

.....

.....

.....

सेवा में

.....

.....

.....

संख्या .....

दिनांक .....

विषय : स्वर्गीय श्री/श्रीमती ..... के सम्बन्ध में मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान।

श्रीमान जी/श्रीमती जी,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती ..... (पदनाम) ..... कार्यालय/विभाग ..... द्वारा किए गए नामांकन के निबन्धनों के अनुसार जो नियमों के अधीन वैध है, मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान उसके नामांकित (नामांकितों) को देय है। उक्त नामांकन की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

(यदि नामांकन करने की तिथि के बाद कोई आकस्मिकता घटी है जो नामांकन को पूर्णतः या भागतः अमान्य बनाती हो, तो आकस्मिकता के यथावत विवरण बताए जाएं।)

अथवा

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 45 के निबन्धनों के अनुसार मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान मृतक सरकारी कर्मचारी श्री/श्रीमती ..... (पदनाम)..... कार्यालय/विभाग ..... के परिवार के निम्नलिखित सदस्यों को बराबर हिस्से में भुगतानयोग्य हैं :–

(i)	पत्नी/पति (न्यायिक रूप से पृथक पत्नी/पति सहित);	
(ii)	पुत्र तथा पुत्रियां (विवाहित या अविवाहित) जिसमें विधिक रूप से दत्तक बालकों तथा विधवा/ तलाकशुदा पुत्री (पुत्रियां) शामिल हैं;	
(iii)	पूर्वमृत पुत्र की विधवा, यदि पुनर्विवाहित नहीं है, अन्यथा पूर्वमृत पुत्र के बालकों का बराबर हिस्सों में।	

2. उपरोक्त यथा सूचित परिवार के किसी जीवित सदस्य के न होने की दशा में, मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान परिवार के निम्नलिखित सदस्यों को बराबर हिस्से में भुगतानयोग्य होगा :–

(i)	अठारह वर्ष की आयु से कम के भाई (भाइयों), आश्रित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बहन (बहनों);	

(ii)	माता, जिसमें व्यक्तिगत की दशा में जिसको स्वीय विधि दतकग्रहण अनुज्ञात करती है, दत्तकग्राही/सौतेली माता शामिल है;	
(iii)	पिता, जिसमें व्यक्तिगत की दशा में जिसको स्वीय विधि दतकग्रहण अनुज्ञात करती है, दत्तकग्राही/सौतेला पिता शामिल है।	

3. यह अनुरोध किया जाता है कि मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान के लिए दावा यथा सम्भव शीघ्र संलग्न प्ररूप पेंशन–6 में प्रस्तुत किया जाए।

भवदीय,

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(तिथि तथा मोहर सहित

प्ररूप पेंशन–6

[देखिए नियम 82 (अ)]

मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान की प्राप्ति से पूर्व सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान प्रदान करने के लिए पारिवारिक सदस्य या नामांकित द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप

(प्रत्येक दावेदार द्वारा अलग–अलग भरा जाना है तथा यदि दावेदार अव्यस्क (नाबालिग) है, तो प्ररूप उसकी ओर से संरक्षक द्वारा भरा जाएगा। जहाँ एक से अधिक अव्यस्क (नाबालिग) हैं, तो संरक्षक को उनकी ओर से एक प्ररूप में उपदान का दावा करना चाहिए)

भाग–I (मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा भरा जाना है)

1.	दावेदार का नाम	
2.	दावेदार की जन्म तिथि	
3.	संरक्षक का नाम यदि दावेदार अव्यस्क (नाबालिग) है	
4.	संरक्षक की जन्म तिथि	
5.	मृतक सरकारी कर्मचारी का नाम जिसके सम्बन्ध में मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान का दावा किया जा रहा है	
6.	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि	
7.	कार्यालय/विभाग जिसमें मृतक सरकारी कर्मचारी ने अन्तिम सेवा की थी	
8.	मृतक सरकारी कर्मचारी से दावेदार/संरक्षक के सम्बन्ध	
9.	दावेदार/संरक्षक का पूरा डाक पता, मोबाईल फोन नम्बर सहित	

10. जहाँ उपदान नाबालिग की ओर से संरक्षक द्वारा दावाकृत है, तो नाबालिगों के नाम, उनकी आयु, मृतक सरकारी कर्मचारी से सम्बन्ध, इत्यादि :–

क्रम संख्या	नाम	आयु	मृतक सरकारी कर्मचारी से सम्बन्ध	नाबालिग से संरक्षक का सम्बन्ध	आधार कार्ड संख्या	डाक पता
1.						
2.						
3.						
4.						

11.	मृत्यु उपदान के भुगतान का स्थान (खजाना/ उप–खजाना, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक शाखा)	
12.	सम्यक् रूप से साक्ष्यांकित दावेदार/संरक्षक के नमूना हस्ताक्षरों की दो पर्चियां संलग्न करें	

13 दो व्यक्तियों/राजपत्रित अधिकारियों का नाम, पता तथा हस्ताक्षर जिसने नमूना हस्ताक्षर साक्ष्यांकित किए हैं– .

	नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
(i)			
(ii)			

	टिप्पण.– साक्ष्यांकन दो राजपत्रित अधिकारियों या नगर, गांव या परगना जिसमें दावेदार रहता है के प्रतिष्ठित दो व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए।
14	गवाहः

	नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
1			
2			

स्थान :..... दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान

तिथि :.....

भाग–II

[(पेंशन मंजूरी प्राधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम) द्वारा भरा जाना है)]

15	मृतक सरकारी कर्मचारी का नाम	
16	पिता/पति का नाम	
17	जन्म तिथि	
18	मृत्यु की तिथि	
19	कार्यालय/विभाग का नाम जहां मृत्यु के समय कार्यरत था	
20	मृत्यु के समय धारित पद	
21	नियमित आधार पर सेवा के प्रारम्भ की तिथि	
22	मृत्यु पर सेवा समाप्ति की तिथि	
23	पेंशन में गिनने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात सैनिक सेवा/पूर्व सेवा, यदि कोई हो, की प्रसुविधा से संबंधित विवरणः	

(क)	पूर्व सेवा की अवधि जिसके लिए लाभ अनुज्ञात किया गया है	
(ख)	क्या सेवांत सुविधाएं निक्षेप की गई हैं या नहीं	
(ग)	आदेश संख्या तथा तिथि	

24	कुल सेवाकाल	
25.	अनर्हक सेवा की अवधि	

		से	तक	वर्ष	मास	दिन
(क)	नियम 14(2) के अधीन माफ किया गया सेवा क्रमभंग					
(ख)	असाधारण अवकाश जो पेंशन के लिए अर्हक नहीं है					
(ग)	निलम्बन की अवधि जो पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं समझी गई है।					
(घ)	कोई अन्य सेवा जो पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं समझी गई है					
(ङ)	अनर्हक सेवा की कुल अवधि					

26.	कुल अर्हक सेवा (खाना 24–25) पूर्ण छः मास की अवधि अर्थात् तीन मास तथा अधिक की अवधि के रूप में वास्तविक अर्हक सेवा को पूर्ण छः मास की अवधि के रूप में समझा जाएगा। टिप्पण.– अर्हक सेवा का विवरण साथ संलग्न है ।	<table><tr><th>वर्ष</th><th>मास</th><th>दिन</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>
27.	किसी सरकारी कर्मचारी, जिसे सेवा से निलम्बित, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, हटाए जाने या पदच्युति के बाद बहाल किया गया है की दशा में ड्यूटी के रूप में समझी गई अवधि के विवरण, यदि कोई हों।	
28.	मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के लिए परिलाभ वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता (वास्तविक/अप्रयोगमूलक)	
29.	मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान की राशि	
30.	मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान में से वसूली योग्य सरकारी देयों के विवरणः–	
	(क) सरकारी आवास, यदि कोई हो, की अनुज्ञप्ति फीस (देखिए नियम 72)	
	(ख) नियम 73 में निर्दिष्ट अन्य देय, यदि कोई हो,	
31.	क्या मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के लिए वैध नामांकन अस्तित्व में हे या नहीं	
32.	तिथि जिसको दावेदारों से दावा प्राप्त किया गया है	
33.	संरक्षक का नाम तथा पता जो नाबालिग की दशा में मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान प्राप्त करेगा।	
34.	(i) पेंशन के भुगतान का स्थान (खजाना, उप–खजाना या सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की शाखा)	
	(ii) बैंक खाता संख्या :	
	(ii) विशिष्ट प्राप्तकर्ता कोड (युनीक पेई कोड) :	
35.	(i) जहां नैसर्गिक संरक्षक जीवित नहीं है वहां विधि न्यायालय द्वारा जारी विधिक संरक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाए। (ii) क्षतिपूर्ति बंधपत्र संलग्न करें।	

तिथि :.....

स्थान :.....

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

प्ररूप पेंशन–7

[देखिए नियम 82 (आ)]

पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए अनुकम्पा वित्तीय सहायता की समाप्ति से छः मास पूर्व मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा/विधुर या अन्य पात्र पारिवारिक सदस्य को भेजे जाने वाले पत्र का नमूना

प्रेषक

.....

.....

.....

सेवा में

.....

.....

.....

संख्या .....

दिनांक .....

विषय : स्वर्गीय श्री/श्रीमती ..... के सम्बन्ध में पारिवारिक पेंशन का भुगतान।

श्रीमान्/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 47 के निबन्धनों के अनुसार स्वर्गीय श्री/ श्रीमती ..... (पदनाम) .... कार्यालय/विभाग ..... के पात्र पारिवारिक सदस्य को पारिवारिक पेंशन देय है।

2. आपको मन्त्रणा दी जाती है कि पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए दावा संलग्न प्ररूप पेंशन–8 में प्रस्तुत करें।

3. हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 में अधिकथित प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक पेंशन विधवा/विधुर को मृत्यु या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, तक तथा उसके बाद अन्य पात्र पारिवारिक सदस्य, यदि कोई हो, को देय होगी।

भवदीय,

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(मोहर तथा तिथि सहित)

———————

प्ररूप पेंशन–8

[देखिए नियम 82 (आ)]

सेवा के समय सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए आवेदन का प्ररूप

भाग–I (मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा भरा जाना है)

1	नाम : [विधवा या विधुर, यदि कोई हो, अन्यथा आश्रित पुत्र/पुत्री या संरक्षक, यदि मृतक व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाबालिग बालक (बालकों) जीवित हैं]	
2	पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र मृतक सरकारी कर्मचारी की जीवित विधवा/विधुर तथा बालकों के विवरण :–	

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि	व्यवसाय, यदि कोई हो,	मृतक व्यक्ति से सम्बन्ध	आधार कार्ड संख्या
(1)					
(2)					
(3)					
(4)					
(5)					

3	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि	
4	कार्यालय/विभाग जिसमें मृतक सरकारी कर्मचारी अन्त में सेवारत था	
5	यदि आवेदक संरक्षक है, तो अपनी जन्म तिथि तथा मृतक सरकारी कर्मचारी से सम्बन्ध	
6	आवेदक का पूरा पता मोबाईल फोन नम्बर सहित	
7	(i) पेंशन के भुगतान का स्थान (खजाना, उप–खजाना या सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की शाखा)	
	(ii) बैंक खाता संख्या :	
	(ii) विशिष्ट प्राप्तकर्ता कोड (युनीक पेई कोड) :	
8	अनुकम्पा वित्तीय सहायता की समाप्ति की तिथि, यदि कोई हो,	

9 दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों/राजपत्रित अधिकारियों के नाम, पता तथा हस्ताक्षर जिन्होंने नमूना हस्ताक्षर साक्ष्यांकित किए हैं–

	नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
(i)			
(ii)			

टिप्पण.– साक्ष्यांकन दो राजपत्रित अधिकारियों या नगर, गांव या परगना जिसमें दावेदार रहता है, के प्रतिष्ठित दो व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए।

10 निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें–

(i)	सम्यक् रूप से साक्ष्यांकित आवेदक के नमूना हस्ताक्षरों की दो पर्चियां ।
(ii)	कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम द्वारा पेपर पर उसकी फोटो के आर–पार साक्ष्यांकित आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो की चार प्रतियां ।
(iii)	बालक/बालकों की आयु के लिए जन्म प्रमाणपत्र या कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य ।
(iv)	मृतक सरकारी कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण–पत्र ।
(v)	न्यायालय द्वारा जारी किया गया संरक्षक प्रमाण–पत्र प्राकृतिक संरक्षक को छोड़कर ।

11 गवाह :

	नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
(i)			
(ii)			

तिथि :.....

स्थान :..... आवेदक के हस्ताक्षर

भाग–II

[पेंशन मंजूरी प्राधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम) द्वारा भरा जाना है]

12	मृतक सरकारी कर्मचारी का नाम	
13	पिता/पति का नाम	
14	जन्म तिथि	
15	मृत्यु की तिथि	
16	कार्यालय/विभाग का नाम जहां मृत्यु के समय कार्यरत था	
17	मृत्यु के समय धारित पद	
18	पारिवारिक पेंशन के लिए परिलाभ वेतन–बैण्ड वेतन वेतन + ग्रेड पे	

19	(क) नियमित आधार पर सेवा के प्रारम्भ की तिथि	
	(ख) नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व की सेवा, यदि कोई हो	
20	मृत्यु पर सेवा की समाप्ति की तिथि	
21	कुल सेवाकाल	वर्ष | मास | दिन
22	प्रस्तावित पारिवारिक पेंशन (क) सामान्य पारिवारिक पेंशन (ख) बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन [यदि मृत्यु के समय दी गई सेवा इन नियमों के नियम 49(1) के अनुसार सात वर्ष से अधिक है।]	
23	पारिवारिक पेंशन की धार्यता की अवधि (क) सामान्य दर पर (ख) बढ़ाई गई दर पर	 से..............................तक............................ से..............................तक............................
24	पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र पारिवारिक सदस्य का नाम	
25	मृतक सरकारी कर्मचारी से सम्बन्ध	
26	पूरा डाक पता मोबाईल फोन नम्बर सहित	
27	तिथि जिसको दावेदार से दावा प्राप्त हुआ है	
28	संरक्षक का नाम तथा पता जो नाबालिग की दशा में पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्राप्त करेगा	
29	(i) पेंशन के भुगतान का स्थान (खजाना, उप–खजाना या सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की शाखा)	
	(ii) बैंक खाता संख्या :	
	(ii) विशिष्ट प्राप्तकर्ता कोड (युनीक पेई कोड) :	

यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुज्ञेय अनुकम्पा सहायता जो .... तक मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य श्री/ श्रीमती/कुमारी .... को भुगतान की गई है।

तिथि :...
स्थान :.......................................

पेंशन मंजूरी प्राधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी) के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

———————

प्ररूप पेंशन–9

(देखिए नियम 83)

सेवा के समय मृत्यु की दशा में एक मास के भीतर भेजी जाने वाले मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान प्रदान करने के लिए तथा अनुकम्पा वित्तीय सहायता की समाप्ति से तीन मास पूर्व भेजी जाने वाली पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को कागजों के अग्रेषित करने के लिए पत्र का नमूना

प्रेषक

.....

.....

.....

सेवा में

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा,
लेखा भवन, सैक्टर–33 बी,
चण्डीगढ़।

संख्या .....

दिनांक .....

विषय : **मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान तथा/या पारिवारिक पेंशन प्रदान करना।**

श्रीमान जी,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्रीमान/श्रीमती .....पदनाम ..... की. दिनांक ..... को मृत्यु हो गई है। उसका परिवार मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान तथा/या पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए पात्र हो गया है। सभी प्रकार से सम्यक् रूप से पूर्ण प्ररूप पेंशन–3 व पेंशन–8 आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ भेजा जा रहा है।

2. सरकारी देयों के विवरण जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को देय रहेंगे तथा जो मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की राशि में से वसूल किए जाने आवश्यक है नीचे निर्दिष्ट किए गए है :–

(क)	बकाया ऋण तथा अग्रिम का अतिशेष, यदि कोई हो :–			
	1.	गृह निर्माण अग्रिम		
	2.	मोटरकार अग्रिम		
	3.	विवाह ऋण		
	4.	कम्प्यूटर ऋण		
	5.	कोई अन्य ऋण		
		कुल		
(ख)	अवकाश वेतन, यदि कोई हो, सहित वेतन तथा भत्तों का अधिक भुगतान			रुपये
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कटौती स्रोत पर आय कर			रुपये
(घ)	सरकारी आवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस का बकाया			रुपये
(ङ)	सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् छः मास की अनुज्ञेय अवधि के लिए सरकारी आवास को रखने हेतु अनुज्ञप्ति फीस की राशि			रुपये
(च)	कोई अन्य निर्धारित देय तथा उनका स्वरूप			रुपये

(छ)	अनिर्धारित देय, यदि कोई हो, के समायोजन के लिए रोकी जाने वाली उपदान की राशि	रुपये
	कुल	

3. आपका ध्यान अनुलग्नकों की सूची की ओर आकृष्ट किया जाता है जो इसके साथ अग्रेषित किए जा रहे हैं। अनुरोध किया जाता है कि मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान तथा/या पारिवारिक पेंशन का प्राधिकार शीघ्रता से किया जाए।

4. इस पत्र की प्राप्ति की पावती दें तथा इस विभाग/कार्यालय को सूचित किया जाए।

आपका आज्ञाकारी,
कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(तिथि तथा मोहर सहित)

अनुलग्नकों की सूची :

1	
2	
3	

****

प्ररूप पेंशन–10

(देखिए नियम–70)

सेवापंजी में असत्यापित सेवा की अवधि की दशा में सरकारी कर्मचारी को भेजे जाने वाले पत्र का नमूना

प्रेषक

.....

.....

.....

सेवा में

श्री/श्रीमती .....

.....

(नाम तथा पदनाम)

संख्या .....

दिनांक .....

विषय : **असत्यापित सेवा के विवरण।**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... पदनाम ..... ने ..... को सेवा ग्रहण की है तथा उसकी सेवापंजी में प्रविष्टियों के अनुसार उसने ..... को ..... वर्ष ..... मास तथा ..... दिन की अर्हक सेवा पूरी कर ली है।

2. अर्हक सेवा की गणना करते के समय यह ध्यान में आया है कि सेवा की निम्नलिखित अवधि तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई है, इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि यदि आप वास्तव में इस अवधि के दौरान ड्यूटी पर रहे हैं, तो प्रामाणिक सबूत (अर्थात् जी.पी.एफ. लेखे या एन.जी.आई.एस. के लिए अंशदान या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों, सहित इस सम्बन्ध में वचन–पत्र दें ताकि उसे पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के लिए गिना जा सके।

असत्यापित सेवा के विवरण

क्रम संख्या	से	तक	पदनाम	कार्यालय का नाम जहां इस अवधि के दौरान रहा
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(मोहर तथा तिथि सहित)

प्ररूप पेंशन–11

(देखिए नियम 70)

तत्कालीन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा असत्यापित सेवा की अवधि के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये जाने वाला वचन–पत्र

सेवा में

.....

.....

.....

विषय : **सेवापंजी में असत्यापित सेवा का वचन–पत्र ।**

आपके पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... के संदर्भ में। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती .....पदनाम ..... नीचे वर्णित अवधि के दौरान वास्तव में सेवा की है, जो इस प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रामाणिक सबूत से स्पष्ट है। यह अनुरोध किया जाता है कि सेवा की निम्नलिखित अवधि, पेंशन/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के लिए गिना जाए।

मैं यह भी वचन–पत्र देता हूँ कि यदि बाद में कार्यालय रिकार्ड से आपके ध्यान में आता है कि निम्नलिखित सेवा की अवधि या उसका कोई भाग मेरी पेंशन के लिए अर्हक नहीं है, तो मेरी पेंशन भूतलक्षी प्रभाव से पुनः नियत की जा सकती है। मैं पैंशन तथा/या सेवानिवृत्ति उपदान इत्यादि के रूप में मेरे द्वारा प्राप्त अधिक राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ।

सेवापंजी में असत्यापित सेवा की अवधि

क्रम संख्या	से	तक	प्रामाणिक सबूत (संलग्न)	टिप्पणी, यदि कोई हो
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

तिथि : .....

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

नामः .....

पदः.....

विभागः.....

..

प्ररूप पेंशन–12

(देखिए नियम 97)

चिकित्सा परीक्षण करने के बाद अनुज्ञेय पेंशन के सारांशीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

(तिहरी प्रति में प्रस्तुत किया जाना है)

सम्यक् रूप से साक्ष्यांकित एक पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटो चिपकाएं

भाग–I

सेवा में

.....

.....

.....

(यहां कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पूरा पता दर्शाएं)

विषय : चिकित्सा परीक्षण करने के बाद पेंशन का सारांशीकरण।

श्रीमान जी,

मैं इन नियमों के नियम 95 के प्रावधानों के अनुसार मेरी पेंशन के भाग को सारांशित करवाना चाहता हूँ। मेरी फोटो की दो प्रतियां सहित, आवश्यक विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं :–

1.	नाम (बड़े अक्षरों में)	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	पूरा डाक पता	
4.	पदनाम	
5.	कार्यालय/विभाग का नाम जिसमें नियोजित था	
6.	जन्म तिथि	
7.	सेवानिवृत्ति की तिथि	
8.	पेंशन की किस्म जिससे वह सेवानिवृत्ति हुआ है	
9.	प्राधिकृत पेंशन की राशि	
10.	सांराशित किए जाने वाले प्रस्तावित पेंशन का भाग	
11.	मास जिससे पेंशन सारांशित की जानी है	
12.	पेंशन भुगतान आदेश संख्या, यदि जारी की गई हो	
13.	पेंशन के भुगतान के लिए संवितरण प्राधिकारी	
	(क) खजाना/उप–खजाना (खजाने/ उप–खजाने का नाम तथा पूरा पता दर्शाया जाना है)	
	(ख) (i) पूरे पते सहित राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा	

	(ii) बैंक खाता संख्या जिसमें मासिक पेंशन प्रत्येक मास जमा की जा रही है।	
14.	स्टेशन के लिए अधिमान जहां चिकित्सा परीक्षण किया जाना है।	

स्थान :.....

तिथि :..... हस्ताक्षर .....

भाग–II

पावती

श्री/श्रीमती ..... (नाम तथा पदनाम) से चिकित्सा परीक्षण करवाने के बाद पेंशन के भाग के सारांशीकरण के लिए प्ररूप पेंशन–12 के भाग–I में आवेदन प्राप्त हुआ।

स्थान :..... हस्ताक्षर .....

तिथि :..... कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

प्ररूप पेंशन–13

(देखिए नियम 101)

सिविल सर्जन को भेजे जाने के लिए पत्र का प्ररूप

प्रेषक

.....
.....
.....

सेवा में

.....
.....
.....

संख्या .....
दिनांक .....

विषय : **पेंशन के सारांशीकरण के लिए चिकित्सा परीक्षण।**

श्रीमान जी,

श्रीमान/श्रीमती ..... जो दिनांक ..... को ..... (पदनाम) के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है/हुई है, ने एकमुश्त भुगतान के लिए अपनी पेंशन के भाग के सारांशीकरण के लिए आवेदन किया है। निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ अग्रेषित किए जा रहे हैं :–

1. आवेदक के फोटो की असाक्ष्यांकित प्रति सहित मूल रूप में प्ररूप पेंशन–12 में आवेदन।
2. दोहरी प्रति में प्ररूप पेंशन–14 की प्रति।
3. इन नियमों ने नियम 102 तथा 103 के निबन्धनों के अनुसार श्री/श्रीमती ..... का चिकित्सा बोर्ड/चिकित्सा अधिकारी जो सिविल सर्जन या प्रधान चिकित्सा अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... का चिकित्सा परीक्षण उसके आमागी जन्मदिन जो ..... को पड़ता है, से पूर्व यथा सम्भव यथा शीघ्रता से करने की व्यवस्था की जाए।
4. यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त पैरा–3 में दर्शाए गए चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा करने के लिए व्यवस्था श्री/श्रीमती ..... द्वारा प्ररूप पेंशन–12 में उसके आवेदन में वर्णित निकटतम उपलब्ध स्थान पर की जाए।
5. यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... को चिकित्सा परीक्षण के लिए समुचित प्राधिकारी के सम्मुख कहां और कब उसे पेश होना है के सम्बन्ध में इस कार्यालय को सूचना के अधीन उसे सीधा सूचित किया जाएगा। इस पत्र की प्रति उसको पृष्ठांकित की जा रही है ताकि वह आपसे आपकी सुनवाई की हिदायतों का पालन कर सके।
6. इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(तिथि तथा मोहर सहित)

श्री/श्रीमती ..... (यहां पूरा पता दें) को टिप्पणी के साथ प्रति अग्रेषित की जाती है कि वह चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा की गई गृहीत आयु की रिपोर्ट के आधार पर सारांशित की जाने वालीं पेंशन की राशि के बदले में एकमुश्त भुगतान के लिए पात्र होगा।

श्री ..... को सिविल सर्जन से सुनवाई पर सीधे चिकित्सा प्राधिकारी को चिकित्सा परीक्षण के लिए रिपोर्ट करनी चाहिए। वह अपने साथ हस्ताक्षर के सिवाए सम्पूर्ण भाग–I में अपेक्षित विवरणों सहित संलग्न प्ररूप पेशन–14 ले जाएगा।

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(तिथि तथा मोहर सहित)

प्ररूप पेंशन–14

(देखिए नियम 102)

आवेदक का वर्तमान पासपोर्ट फोटो (देखिए नियम 101(i))

..... द्वारा चिकित्सा परीक्षण

(यहां चिकित्सा प्राधिकारी दर्ज करें)

भाग–I

आवेदक को ..... (यहां चिकित्सा प्राधिकारी दर्ज करें) द्वारा अपने परीक्षण से पूर्व निम्नलिखित विवरणी को पूरा करने तथा उस प्राधिकारी की उपस्थिति में इससे संलग्न घोषणा हस्ताक्षर करेगा :–

1	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2	जन्म तिथि	
3	जन्म स्थान	
4	माता–पिता, भाइयों तथा बहनों के बारे में विवरण :– .	

पिता की आयु यदि जीवित है तथा स्वास्थ्य की स्थिति	मृत्यु पर पिता की आयु तथा मृत्यु का कारण	जीवित भाइयों की आयु सहित उनकी संख्या तथा स्वास्थ्य की स्थिति	मृत भाइयों की संख्या, जीवित होते हुए उनकी आयु, उनकी मृत्यु तथा मृत्यु का कारण
माता की आयु यदि जीवित है तथा स्वास्थ्य की स्थिति	मृत्यु पर माता की आयु तथा मृत्यु का कारण	जीवित बहनों की आयु सहित उनकी संख्या तथा स्वास्थ्य की स्थिति	मृत बहनों की संख्या, जीवित होते हुए उनकी आयु, उनकी मृत्यु तथा मृत्यु का कारण

5	क्या आपका कभी परीक्षण किया गया– (क) जीवन बीमे के लिए, या/और (ख) किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा बोर्ड द्वारा	
6	क्या आपको कभी अशक्तता पेंशन प्रदान की गई है या प्रदान करने के लिए विचारा गया है? यदि ऐसा है तो उसके आधार बताएं	
7	क्या आपको कभी पिछले पांच वर्ष के दौरान चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश दिया गया है ? यदि ऐसा है, तो अवकाश की अवधि तथा बीमारी का स्वरूप बताएं।	
8	क्या आपको कभी– (क) ग्रन्थि के बढ़ने या मवाद, चेचक, आन्तरयिक या किसी अन्य बुखार, खून का थूक, अस्थमा, फेफड़ों का सूजन, फुप्फुसावरण–शोध, दिल की बीमारी, रहियूमैटिज्म बेहोशी, आक्रमण, उण्डुकप्रच्छशोध, मिरगी, पागलपन या अन्य स्नायुसम्बन्धी रोग, कान, गरमी, या सूजाक का अन्य रोग था ; या (ख) कोई अन्य रोग या चोट थी जो पलंग में परिरोध के लिए अपेक्षित है; या ? (ग) कोई शल्य आप्रेशन करवाया था ? या (घ) सक्रिय सेवा के समय किसी बीमारी, घाव या चोट से पीड़ित था ? या (ङ) अल्बूमिन या पेशाब में शूगर का होना।	
9	स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति– (क) क्या आपके हर्नियां हैं? (ख) क्या आपको वैरिकोसिले, बैरीकोज वेन्स या पाइल्स है? (ग) क्या आपकी प्रत्येक आंख की दृष्टि अच्छी है? (चश्मा सहित या के बिना) (ध) क्या आपको प्रत्येक कान से ठीक सुनता है? (ङ) क्या आपके कोई अनुकूल या अर्जित कुरचना, कमी या विकृति है?	

	(च) क्या आपका पिछले तीन वर्षों में भार कम या ज्यादा हुआ है? (छ) क्या आप पिछले तीन मास से किसी डाक्टर के उपचाराधीन रहे हैं? बीमारी का स्वरूप जिसके लिए ऐसा उपचार लिया था ?	

आवेदक द्वारा घोषणा

(चिकित्सा प्राधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया जाना है)

मैं मेरे सर्वोत्तम विश्वास से उपरोक्त सभी उत्तर सत्य तथा सही के रूप में घोषित करता हूँ।

मैं पूर्णरूप से अवगत हूँ कि जानबूझ कर मिथ्या कथन करने या सम्बन्धित तथ्य छिपाने के लिए मैं सारांशीकरण की हानि का, तथा हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 10 तथा 12 के अधीन पेंशन रोकने या वापिस लेने का जोखिम उठाऊंगा, जिसके लिए मैनें आवेदन किया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

..... की उपस्थिति में हस्ताक्षर

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर;
(तिथि तथा मोहर सहित)

भाग–II

(परीक्षण करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

1	दृश्यमान आयु	
2	ऊंचाई	
3	भार	
4	आवेदक के किसी निशान या पहचान चिह्न वर्णन करें	
5	नाड़ी स्पन्द दर	
	(क) सिटिंग	
	(ख) स्टैन्डिग	
	(ग) पल्स का स्वरूप	
6	रक्तचाप–	
	(क) प्रकुंचक (सिस्टॉलिक)	
	(ख) डायस्टोलिक	
7	क्या मुख्य अंगों के रोग का कोई साक्ष्य है–.	
	(क) दिल	
	(ख) फेफड़े	
	(ग) लीवर	
	(घ) स्पलीन	
	(ङ) किडनी	
8	अन्वेषण–	
	(क) पेशाब (विशिष्ट गम्भीरता बताएं)	
	(ख) खून	
	(ग) एक्स–रे छाती	
	(घ) ई.सी.जी.	
9	क्या आवेदक को हर्निया है ?	
	(यदि ऐसा है, तो किस्म बताएं यदि लघुकरणीय है)	
10	कोई अतिरिक्त जांच–परिणाम	

भाग–III

(परीक्षण करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

मैंने/हमने श्री/श्रीमती/कुमारी .....जिसकी फोटो निम्नहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित की गई है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है तथा मेरी/हमारी राय है कि –

वह अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का है/की है तथा जीवन की औसत अवधि का लक्षण है।

या

वह अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं है/की नहीं है तथा सारांशीकरण का उपयुक्त मामला नहीं है।

या

यद्यपि वह .....से पीड़ित है, उसे सारांशीकरण के लिए उपयुक्त मामला विचारा गया है किन्तु सारांशीकरण के प्रयोजन के लिए उसकी आयु अर्थात् आगामी जन्मदिन तक उसकी आयु वास्तविक आयु से ..... वर्ष (शब्दों में) से अधिक रूप में ली जाएगी।

परीक्षण करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के

दिनांक : ..... हस्ताक्षर तथा पदनाम

प्ररूप पेंशन–15

(देखिए नियम 105)

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को एक वर्ष बाद प्रस्तुत किए जाने वाले पेंशन के सारांशीकरण के अग्रेषण पत्र का नमूना

प्रेषक

.....

.....

.....

सेवा में

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा,
लेखा भवन, सैक्टर–33 बी,
चण्डीगढ़।

संख्या .....

दिनांक .....

विषय : **पेंशन के सारांशीकरण के अनुमोदन (प्राधिकरण) के लिए श्री/श्रीमती/ कुमारी ..... के पेंशन के सारांशीकरण के पेंशन कागज।**

श्रीमान जी,

मुझे इस विभाग/कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के पेंशन के सारांशीकरण के पेंशन कागज आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ भेजने का निर्देश हुआ है। नियम ..... या..... ..... के निबन्धनों के अनुसार पेंशन का सारांशीकरण चिकित्सा परीक्षण के बिना उसको अनुज्ञेय नहीं है।

2. आपका ध्यान अनुलग्नकों की सूची की ओर आकृष्ट किया जाता है जो इसके साथ अग्रेषित की जा रही है अर्थात् पेंशन के सारांशीकरण का आवेदन, सिविल सर्जन/चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त पेंशनर का चिकित्सा प्रमाणपत्र। यह अनुरोध किया जाता है कि पेंशन के सारांशीकरण का प्राधिकार शीघ्रता से करने का कष्ट करें।

3. इस पत्र की प्राप्ति की पावति इस कार्यालय/विभाग को सूचित करें।

भवदीय,

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(तिथि तथा मोहर सहित)

अनुलग्नकों की सूची :

प्ररूप पेंशन–16

(देखिए नियम 91)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा
पेंशन भुगतान आदेश

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित पेंशनधारक व उसकी पत्नी/पति का संयुक्त फोटो

पेंशनधारक/पेंशन संवितरण प्राधिकारी के लिए		
1.	पी.पी.ओ. संख्या	
2.	पेंशनधारक का नाम	
3.	केस संख्या /आवेदन संख्या	
4.	लागू नियम :	हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016
5.	सरकार जिसको विकलित	हरियाणा सरकार
6.	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लेखा वर्गीकरण	''2071.– पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ'–01– सिविल–101– अधिवर्षिता व सेवानिवृत्ति भत्ते'' ''2071.– पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ'–01– सिविल–105 –पारिवारिक पेंशन''
7.	आधार कार्ड नम्बर	
8.	विशिष्ट प्राप्तकर्ता कोड (युनीक पेई कोड)	
9.	पेंशन के भुगतान का स्थान (खजाना, उप–खजाना या सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की शाखा)	
10.	बैंक खाता संख्या :	
11.	पूरा आवासीय पता मोबाईल फोन नम्बर सहित	
12.	पेंशनधारक की जन्म तिथि	
13.	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि	
14.	सेवानिवृत्ति की तिथि	
15.	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद	
16.	अन्तिम धारित पद का वेतनमान	
17.	अन्तिम धारित पद का वर्ग	
18.	कार्यालय जहां से सेवानिवृत्त हुआ है	
19.	पेंशन का वर्ग	
20.	निवल अर्हक सेवा	
21.	प्राप्त अन्तिम वेतन (वास्तविक/अप्रयोगमूलक)	
22.	पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के लिए परिलाभ (वास्तविक/ अप्रयोगमूलक)	
23.	मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के लिए परिलाभ	
24.	पेंशन की राशि	

25.	क्या पेंशन नियमित है या अनन्तिम पेंशन है	
26.	रोकी गई पेंशन यदि कोई हो	
27.	सारांशित पेंशन का भाग	
28.	पेंशन के सारांशित भाग की बहाली की तिथि	
29.	भुगतानयोग्य निवल पेंशन	
30.	सामान्य पारिवारिक पेंशन की राशि रुपये.....	..... से ..... तक
31.	बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की राशि रुपये.....	..... से ..... तक

32. पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र पारिवारिक सदस्यों के विवरण :

क्रम संख्या	नाम	सरकारी कर्मचारी से संबंध	जन्म तिथि/ आयु	क्या अशक्त है?	आधार कार्ड नं0
1					
2					
3					
4					

(क)	आगामी सूचना तक प्रत्येक मास की समाप्ति पर, श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पत्नी/सुपुत्र/सुपुत्री/श्री/श्रीमती..... को पेंशनर की उचित पहचान करने के उपरान्त उपरोक्त वर्णित पेंशन/पारिवारिक पेंशन, समय–समय पर देय महंगाई राहत सहित, अदायगी करें ।
(ख)	पेंशन की अदायगी ..... से शुरू होगी।
(ग)	श्री/श्रीमती/कुमारी .....की मृत्यु की दशा में मृत्यु की तिथि के आगामी दिन से श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को उपरोक्त वर्णित बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से सात वर्ष की समाप्ति तक या सेवानिवृत्त कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु तक यदि जीवित होता, जो भी पहले हो, तथा उसके बाद उपरोक्त वर्णित सामान्य पारिवारिक पेंशन हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 में वर्णित शर्तों के अध्यधीन दी जाए।
(घ)	आयकर, नियमों के अन्तर्गत, स्रोत पर काटा जाएगा ।

हस्ताक्षर तथा पदनाम

पेंशन प्राधिकृत अधिकारी की मोहर

सेवा में

खजाना अधिकारी,

.....

	महत्वपूर्ण हिदायतें **पेंशनधारक की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन :**
1.	**विधवा/विधुर की दशा में :** पेंशनधारक की मृत्यु की तिथि के आगामी दिन से पुनर्विवाह या प्राप्तकर्ता की मृत्यु तक, जो भी पहले हो । यद्यपि निःसन्तान विधवा पुनर्विवाह के पश्चात् भी पात्र होगी बशर्ते उसकी आजिविका सभी स्रोतों से न्यूनतम पारिवारिक पेंशन जमा महंगाई राहत से कम हो ।
	आश्रित अविवाहित पुत्र/पुत्री की दशा में : माता–पिता की अयोग्यता की तिथि के आगामी दिन से विवाह की तिथि, आजीविका अर्जन करने अथवा 25 वर्ष की आयु प्राप्त होने की तिथि तक इनमें से जो भी पहले हो ।
	आश्रित अविवाहित पुत्री/विधवा या तलाकशुदा पुत्री की दशा में : माता–पिता/उपरोक्त भाई–बहनों की अयोग्यता की तिथि के आगामी दिन से विवाह/पुनर्विवाह की तिथि, आजीविका अर्जन करने की तिथि तक इनमें से जो भी पहले हो।
	आश्रित निशक्त बालकों की दशा में : माता–पिता/शारीरिक सक्षम भाई–बहनों की अयोग्यता की तिथि के आगामी दिन से आजीविका अर्जन करने की तिथि तक ।
	आश्रित माता–पिता को मृत्यु की तिथि तक : पति/पत्नी तथा आश्रित बालकों की अयोग्यता की तिथि के आगामी दिन से ।
	टिप्पण.– विवरण के लिए हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 का नियम 8(10)(आ) तथा अध्याय–8 देखें ।
2.	पेंशन प्राप्तकर्ता के विरुद्ध किसी मांग के लिए उधारकर्ता के मांगने पर भारत के किसी न्यायालय की कार्रवाई द्वारा कोई भी पेंशन जब्त, कुर्क या परिबद्ध नहीं की जा सकेगी। (1871 का अधिनियम XXIII, धारा 11)
3.	(क) पेंशनधारक को वर्ष में एक बार मास मार्च में वैबसाईट www.jeevanpramaan.gov.in पर आधार बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली पर अपना जीवन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । अपवादिक परिस्थितियों में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण–पत्र भी स्वीकार्य होगा । (ख) पेंशनधारक की मृत्यु की दशा में परिवार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बारे पेंशन संवितरण प्राधिकारी को तत्काल सूचित करे ।
4.	मंहगाई राहत सारांशीकरण से पूर्व मूल पेंशन की राशि के संबंध में भुगतानयोग्य है। पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई राहत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर भुगतानयोग्य है ।
5.	प्रधान महालेखाकार हरियाण (लेखा व हकदारी) के लेखा अधिकारी की विशेष टिप्पणी, यदि कोई होः–

भाग–II

(पेंशन संवितरण प्राधिकारी के लिए)

प्रथम पेंशन/पारिवारिक पेंशन व उसके पुनरीक्षण का रिकार्ड

प्राधिकार की पत्र संख्या तथा तिथि	प्रभाव की तिथि	नियत/पुनरीक्षित पेंशन की राशि रुपये	पुनरीक्षण के कारण	महंगाई राहत की दर	टिप्पणी	पदाभिहित अधिकारी के आद्यक्षर

भाग–III

(पेंशन संवितरण प्राधिकारी के लिए)

एक पेंशन संवितरण प्राधिकारी (पी.डी.ए.) से दूसरे को पी.पी.ओ. के अन्तरण का रिकार्ड, यदि कोई हो,

क्रम संख्या	पी.डी.ए. के पूर्ण विवरण जिससे अन्तरण से पूर्व पेंशन प्राप्त की जा रही थी	तिथि जिस तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है	पी.डी.ए. के पूर्ण विवरण जिसको पी.पी.ओ. अन्तरित किया गया है	तिथि तथा पी.डी.ए. का अन्तरण करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

भाग–IV

(पेंशन संवितरण प्राधिकारी के लिए)

पेंशनर का नियतकालिक जीवन प्रमाण–पत्र का लेखा
(वर्ष में एक बार अर्थात मार्च में अपेक्षित)

क्रम संख्या	जीवन प्रमाण–पत्र की अभिस्वीकृति क्रमांक तथा दिनांक	पदाभिहित अधिकारी के आद्यक्षर	टिप्पणी	क्रम संख्या	जीवन प्रमाण–पत्र की अभिस्वीकृति क्रमांक तथा दिनांक	पदाभिहित अधिकारी के आद्यक्षर	टिप्पणी
1.				26.			
2.				27.			
3.				28.			
4.				29.			
5.				30.			
6.				31.			
7.				32.			
8.				33.			
9.				34.			
10.				35.			
11.				36.			
12.				37.			
13.				38.			
14.				39.			
15.				40.			
16.				41.			
17.				42.			
18.				43.			
19.				44.			
20.				45.			
21.				46.			
22.				47.			
23.				48.			
24.				49.			
25.				50.			

प्ररूप पेंशन–17

(देखिए नियम 91)

पारिवारिक पेंशनधारक की कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित फोटो

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा
पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश

पेंशनधारक/पेंशन संवितरण प्राधिकारी के लिए		
1.	पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश संख्या (एफ.पी.पी.ओ.न0)	
2.	पारिवारिक पेंशनधारक का नाम	
3.	केस संख्या /आवेदन संख्या	
4.	लागू नियम :	हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016
5.	सरकार जिसको विकलित है	हरियाणा सरकार
6.	पारिवारिक पेंशन का लेखा वर्गीकरण	''2071.– पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ'–01–सिविल–105 –पारिवारिक पेंशन''
7.	पारिवारिक पेंशनधारक का आधार कार्ड नम्बर	
8.	विशिष्ट प्राप्तकर्ता कोड (युनीक पेई कोड)	
9.	पारिवारिक पेंशन के भुगतान का स्थान (खजाना, उप–खजाना या सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की शाखा)	
10.	बैंक खाता संख्या :	
11.	पूरा आवासीय पता मोबाईल फोन नम्बर सहित	
12.	पारिवारिक पेंशनधारक की जन्म तिथि	
13.	क्या कोई अन्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त की जा रही है या नहीं। यदि हां तो कहां की जा रही है उस का विवरण	
14.	मृतक सरकारी कर्मचारी का नाम	
15.	मृतक सरकारी कर्मचारी के साथ सम्बन्ध	
16.	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि	
17.	मृत्यु के समय धारित पद	
18.	अन्तिम धारित का वेतनमान	
19,	अन्तिम धारित पद का वर्ग	
20.	कार्यालय/विभाग जहां अन्त में सेवा की है	
21.	मृतक कर्मचारी का कुल सेवा अवधि	
22.	अनुकम्पा वित्तीय सहायता की समाप्ति की तिथि	
23.	प्राप्त अन्तिम वेतन (वास्तविक/अप्रयोगमूलक)	
24.	पारिवारिक पेंशन के लिए परिलाभ (वास्तविक/अप्रयोगमूलक)	

25.	मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के लिए परिलाभ	
26.	सामान्य पारिवारिक पेंशन की राशि रुपये.....	..... से ..... तक
27.	बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की राशि रुपये.....	..... से ..... तक
28.	पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र अन्य पारिवारिक सदस्यों के विवरण :	

क्रम संख्या	नाम	सरकारी कर्मचारी से संबंध	जन्म तिथि / आयु	क्या निशक्त है?	आधार कार्ड नं0
1					
2					
3					
4					

(क)	आगामी सूचना या अयोग्यता तक प्रत्येक मास की समाप्ति पर, श्री / श्रीमती / कुमारी ..... पत्नी / पति / सुपुत्र / सुपुत्री / श्री / श्रीमती..... को पेंशनर की उचित पहचान करने के उपरान्त उपरोक्त वर्णित पारिवारिक पेंशन, समय–समय पर देय महंगाई राहत सहित, अदायगी करें ।
(ख)	पारिवारिक पेंशन की अदायगी ..... से शुरू होगी।
(ग)	आयकर, नियमों के अन्तर्गत, स्रोत पर काटा जाएगा ।

हस्ताक्षर तथा पदनाम

पेंशन प्राधिकृत अधिकारी की मोहर

सेवा में

खजाना अधिकारी,

.....

	महत्वपूर्ण हिदायतें **सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु या पेंशनधारक की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन :**
1.	**विधवा/विधुर की दशा में :** सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु की दशा में अनुकम्पा वित्तीय सहायता की समाप्ति के आगामी दिन से लेकिन पेंशनधारक की मृत्यु की दशा में मृत्यु तिथि के आगामी दिन से पुनर्विवाह या प्राप्तकर्ता की मृत्यु तक, जो भी पहले हो । यद्यपि निःसन्तान विधवा पुनर्विवाह के पश्चात् भी पात्र होगी बशर्ते उसकी आजीविका सभी स्रोतों से न्यूनतम पारिवारिक पेंशन जमा महंगाई राहत से कम हो ।
	आश्रित अविवाहित पुत्र/पुत्री की दशा में : माता–पिता की अयोग्यता की तिथि के आगामी दिन से विवाह की तिथि, आजीविका अर्जन करने अथवा 25 वर्ष की आयु प्राप्त होने की तिथि तक इनमें से जो भी पहले हो ।
	आश्रित अविवाहित पुत्री/विधवा या तलाकशुदा पुत्री की दशा में : माता–पिता/उपरोक्त भाई–बहनों की अयोग्यता की तिथि के आगामी दिन से विवाह/पुनर्विवाह की तिथि, आजीविका अर्जन करने की तिथि तक इनमें से जो भी पहले हो।
	आश्रित निशक्त बालकों की दशा में : माता–पिता/शारीरिक सक्षम भाई–बहनों की अयोग्यता की तिथि के आगामी दिन से आजीविका अर्जन करने की तिथि तक ।
	आश्रित माता–पिता को मृत्यु की तिथि तक : पति/पत्नी तथा आश्रित बालकों की अयोग्यता की तिथि के आगामी दिन से ।
	टिप्पण.– विवरण के लिए हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 का नियम 8(10)(आ) तथा अध्याय–8 देखें ।
2.	पेंशन प्राप्तकर्ता के विरुद्ध किसी मांग के लिए उधारकर्ता के मांगने पर भारत के किसी न्यायालय की कार्रवाई द्वारा कोई भी पेंशन जब्त, कुर्क या परिबद्ध नहीं की जा सकेगी। (1871 का अधिनियम XXIII, धारा 11)
3.	(क) पेंशनधारक को वर्ष में एक बार मास मार्च में वैबसाईट www.jeevanpramaan.gov.in पर आधार बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली पर अपना जीवन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । अपवादिक परिस्थितियों में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण–पत्र भी स्वीकार्य होगा । (ख) पेंशनधारक की मृत्यु की दशा में परिवार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बारे पेंशन संवितरण प्राधिकारी को तत्काल सूचित करे ।
4.	मंहगाई राहत सारांशीकरण से पूर्व मूल पेंशन की राशि के संबंध में भुगतानयोग्य है। पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई राहत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर भुगतानयोग्य है ।
5.	प्रधान महालेखाकार हरियाणा (लेखा व हकदारी) के लेखा अधिकारी की विशेष टिप्पणी, यदि कोई होः–

भाग–II

(पेंशन संवितरण प्राधिकारी के लिए)

प्रथम पेंशन/पारिवारिक पेंशन व उसके पुनरीक्षण का रिकार्ड

प्राधिकार की पत्र संख्या तथा तिथि	प्रभाव की तिथि	नियत/पुनरीक्षित पेंशन की राशि रुपये	पुनरीक्षण के कारण	महंगाई राहत की दर	टिप्पणी	पदाभिहित अधिकारी के आद्यक्षर

भाग–III

(पेंशन संवितरण प्राधिकारी के लिए)

एक पेंशन संवितरण प्राधिकारी (पी.डी.ए.) से दूसरे को पी.पी.ओ. के अन्तरण का रिकार्ड, यदि कोई हो,

क्रम संख्या	पी.डी.ए. के पूर्ण विवरण जिससे अन्तरण से पूर्व पेंशन प्राप्त की जा रही थी	तिथि जिस तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है	पी.डी.ए. के पूर्ण विवरण जिसको पी.पी.ओ. अन्तरित किया गया है	तिथि तथा पी.डी.ए. का अन्तरण करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

भाग–IV

(पेंशन संवितरण प्राधिकारी के लिए)

पेंशनर का नियतकालिक जीवन प्रमाण–पत्र का लेखा
(वर्ष में एक बार अर्थात मार्च में अपेक्षित)

क्रम संख्या	जीवन प्रमाण–पत्र की अभिस्वीकृति क्रमांक तथा दिनांक	पदाभिहित अधिकारी के आद्यक्षर	टिप्पणी	क्रम संख्या	जीवन प्रमाण–पत्र की अभिस्वीकृति क्रमांक तथा दिनांक	पदाभिहित अधिकारी के आद्यक्षर	टिप्पणी
1.				26.			
2.				27.			
3.				28.			
4.				29.			
5.				30.			
6.				31.			
7.				32.			
8.				33.			
9.				34.			
10.				35.			
11.				36.			
12.				37.			
13.				38.			
14.				39.			
15.				40.			
16.				41.			
17.				42.			
18.				43.			
19.				44.			
20.				45.			
21.				46.			
22.				47.			
23.				48.			
24.				49.			
25.				50.			

भाग–V

(पेंशन संवितरण प्राधिकारी के लिए)

पेंशनर का नियतकालिक आय/विवाह या पुनर्विवाह के प्रमाण–पत्र का लेखा

(वर्ष में एक बार अर्थात मार्च में अपेक्षित)

क्रम संख्या	आय/विवाह के प्रमाण–पत्र की दिनांक	पदाभिहित अधिकारी के आद्यक्षर	टिप्पणी	क्रम संख्या	आय/शादी के प्रमाण–पत्र की दिनांक	पदाभिहित अधिकारी के आद्यक्षर	टिप्पणी
1.				26.			
2.				27.			
3.				28.			
4.				29.			
5.				30.			
6.				31.			
7.				32.			
8.				33.			
9.				34.			
10.				35.			
11.				36.			
12.				37.			
13.				38.			
14.				39.			
15.				40.			
16.				41.			
17.				42.			
18.				43.			
19.				44.			
20.				45.			
21.				46.			
22.				47.			
23.				48.			
24.				49.			
25.				50.			

संजीव कौशल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।